केवल सरकारी प्रयोगार्थ

आठवीं पंचवर्षीय योजना

(विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली)

एकीकृत

जिला योजना

वर्ष 1990—91

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान

ालय अर्थ एवं संख्याधिकारी

जनपद—बाराबंकी

5429
309.26
AR-A

— 5429
309.26
BAR-A

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5196
Date 30/4/90

:: प्रस्तावना ::

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के सर्वांगीण विकास हेतु नियोजन प्रणाली की रणनीति अपनायी गयी थी। हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ इसी पर आधारित रही है। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना संरचना का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ किया गया।

1- जनपद बाराबंकी की वर्ष 1990-91 की नियोजित विकेन्द्रीकृत प्रणाली पर आधारित वार्षिक जिला योजना प्रस्तुत करते हुये मुझे हर्ष है। वर्तमान योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय क्षमताओं एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग, स्थानीय नियोजन प्रणाली को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कर शासन के मूलभूत सिद्धान्तों को मूर्तरूप प्रदान करना है।

2- वर्ष 1990-91 आठवीं पचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन के मार्ग निर्देशन में प्रस्तावित जिला योजना की संरचना की गयी है इसको एकीकृत स्वरूप देने के उद्देश्य से राज्य सेक्टर एवं केन्द्र पोषित योजनाओं से जनपद को मिलने वाले लाभ का भी वर्णन किया गया है। राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर निर्धारित उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जनपद में विद्यमान विकास खण्डीय विषमताओं को यथासम्भव दूर करने का प्रयास किया गया है।

3- निर्धारित मानकों के आधार पर शासन ने वर्ष 1990-91 की जनपद की योजनाओं के लिये 1363·05 लाख रूपया का परिव्यय प्रस्तावित किया है। शासन की वर्तमान नीति एवं निर्देशों का परिपालन करते हुए योजना के उत्पादक खण्ड में जिसमे कृषि एवं सम्बर्गीय विभाग सम्मिलित हैं, के लिये 762·29 लाख रूपये तथा अनुत्पादक खण्ड के लिये 600·76 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जो कि जनपद को शासन द्वारा आवंटित कुल परिव्यय का क्रमशः 55·92% एवं 44·08% है। निर्माण कार्यों के लिये 580·58 लाख रूपया निर्धारित किया गया है जो कुल परिव्यय का 42·59% है। केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाओं तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजना के लिये क्रमशः 516·83 लाख तथा 470·36 लाख रूपया का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जो कुल परिव्यय का क्रमशः 37·92 तथा 34·51 प्रतिशत है।

4- मुझे आशा है कि जनपद की जनता, जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के आपसी सहयोग से इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सफलता से पूर्ण करेंगे और जनपद को राष्ट्र की मुख्यधारा, प्रगति एवं विकास के पथ पर ले जायेंगे

5- जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा दिनांक 17-2-1990 को अनुमोदित जनपद की वार्षिक योजना 1990-91 को पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि:-

1- जिला/मण्डल स्तरीय समितियों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

2- जनपद में चल रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं/बाहरी संस्थाओं द्वारा पोषित कार्यक्रमों के लिए राज्यांश प्राविधानित कर दिया गया है।

3- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मदों हेतु राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आंकलन कर यथेष्ट प्राविधान सुनिश्चित कर लिया गया है।

4- सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये यथेष्ट प्राविधान कर दिया गया है ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के प्रारम्भिक वर्षों में पूर्व में विनियोजित धनराशि का लाभ प्राप्त किया जा सके।

5- शासन को प्रस्तुत की जा रही जिला योजना में स्थल चयन का उल्लेख, नई योजनाओं का विस्तृत विवरण, सड़क एवं पुलों का विवरण तथा पूर्व में निर्धारित सभी अध्यायों का समावेश किया गया है।

6- प्रस्तुत जिला योजना की संरचना में श्री वीरेन्द्र देव प्रधान, जिला विकास अधिकारी बाराबंकी का कुशल मार्ग निर्देशन सराहनीय रहा है। मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। श्री कमल सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी जिन्होंने अथक परिश्रम एवं निष्ठापूर्वक योजना का प्रारूप तैयार किया है, धन्यवाद के पात्र हैं।

योजना की संरचना में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में कार्यरत श्री अनिल कुमार चौधरी कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट, श्री मो0 अकील स0प्र0अ0 (सां0), श्रीचन्द्रेश कुमार श्रीवास्तव आशुलिपिक, डी0आर0डी0ए0, श्री जगदीश-प्रसाद तथा श्री आर0एम0 यादव कनिष्ठ सहायक एवं श्री गंगाराम चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारियों का सहयोग प्रशंसनीय एवं सराहनीय रहा है।

उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं तथा जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने विभाग की योजनायें ~~ससमय~~ प्रस्तुत कीं।

दिनांक: 20 मार्च, 1990

(विद्याप्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,

:: विषय सूची ::

एकीकृत जिला विकास योजना वर्ष 1990.91 जनपद- बाराबंकी

क्रमांक	मद	पृष्ठ संख्या
	खण्ड -प्रथम	
(अ)	**जिला योजना की संक्षिप्त रूप रेखा:**	
1-	जिला योजन एक दृष्टि में	01
2-	जिला योजना का विभागवार सारांश	2-3
3-	जिला योजना में प्रस्तावित कार्यस्थल का विवरण	4-5
4-	केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित कार्यक्रम	6
5-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित परिव्यय	7
6-	शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजनाओं का विवरण	8
7-	राज्य सेक्टर योजनों का विवरण	8
(ब)	**अध्याय:**	
1-	भूमिका	9-12
2-	जनपद परिचय	13-21
3-	अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर्विकास खण्ड विषमतायें	22-26
4-	जिला योजना के उद्देश्य रणनीति एवं प्राथमिकतायें	27
5-	जिला योजना का वित्त पोषण	28-30
6-	जनपद में चल रहे विकास कार्यक्रमों का समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं प्रस्तावित भावी कार्यक्रम	31-77
6-1	कृषि	32-34
2	उद्यान	34-39
3	गन्ना	37-39
4	लघु एवं सीमान्त कृषको को उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता	39-40
5	पशु पालन विभाग	40-44
6	मत्स्य विभाग	44-45
7	बन विभाग	46
8	सहकारिता विभाग	46-47
9	एकीकृत ग्राम्य विकास	47-50
10	जवाहर रोजगार योजना	50
11	भमि सुधार	51
12	पंचायतीराज	51-53
13	ग्राम्य विकास (सामुदायिक विकास)	53
14	निजी लघु सिंचाई	54
15	राजकीय लघु सिचाई	55
16	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	55-57
17	सड़क एवं पुल	58
18	पर्यटन	58-59

क्रमागत ——2

क्रमांक	मद	पृष्ठ संख्या
19	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय (अर्थ एवं संख्या)	59
20	सामान्य शिक्षा	60-61
21	प्राविधिक शिक्षा	62
22	खेलकूद	62
23	प्रादेशिक विकास दल	63-65
24	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	65-68
25	जल निगम	68-69
26	विकास विभाग (ग्रामीण हरिजन पेयजल)	69
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग (पूल्ड हाउसिंग)	69-70
28	राजस्व विभाग (आयोजनेत्तर	70
29	ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास विभाग)	70
30	सूचना विभाग	71
31	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	71-73
32	शिल्पकार प्रशिक्षण	74
33	समाज कल्याण (हरि0स0क0)	74-75
34	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	75-76
7-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	78-80
8-	स्पेशल काम्पोनेंट प्लान	81-82
9-	मुक्त धनराशि	83
10	समस्यायें एवं सुझाव	83-87

खण्ड द्वितीय

क्रमांक	परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	परिशिष्ट -1	जी0एन0-1	1.4
2-	परिशिष्ट-2	जी0एन0-2	1.44
3-	परिशिष्ट -3	जी0एन0-3	45-66
4-	परिशिष्ट -4	विभिन्न श्रोतों से वित्त पोषित कार्यक्रम	67-68
5-	परिशिष्ट - 5	सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य	69-72

खण्ड तृतीय

6-	परिशिष्ट -6	मानचित्र एवं सांख्यिकी	
7-		आधार भूत आँकड़े	73-107

जिला योजना

वर्ष 1990–91

जनपद - बाराबंकी

आठवीं पंचवर्षीय योजना

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली

संक्षिप्त रूप रेखा

प्रष्ठ सं० 1-8

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत एकीकृत जिला योजना वर्ष 1990-91 एक दृष्टि में

		(धनराशि हजार रूपये में)
1-	जनपद का आँवटन	136305.00
2-	प्रस्तावित परिव्यय	136305.00
3-	उपरोक्त जिला सेक्टर योजनाओं हेतु विभिन्न संसाधनों द्वारा वित्त पोषण	
	(क) राज्य आयोजनागत	136305.00
	(ख) केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित(केन्द्रांश)	121505.00
	(ग) जिला क्रेडिट प्लान के आधार पर संस्थागत वित्त संसाधनो द्वारा	185776.00
	(घ) ग्रामसभा का अँश	132.50
	कुल योग:	443718.50
4-	उपरोक्त में एकीकृत योजना हेतु ऋण की आवश्यकता	58000.00
5-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित परिव्यय	47036.80

::विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष 1990-91 हेतु निर्धारित परिव्यय का सारांश

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	विभाग का नाम	प्रस्तावित परिव्यय वर्ष 1990-91		
		राजस्व	पूँजीगत	योग
1	2	3	4	5
1-	कृषि	2450.00	303.00	2753.00
2-	उद्यान	812.00	50.00	862.00
3-	गन्ना विभाग	219.00	-	219.00
4-	लघु एवं सीमान्त कृषको को सहायता	11200.00	-	11200.00
5-	पशुपालन	1415.10	1304.00	2719.10
6-	मत्स्य	702.00	-	702.00
7-	वन विभाग	8075.00	-	8075.00
8-	सहकारिता	648.00	-	648.00
9-	एकीकृत ग्राम्य विकास	15200.00	-	15200.00
10-	जवाहर रोजगार योजना	23200.00	-	23200.00
11-	भूमि सुधार	200.00	-	200.00
12-	पंचायत विभाग	6.00	1352.00	1358.00
13-	सामुदायिक विकास	-	3538.50	3538.50
14-	निजी लघु सिंचाई	220.00	390.00	610.00
15-	राजकीय लघु सिंचाई	-	2055.00	2055.00
16-	विद्युत विभाग	-	-	-
17-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	185.80	1323.00	1508.80
18-	सड़क एवं पुल	-	22800.00	22800.00
19-	पर्यटन	-	424.00	424.00
20-	अर्थ एवं संख्या	-	33.70	33.70
21-	सामान्य शिक्षा	3962.40	3500.00	7462.40
22-	प्राविधिक शिक्षा	450.00	650.00	1100.00

1	2	3	4	5
23-	खेलकूद	65.00	700.00	765.00
24-	प्रादेशिक विकास दल	1165.50	145.00	1310.50
25-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	1685.00	10640.00	12325.00
26-	जल निगम	-	2500.00	2500.00
27-	ग्राम्य विकास (पेयजल)	-	800.00	800.00
28-	राजस्व विभाग	-	1000.00	1000.00
29-	ग्राम्य विकास विभाग (आवास)	-	3550.00	3550.00
30-	पूल्ड आवास (सा0नि0वि0)	-	1000.00	1000.00
31-	सूचना एवं प्रसार	50.00	-	50.00
32-	अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण	2867.00	-	2867.00
33-	शिल्पकार प्रशिक्षण	300.00	-	300.00
34-	समाज कल्याण	2676.00	-	2676.00
35-	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	493.00	-	493.00
	जनपद का योग	78246.80	58058.20	136305.00

वार्षिक जिला योजना 1990-91 में प्रस्तावित एवं दिनाँक 17.2.90 को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्य/स्थल चयन का विवरण

क्रमाँक विभाग/योजना/स्थल

1- कृषि विभाग :

1- कृषि बीज भण्डार ... ...ोसरायँ, किन्हौली, कतुरीकलाँ, सूरतगँज, रानीगँज, भीखरपुर, मैलारायगँज, सरायँबरई, नरौली, इलियासपुर, असन्द्रा, सिद्धौर, कोठी एवं रामनगर पर चबूतरा हैण्ड पम्प का निर्माण ।

2- उद्यान विभाग=

1- टाउन एरिया हैदरगढ़ में सार्वजनिक बाल उद्यान का जीर्णोद्धार एवं एक नवीन पार्क की स्थापना ।

3- पशुपालन विभाग:

1- देवीगँज एवं जैदपुर के पशुसेवा केन्द्र का उच्चीकरण एवं दो अन्य पशुचिकित्सालयों की स्थापना ﴾कुल 04 पशुचिकित्सालय कीस्थापना﴿

4- निजी लघु सिंचाई:

1- जिला मुख्यालय पर बोरिंग गोदाम का निर्माण

5- राजकीय लघु सिंचाई:

1- एक नलकूप का निर्माण﴾स्थल चयन बाद में होगा﴿

2- पाइप लाईन का निर्माण 3- गूल एवं बरहा निर्माण

6- पंचायतराज विभाग:

1- पंचायत भवनों का पुनर्निर्माण 2- खण्डजा एवं नाली निर्माण गाँवसभाओं के प्रस्ताव के अनुसार एवं उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार चयन बाद में किया जायेगा ।

7- जिला विकास विभाग:

1- जिला विकास कार्यालय भवन निर्माण

2- विकास खण्ड बंकी मुख्यालय पर स्टोर का निर्माण

3- ग्राम्य विकास संस्थान का आवासीय भवन निर्माण

8- सड़क एवं पुल

1- बेलहरा-चिरैयामार्ग पर कि0मी0-1 में स्थानीय नाले पर सेतु का निर्माण लम्बाई 10एम.आर.पी.पी.

2- सड़क निर्माण सभी विकास खण्डों में सूची खण्ड-2 पृष्ठ संख्या पर संलग्न है﴿

9-सामान्य शिक्षा:

(क)- प्राथमिक शिक्षा:

1- पाँच नये बेसिक स्कूल खोलने हेतु भवन निर्माण (1. किशुनपुर (मसौली)
2- शंकरपुर (सूरतगंज), 3-डीह (सिद्धौर), 4-मुजफ्फरमऊ (रूदौली)
5- टिहुरकी (रामनगर)

2- पाँच सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु भवन निर्माण (1. कोला गहदड़ी (हरख), दादरा (मसौली), 3-हसुआपारा (निन्दूरा)
4-बिछलखा (रामनगर) 5-सरैठा (रूदौली))

(ख)- माध्यमिक शिक्षा:

1- एक राजकीय हाईस्कूल का निर्माण (स्थल चयन बाद में होगा)
2- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला निर्माण

10- खेलकूद विभाग:

1- स्टेडियम में बहुउद्देशीय हाल का निर्माण

11- प्राविधिक शिक्षा:

1- इलेक्ट्रानिक्स कक्षाओं हेतु भवन निर्माण

12- पेयजल एवं स्वच्छता:

(क)- जल निगम

1- 250 हैण्ड पम्प की स्थापना (स्थल चयन बाद में होगा)

(ख) ग्राम्य विकास

1- 70 हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क-।। की स्थापना (स्थलचयन बाद मेंहोंगा)

13- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

1- 15उपकेन्द्रों के भवन निर्माण (स्थल चयन बाद में होगा)
2- 05प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण व नये केन्द्रो की स्थापना
1- दादरा 2- सुबेहा 3- रेन्दुआपल्हरी 4-सिरौली
5- रामपुर तेलवारी चालू(सिदनपुर)
3- हैदरगढ़, जैदपुर, देवा, एवं फतेहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना
4- खाले का पुरवा में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय का निर्माण

14- पर्यटन विभाग:

1- महादेवा में रैन बसेरा का निर्माण
2- अभयारण कुंड का जीर्णोद्धार (सीढ़ी आदि का निर्माण)

15- राजस्व विभाग:

1- तहसील हैदरगढ़ के भवन का निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण

16- सार्वजनिक निर्माण विभाग: (पूल्ड हाउसिंग)

1- आफीसर्स हास्टल का निर्माण ।

===

वार्षिक जिला योजना
वर्ष 1990-91
केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित प्रस्तावित कार्यक्रम

(धनराशि हजार रूपये)

क्र0सं0	विभाग/कार्यक्रम	कुल प्रस्तावित परिव्यय जारी	केन्द्र का अंश	अभ्युक्ति
1.	**कृषि एवं सम्बर्गीय सेवाएँ :**			
(1)-	लघु/सीमान्त कृषको को सहायता	11200.00	11200.00	
(2)	पशुपालन:			
क-	खुरपका/मुँहाका रोगो की रोकथाम की योजना	10.00	10.00	
(3)	मत्स्य पालन			
क-	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	702.00	248.00	
2.	**ग्राम्य विकास**			
(1)-	एकीकृत ग्राम्य विकास	15200.00	15200.00	
3-	**ग्रामीण रोजगार**			
(1)	जवाहर रोजगार योजना	23200.00	92800.00	
4-	**अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम:**			
(1)	भूमि सुधार			
क-	सीलिंग भूमि अॉवंटियों को आर्थिक सहायता	200.00	200.00	
5-	**ग्रामीण एवं लघु उद्योग :**			
(1)	जिला उद्योग केन्द्र से मार्जिन मनी ऋण	100.00	100.00	
6-	**शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा):**			
(1)	आयु वर्ग 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये अॅशकालिक कक्षाएँ खोलने हेतु अनुदान	1071.30	1747.90	
	योग :	51683.30	121505.90	

1- वर्ष 1989-90 का प्रतिशत- 37.34 %

2- वर्ष 1990-91 का प्रतिशत- 37.92%

विभागवार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित परिव्यय वर्ष 1990-91

क्र0सं0	विभाग	प्रस्तावित परिव्यय (हजार रूपये में)
1-	प्रारम्भिक शिक्षा	3479.80
2-	प्रौढ़ शिक्षा	1389.00
3-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	12325.00
4-	पेयजल योजना	
	1. जल निगम	2500.00
	2. ग्राम्य विकास	800.00
5-	ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)	3550.00
6-	सड़क एवं पुल	22500.00
7-	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	493.00
	योग: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	47036.80

वर्ष 1989-90 का प्रतिशत - 32.6%

वर्ष 1990-91 का प्रतिशत- 34.51%

शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजनाओं का अनुमानित व्यय वर्ष 1990-91 ।

	(हजार रूपये मे)
1- कृषि विभाग:	
1. विशेष चावल उत्पादन योजना	2500.00
2- भूमि एंव जल संरक्षण:	
1. गोमती नदी जल समेट योजना	2500.00
3- ऊर्जा:	
1- बायोगैस	1486.00
2- धूम्र रहित चूल्हा	355.00
4- प्रौढ़ शिक्षा:	1692.00
5- चिकित्सा एंव स्वास्थ्य:	
1-कुष्ठ नियन्त्रण	950.00
2-अँधापन नियन्त्रण	190.00
3-परिवार कल्याण	14300.00
6- दशमोत्तर छात्रवृत्ति	अनुपलब्ध
7- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	7175.00
8- त्वरित पेयजल योजना	26000.00
9- आई0सी0डी0एस0 योजना	1010.00
योग:	58158.00

राज्य सेक्टर योजनाओं में अनुमानित व्यय वर्ष 1990-91 ।

	(हजार रूपये में)
1- कृषि विभाग	502.00
2- भूमि एंव जल संरक्षण	1020.00
3- पंचायतीराज	12.00
4- पशुपालन विभाग	450.00
5- विद्युत विभाग	8000.00
6- सड़क एंव पुल	10300.00
7- चिकित्सा एंव स्वास्थ्य	585.00
8- हरिजन एंव समाज कल्याण	4142.00
9- सिंचाई विभाग	32310.00
10-अर्थ एंव संख्या	288.00
योग:	50024.00

खण्ड — प्रथम

जिला योजना 1990 - 91

:: अध्याय ::

:: 1 से 10 तक::

पृष्ठ संख्या 9 — 87

———

भूमिका:

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के समग्र विकास हेतु नियोजन प्रणाली की रणनीति अपनाई गयीथी । हमारी पंचवर्षीय योजनायें इसी परम्परा पर अवधारित रही । विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना की संरचना का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ किया गया है । क्षेत्रीय विषमताओं को दृष्टि में रखते हुए जनपद के सम्यक विकास का प्रयास प्रस्तुत योजना में किया गया है । विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्तर्खण्डीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है । विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के प्रमुख विन्दु निम्न है :-

1- इस प्रणाली के अन्तर्गत जिले को विकेन्द्रित नियोजन की इकाई बनाया गया है तथा समस्त आयोजनागत योजनाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है यथा जिला एवं राज्य सेक्टर । मुख्य रूप से योजनाओं के वर्गीकरण का आधार योजना का स्थल एवं योजना का कार्य क्षेत्र रखा गया है । जो योजनाये सामान्यता एक जिले को लाभान्वित करती है और जिनका नियोजन, निर्णय एवं कार्यान्वयन जनपद स्तर पर ही निहित है, उसे जिला सेक्टर में रखा गया है और जो योजनायें एक से अधिक जिले को लाभान्वित करती है उन्हें राज्य सेक्टर में रखा गया है ।

2- शासन द्वारा सम्पूर्ण आयोजनागत परिव्यय का लगभग 30प्रतिशत अँश जिला सेक्टर योजनाओं हेतु रखा गया है और आशा है कि भविष्य में यह अँश 35प्रतिशत हो जायेगा ।

3- उपरोक्त 30प्रतिशत अँश का विभाजन विभिन्न जिलो को एक फारमूला के आधार पर किया जाता है जिसमें जनसंख्या एवं विभिन्न जनपदो को उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाता है । मैदानी क्षेत्र में निम्न फार्मूला के आधार पर परिव्यय का विभाजन किया जाता है :-

जिला योजनाओं के परिव्यय आँवटन हेतु संकेतक :

संकेत	प्रतिशत (मैदानी क्षेत्र)
1- कुल जनसंख्या	50
2- अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या	5
3- सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4- पिछड़ापन	
(क) कृषि	05
(ख) उद्योग	05
(ग) सड़क	05
(घ) विद्युतीकृत ग्राम	05
(च) अस्पतालों में शैचालयों की संख्या	05
(छ) पेयजल अभावग्रस्त गाँव	05
योग	95%

मैदानी क्षेत्र में परिव्यय के शेष 5 प्रतिशत भाग को जनपदो की विशेष समस्याओं, उनके द्वारा जुटाये गये संसाधन अथवा प्रारम्भ में उत्पन्न होने वाली असंगतियों को दूर करने के लिए आरक्षित किया गया है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 5% सुरक्षित धनराशि से 2प्रतिशत धनराशि का वितरण विभिन्न जनपदों को उनके द्वारा किये गये प्रयासों एवं राष्ट्रीय बचत की उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है जिसका उपयोग वे अपनी जिला योजना के कार्यक्रमों के लिए कर सकते है इसके आँवटन का आधार निम्नवत् है :-

1- 50प्रतिशत राष्ट्रीय बचत योजना में जमा शुद्ध धनराशि के अनुपात में सभी जनपदो तथा

2- शेष 50प्रतिशत राष्ट्रीय बचत योजना में केवल शत-प्रतिशत अपने लक्ष्य पूरा करने वाले जनपदो में उनके द्वारा शुद्ध जमा धनराशि के अनुपात में ।

3- इस व्यवस्था से जनपदो में राष्ट्रीय बचत योजना के लिए अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिली है । स्थानीय स्तर पर विकास कार्यो के लिए अधिक धन प्राप्त करने के आर्कषण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 1988-89 से अल्प बचत की उपलब्धियों के आधार पर वितरित की जाने वाली धनराशि 2प्रतिशत की धनराशि को बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया जायें ।

4- वर्ष 1990-91 में जिला योजना परिव्यय के अतिरिक्त जनपदो को मुक्त धनराशि (Un-Tied Fund) के रूप में दी गई तो इस धनराशि का उपयोग जनपद विशेष के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जायेगा । (किन्तु) इस वर्ष मुक्त धनराशि के रूप में कोईधनउपलब्ध नहीं है ।

जिलास्तर पर समितियाँ

जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वियन समिति

प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वियन समिति का गठन किया गया है । समिति योजना की संरचना राज्य सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार करेगी एवं जिला योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु उत्तरदायी बनाई गई है ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति:

प्रत्येक जनपद में राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्य की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है । समिति का संगठन एवं कर्त्तव्य निम्नवत् है :-

समिति का संगठन:

1- मन्त्रिपरिषद् के सदस्य	अध्यक्ष
2- जिले के समस्त संसद सदस्य	सदस्य
3- जिले के समस्त विधानसभा सदस्य	सदस्य
4- जिलाधिकारी	सदस्य
5- जिले के समस्त विधान परिषद् सदस्य	सदस्य
6- जिला विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य/सचिव
7- अन्य जिलास्तरीय अधिकारी को आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता है ।	

समिति के कर्त्तव्य

1- राज्य सरकार द्वारा प्रसारित मार्ग निर्देशिकाओं और जनपद को आवंटित परिव्यय को ध्यान में रखते हुए जिला योजना कार्यान्वय समिति द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना के प्रारूप को जिलास्तर पर अन्तिम रूप देना ।

2- जनपद की समस्त विकास योजनाओं का जो जिला सेक्टर में हो अथवा राज्य सेक्टर में हो, का प्रत्येक तीन माह में एक बार अनुश्रवण करना ।

3- जिला योजना कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रसारित पुर्नविनियोग के प्रस्तावों को अपनी संस्तुति के साथ मण्डलीय समिति को अग्रसारित करना ।

4- प्रत्येक विभाग के विभागीय अधिकारियों से आवश्यकतानुसार सम्भावित सूचना प्राप्त करना ।

नि:संन्देह इस नवीन प्रणाली को कार्यान्वित करने से जनपद के लिए स्थानीय आकांक्षाओं को साकार करने में बल मिला है । इसी परिप्रेक्ष्य में जनपद की योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है । आशा है कि निकट भविष्य में जो अन्तक्षेत्रीय विषमतायें है वे इस नियोजन प्रणाली से दूर की जा सकेगी।

अध्याय-2

जनपद परिचय

जनपद के परिचय को सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है ।

प्रथम भाग

1- प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशेषतायें

स्थिति: जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पूर्वोत्तर में फैजाबाद तथा लखनऊ जनपदो के बीच 26.30 तथा 27.19 उत्तर के अक्षांशों एवं 80.58 तथा 81.55 पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है । इसके परिचय में लखनऊ दक्षिण, में रायबरेली दक्षिण पूर्व में सुल्तानपुर, पूर्व में गोण्डा व बहराइच तथा उत्तर में सीतापुर जनपद स्थित है जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4401 वर्ग किलोमीटर है ।

प्राकृतिक भाग=

जमीन की ऊँचाई एवं बनावट के आधार पर इस जनपद को मुख्यत: तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है । पहला भाग पूर्वोत्तर में जो घाघरा नदी के किनारे फैला हुआ है, तराई क्षेत्र है । दूसरा भाग पश्चिम - दक्षिण से दक्षिण पूर्व गोमती पार का क्षेत्र है । तीसरा गोमती पार के बीच कुछ ऊँचाई पर स्थित हार का क्षेत्र कहलाता है । तीनो प्राकृतिक भाग आर्थिक कार्यकलापो, औसत उपज, सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लगभग समान है । अत: योजना बनाने के लिए सम्पूर्ण जनपद को एक इकाई माना गया है ।

मिट्टी:-

इस जनपद में मिट्टी मुख्यतया तीन प्रकार की है- भूड़, दोमट तथा मटियार । भूड़ नदियो के ऊँचे किनारो पर तथा मटियार जनपद के निचले किनारो पर पाई जाती है ।

जनपद के शेष भाग की मिट्टी दोमट है । कुछ जगहो पर छोटे-छोटे टुकड़ो में कही-कहीं चिकनी और काली मिट्टी पाई जाती है ।

वर्षा:

वर्ष 1987 में सामान्य वर्षा 1002 मि०मी० तथा वास्तविक वर्षा 930.4 मि० मी० हुई वर्षा मुख्यतया जून, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर माह में होती है । सर्दी में कुछ वर्षा माह नवम्बर तथा जनवरी में हो जाती है । वर्ष 1989 में सामान्य रूप से वर्षा कम रहीं ।

तापमान:

वर्ष 1987-88 में उच्चतम तापमान 45.8 से०ग्रे० तथा न्यूनतम तापमान 4 से०ग्रे० रहा ।

प्राकृतिक संसाधन:

जनपद में प्राकृतिक संसाधन के रूप में वन, मिट्टी एवं जल है । अन्य कोई खनिज पदार्थ उपलब्ध नहीं है वन का क्षेत्र 7648 हे० है । जल संसाधन के रूप में घाघरा एवं गोमती नदी है ।

नदियाँ:

जनपद में मुख्य नदी घाघरा, गोमती, देव, कल्यानी ही है । घाघरा एवं गोमती पूरे वर्ष प्रवाहित होती रहती है ।

बाढ़ एवं सूखा:

जनपद में घाघरा, गोमती, कल्यानी नदियो में बाढ़ आने से काफी क्षेत्र प्रभावित होता है । जनपद में सूखे की स्थिति में भी उत्पादन का स्तर अच्छा रहता है । क्योंकि सिंचाई के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।

भूमि उपयोगिता:

जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 447160हे० है जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 290227 हे० है । वन का क्षेत्रफल 7648 हे० कृषि योग्य बेकार भूमि 12781 हे० चारागाह 2102 हे० उद्यान एवं वृक्ष का क्षेत्रफल 10823 हे० वर्तमान परती 32821 हे० तथा अन्य परती 23060हे० है । कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि का क्षे० 55798 हे० है । जनपद में कुल सकल बोया गया क्षे० 474251 हे० है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 85,000 हे० है ।

जोतो का प्रकार:

जनपद में जोतो के प्रकार की स्थिति निम्न प्रकार है :-

जोतो का प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल हेक्टयर
1- 01हे0 से कम	275256	106457
2- 01 हे0 से 2. 0हे0तक	59679	78622
3- 02 हे0 से 3. 0हे0 तक	18706	43495
4- 03 हे0 से 5. 0हे0 तक	10912	45347
5- 05 हे0 से अधिक	4266	34763

(ब)- जनसंख्या आदि से सम्बन्धित विवरण:

1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 19.92 लाख है जिसमें 18.14 लाख ग्रामीण एवं 1.78 लाख शहरी क्षेत्र है । कुल जनसंख्या में 10.72 लाख पुरूष तथा 9.20 लाख स्त्री है । अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 5.51 लाख है । जिसमें 2.96 लाख पुरूष तथा 2.55लाख स्त्री है । 1981 की जनगणना के अनुसार कुल परिवारों की संख्या 387301 है ।

जनसंख्या का घनत्व:

1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व 453 वर्ग कि0मी है जबकि प्रदेश का घनत्व 300 है । इस प्रकार जनपद प्रदेश की अपेक्षा घना बसा हुआ है । 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 1.8 प्रतिशत बाराबंकी में रहती है ।

अनुसूचित जातियॉ:

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की कुल जनसंख्या 19.92 लाख है जिसमें 5.51 लाख अनुसूचित जाति के है जो कुल जनसंख्या का 27प्रतिशत है । ग्रामीण अँचलो में सीमान्त कृषक या खेतिहर मजदूर के रूप में अनुसूचित जातियॉ निवास करती है ।

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 19.22 लाख है जिसमें से 6.57 लाख व्यक्ति (33 प्रतिशत) कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत 33.4 है जबकि नगरीय क्षेत्र में उक्त प्रतिशत 28 है। विभिन्न कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या निम्न तालिका में दी जा रही है।

जनसंख्या का वर्गानुसार विवरण वर्ष 1981 की जनसंख्या के आधार पर

क्रमांक		जनसंख्या हजार संख्या में		
		ग्रामीण	नगरीय	कुल
1-	कुल जनसंख्या	1814	178	1992
2-	कुल कार्यरत व्यक्ति	607	50	657
3-	कार्यरत व्यक्तियों का उद्योगवार विभाजन			
	1. कृषि	485	11	496
	2. कृषक मजदूर	68	4	72
	3. पारिवारिक उद्योग	19	9	28
	4. अन्य कर्मकर	35	26	61

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है जनपद में उद्योग व्यवसाय का विकास करके कृषि में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कम करना आवश्यक है।

ग्रामीण अंचल में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह कर जीवन निर्वाह कर रहे है उनके जीवन स्तर को उँचा उठाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम शासन द्वारा चलाये जा रहे है लोगों को ऋण एवं अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जा रहा है।

भाग--2

जिले के विकास की दिशा में किये गये प्रयत्नों के आधार पर दृष्टिगोचर हो रही प्रवृत्तियाँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नियोजन प्रणाली को रणनीति अपनाई गई । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रयास के द्वारा जो विकास हुआ और जिसके आधार पर जो प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हुई उनका विवरण निम्न रूप में दिया जा सकता है।

कृषि:

जनपद का शुद्धसिंचित क्षेत्रफल वर्ष छठी योजना के आरम्भ वर्ष 80-81 में 172908 हे0 था जो कुल शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 59 5 प्रतिशत है। वर्ष 1986.87 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 185000 हे0 जो शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 63.7 प्रतिशत है। सिंचाई साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के साथ-साथ उर्वरक के उपयोग में वृद्धि होने के फल स्वरूप कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। कुछ प्रमुख फसलों का उत्पादन में निम्न प्रकार वृद्धि परिलक्षित हुई।

फसल का नाम	उत्पादन मी0टन में		
	1984.85	1985.86	1986.87
1- धान	276465	261837	262931
1- मक्का	5668	10046	6296
3- गेहूँ	254812	274336	272733
4- चना	18535	27250	16431
5- मटर	1694	2447	2223
6- अरहर	8429	8388	6977
7- गन्ना	472252	491594	555020
8- आलू	181795	88458	182093

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष की तुलना में यदि देखा जाय तो वर्ष 1986.87 में उत्पादन के स्तर में काफी वृद्धि हुई है।

नि:सदेह कृषि उत्पादन में वृद्धि है किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव से प्रति - व्यक्ति की आय का स्तर उस अनुपात में नही बढ़ पाया जिस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

पंचम ... पंचवर्षीय से कृषि की नवीनतम तकनीकियो से काश्तकारों को अवगत कराया गया है फसल एवं उर्वरक प्रदर्शन, उन्नतिबीज एवं रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के फलस्वरूप जिले के कृषको ने फसल चक्र में परिवर्तन कार्य किया । वर्ष 1980 एवं उसके बाद के वर्षो में फसल सघनत: के प्रतिशत में वृद्धि इसका परिचायक है ।

	1979-80	1984-85	1986-87
जनपद की फसल की सघनता	150.5	155.0	163.4

<u>जनपद के भू-उपयोग में परिलक्षित परिवर्तन:</u>

विगत वर्षो में जनपद के भू-उपयोग में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुआ है । वर्ष 1980-80 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 290743 हेक्टयर था जो वर्ष 1984-85 में 290855हेक्टयर हो गया तथा वर्ष 1987-88 में 290227 हेक्टयर हुआ और वर्ष 1988-89 में 289599 हेक्टयर रहा । इसका मुख्य कारण वर्षा की कमी थी ।

<u>पंचवर्षीयस्योजना कालो में आर्थिक कार्य कलापो में परिलक्षित परिवर्तन :</u>

जनपद में वर्ष 1971 से 1981 तक के दशको में कृषक एवं कृषि श्रमिकों का कुल कार्यकरो से प्रतिशत निम्न प्रकार था :-

वर्ष	कुल कार्यकारों कीसंख्या	
	कृषक	कृषक मजदूर
1971	71.7	15.3
1981	75.5	11.0

उपरोक्त आँकड़ो से स्पष्ट है कि कृषि में उन्नतिशील विधियो के प्रयोग के कारण कृषि में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ीहै । परन्तु उद्योगों के विकास के कारण कृषि मजदूर का प्रतिशत कम हुआ है । 1971 में जो 15% था वह 1981 में घटकर 11प्रतिशत रह गया है ।

जीवन यापन के स्तर में परिवर्तन :

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़को का विस्तार, विद्युतीकरण, चिकित्सक सुविधाओं कीउपलब्धता में वृद्धि होने के फलस्वरूप सामान्य रूप से लोगों के जीवन यापन स्तर में सुधार हुआ है । यातायात कीसुविधाओं में अपेक्षाकृत वृद्धि होने से कृषि उत्पादन के विपणन की कठिनाईयाँ कम हुई है । ग्रामीण विद्युतीकरण के फलस्वरूप नलकूप एवं पम्पसेटो के ऊर्जीकरण से सिंचन क्षमता में वृद्धि करनी सम्भव हुई है । लाभान्वी परक कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्राम विकास योजना, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम के कार्यक्रम , निर्धन वर्ग आवास, इन्दिरा आवास जैसी योजनाओं के संचालन से निर्धन परिवारो के जीवन स्तर में कुछ सीमा तक सुधार लाना सम्भव हो सका है ।

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन :

1971 में जनपद का साक्षरता का प्रतिशत 14·2 था जो वर्ष 1981 में 18·1 प्रतिशत है । इससे स्पष्ट है कि साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है । साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है । इस समय प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक राजकीय पालीटेक्निक तथा एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी है ।

सामान्य रूप से प्रत्येक क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन से परिवर्तन आया है ।

भाग"-3

जनपद बाराबंकी की प्रमुख समस्यायें जो जिले के विकास में अवरोधक है:

3•1• शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन :

किसी भी क्षेत्र का सामाजिक व आर्थिक उत्थान उस क्षेत्र विशेष के निवासियों के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास पर निर्भर करता है और इन सभी का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है । वर्ष 1971 में साक्षरता का प्रतिशत 14•2 प्रतिशत था जो 1981 में भी मात्र 18•1प्रतिशत है । महिलाओं में शिक्षा का विशेष अभाव है । 1981 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत 8•2प्रतिशत है । अशिक्षा के कारण सामाजिक पिछड़ापन बना हुआ है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा परिवार कल्याण, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि का संचालन भी सफलतापूर्वक नही होता है ।

3•2• ग्रामीण क्षेत्रो में यातायात की कठिनाईयां :

जनपद में कुल आबाद ग्रामों की संख्या 2043 है जिसमें से 31.3.89 की स्थिति के अनुसार 325 ग्राम ऐसे है जो पक्की सड़क से जुड़े है । इससे यह स्पष्ट है कि यातायात की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है । 1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पक्की सड़को से जोड़ा जा रहा है । 1000 से 1499 आबादी वाले ग्राम भी जोड़े जा रहे है । आशा है कि 1995 तक सभी ग्राम जोड़ दिये जायेगें । पिछडी अर्थ व्यवस्था में सड़को एवं पुलो का अपना स्थान होता है । जनपद बाराबंकी में सड़को के निर्माण पर विशेष बल देनेकी आवश्यकता है।

3.3. कृषि में पिछड़ापन :

जनपद बाराबंकी में सिंचाई का साधन काफी उपलब्ध है फिर भी अभी कुछ क्षेत्रों में काफी पिछड़ापन है । कृषि विकास हेतु सिंचाई सुविधाओं का उपलब्ध होना नितान्त आवश्यक है । कृषि सघनता में जनपद का 14वॉ स्थान है । कृषकों को नवीनतम विधियों से अवगत कराना आवश्यक है । जिसके लिये जिले में टी.एन.बी. की योजना लागू किया जाना आवश्यक है ।

3.4 वित्त पोषण की कठिनाइयाँ:

जनपद में 31.3.89 तक कुल बैंक शाखाओं की संख्या 141 है तथा प्रति बैंक शाखा का जनसंख्या औसत 16740 है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कृषको की ऋण ग्रस्तता बनी हुई है । इसका मुख्य कारण ऋण औपचारिक--ताओं के पूर्ण करने में कठिनाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है । बैंको की उदार शर्तो पर ऋण देने तथा जन-जन तक पहुँचाने की प्रवृत्ति अपनाने की आवश्यकता है ।

3.5 विद्युत आपूर्ति एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की कठिनाईयाँ:

जनपद में कुल आबाद ग्राम 2043 है जिसमें से 31.3.89 तक 891 ग्राम सी0ए0 के अनुसार तथा 549 ग्राम एल0टी0मेन्स के अनुसार विद्युतीकृत है। सी0ए0 के अनुसार विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत 44 है। विद्युत आपूर्ति जनपद में बहुधा अनियमित रहती है । आगामी वर्षो में ग्रामीण क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति करने के उपाय भी करने होगें ।

3.6 बाढ़ का प्रकोप

जनपद में घाघरा, गोमती तथा कल्याणी नदी में प्राय: बाढ़ आती है । जिससे कृषि का कार्य क्षेत्र प्रभावित होता है ।

अध्याय-3

अन्तर जनपदीय एवं अन्तर विकास खण्डीय विषमतायें

3·1- विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य विभिन्न जनपदों में और जनपदो के अन्दर विभिन्न विकास खण्डों में विकास स्तर में व्याप्त विषमताओं को दूर करना है और उसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला सेक्टर हेतु आरक्षित परिव्यय का आँवटन जनसंख्यातथा कतिपय विकास संकेतको में पिछड़ेपन के वस्तुपरक मानक के आधार पर किया जाता है ताकि उसके समग्र रूप से पिछड़े जनपदो को अपना विकास करने के लिये परिव्यय का न्यायोचित भाग उपलब्ध हो सके । यह आवश्यक है कि जनपद को इन विषमताओं की पूर्ण जानकारी हो इसीलिए विकास के कतिपय चुने हुए संकेतको के आधार पर जिलास्तर पर इस प्रकार का विश्लेषण किया जा रहा है ।

3·2- जनपद बाराबंकी की अन्य जनपदो की तुलना में स्थिति :

जनपद में कुल आबाद ग्राम 2043 है जबकि मण्डल के अन्य जिला फैजाबाद में 2645, गोण्डा 2809, सुलतानपुर 2492, एवं बहराइच में 1884 है । इस आबाद ग्राम की संख्या बहराइच को छोड़कर अन्य जनपदो की अपेक्षा अधिक है । जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी जनपद की जनसंख्या मण्डल के अन्य जनपदो से सबसे कम है । 1981 के दशक में बाराबंकी की जनसंख्या 21·80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मण्डल के अन्य जनपदो की वृद्धि इससे अधिक है । फैजाबाद 23·62 प्रतिशत, गोण्डा23·23 प्रतिशत, बहराइच 28·33 प्रतिशत, सुलतानपुर 24·34 प्रतिशत । इस तरह यदि समीक्षा की जाय तो यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है कि इस जनपद की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कम है ।

3·3 प्रदेश में अनुसूचित जातियो का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 21·16 के सापेक्ष जनपद बाराबंकी में यह प्रतिशत 27·7 है ।

3·4- जनपद में मुख्य कर्मकारो का प्रतिशत 32·96 है । ग्रामीण क्षेत्र में 33·45 एवं नगर क्षेत्र में 28·0प्रतिशत है । जबकि प्रदेश में कर्मकारो का प्रतिशत 29·22 है । इस तरह जनपद की स्थिति अच्छी कही जा सकती है । कुल कर्मकारों

में कृषक कर्मकार 75·5प्रतिशत है तथा कृषक मजदूर ।। प्रतिशत है जबकि प्रदेश में क्रमशः यह प्रतिशत 58·56 तथा 15·99है ।

3·5 गृह उद्योग, निर्माण, विनिर्माण तथा सेवाओं के क्षेत्र में रत कर्मकारों का कुल कर्मकारों से प्रतिशत 13·5 है । जबकि प्रदेश का प्रतिशत 3·69 है । इस तरह जनपद की स्थिति प्रदेश के औसत से काफी अच्छी है ।

3·6 जनपद में कुल बोया गया क्षेत्रफल 290227 हेक्टयर है जो प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 64प्रतिशत है जबकि फैजाबाद मण्डल का औसत प्रतिशत 66 है । इस तरह कुल बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत मण्डल के और जनपदो से कम है । सिंचाई में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 64प्रतिशत है जबकि फैजाबाद मण्डल का औसत सिंचित क्षेत्रफल 49प्रतिशत है इस तरह सिंचाई के क्षेत्र में जनपद की स्थिति सुखद है । नहर द्वारा सिंचाई भी अन्य जनपदो से अधिक होती है । जनपद की फसल सघनता 163·4 प्रतिशत है। जबकि मण्डल का औसत 155·2 प्रतिशत है । इस तरह यदि देखा जाये तो कृषि के क्षेत्र में जनपद की स्थिति मण्डल में अच्छी है ।

3·7 1984-85 में प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानो में कार्यरत श्रमिको व कर्मचारियों की संख्या 212 है जबकि मण्डल के अन्य जनपद तथा फैजाबाद 128, गोण्डा 138, बहराइच 50, सुलतानपुर05 है । इस तरह जनपद की स्थिति और जनपदो से ठीक है । फिर भी उद्योगो के क्षेत्र में जनपद आगे बढ़ रहा है ।

3·8 जनपद में कुल 2043 आबाद ग्राम है जिसमें से 869 विद्युतीकृत है । जो 42 प्रतिशत है । मण्डल का औसत 50प्रतिशत है । विद्युतीकृत के क्षेत्र में जनपद अन्य जनपदो से पीछे है ।

3·9 1985-86 के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर सार्वजनिक निर्माण विभाग कीपक्की सड़को की लम्बाई 34कि0मी0 है जबकि मण्डल का औसत 42है जनपद में पक्की सडको की उपलब्धता कम है ।

3·10 वर्ष 1986-87 के उपलब्ध आँकड़ो के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या 3 है अन्य जनपदों की भी स्थिति यही है ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनपद बाराबंकी की स्थिति अन्य जनपदो से निराशाजनक नहीं है । फिर भी यह प्रयास करना आवश्यक है कि जनपद का विकास प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरोत्तर होता रहे ।

जनपद वाराबंकी में अन्तर विकास खण्डीय विषमतायें

जनपद में कुल 16 विकास खण्ड है । प्रत्येक विकास खण्ड की अलग-अलग स्थिति एवं समस्यायें है । कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विषमताओं का उल्लेख किया जा रहा ह ।

3·11 जनसंख्या= जनपद में जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण क्षेत्र में समस्त विकास खण्डों का औसत 416 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 है । विकास खण्ड मसौली का अधिकतम 520 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 है एवं न्यूनतम विकास खण्ड पूरेडलई 303 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है ।

3·12 अनुसूचित जातियाँ :

जनपद में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 27·7 है । विकास खण्ड सिद्धौर हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ 39·3 प्रतिशत अनुसूचित जातिके लोग निवास करते है । विकास खण्ड सूरतगंज में सबसे कम 15·78प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग है ।

3·13 कर्मकार: ग्रामीण क्षेत्र में कुल मुख्य कर्मकार 33·4 प्रतिशत है । विकास खण्ड पूरेडलई में 36·2 प्रतिशत है तथा न्यूनतम विकास खण्ड फतेहपुर में 31·4 प्रतिशत है । कृषि कर्मकार विकास खण्ड सूरतगंज में 95·5, हैदरगढ़ 95·5 तथा इससे कम विकास खण्ड रामनगर में 85·9प्रतिशत है ।

3·14 कुछ मुख्य बिन्दुओ पर निम्न चार्ट के अनुसार विषमतायें दी जा रही है:-

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	जनसंख्या घनत्व	अनुसूचित जातिका प्रतिशत	कुल कर्मकार का प्रतिशत	साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत	फसल सघनता	सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	बंकी	475	26·4	31·6	21	171·7	77·7
2-	मसौली	528	27·7	33·8	21·3	158·8	81·7
3-	देवा	407	31·2	32·5	15·9	171·1	84·1
4-	हरख	383	35·9	32·1	20·3	161·3	69·9
5-	फतेहपुर	438	25·1	31·4	17·7	167·3	71·1
6-	सूरतगंज	377	15·8	34·4	14·7	148·9	27·8

1	2	3	4	5	6	7	8
7-	रामनगर	405	21.1	33.8	18.3	177.4	50.7
8-	निन्दूरा	396	35.0	33.1	14.5	176.5	72.6
9-	दरियाबाद	378	32.8	33.7	16.1	162.6	66.1
10-	पूरेडलई	373	27.0	36.2	13.3	154.9	39.3
11-	मवई	488	26.4	35.3	14.7	158.0	49.1
12-	रूदौली	414	25.6	33.0	14.3	163.0	61.4
13-	बनीकोडस	443	34.0	31.6	21.0	163.0	66.5
14-	हैदरगढ़	430	35.7	35.9	15.0	155.0	67.4
15-	त्रिवेदीगंज	470	36.6	31.7	20.6	159.0	80.4
16-	सिद्धौर	485	39.3	33.8	17.2	167.0	72.7
योग	ग्रामीण:	416	29.6	33.4	17.3	163.0	63.8

3.15 उपरोक्त के अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं पर भी विचार करना आवश्यक है ।

1. 1986-87 के आधार पर उपलब्ध आँकड़ो के अनुसार प्रतिलाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या जनपद का औसत 2.6 है जबकि अधिकतम मसौली में 4.8 तथा कम संख्या विकास खण्ड पूरेडलई में 1.6 है । योजना संरचना में विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है ।

2- शिक्षा के क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक स्कूलो की संख्या जनपद का औसत 83.6 है । विकास खण्ड बंकी का अधिकतम 109 है इसी तरह विकास खण्ड निन्दूरा का 70.2 है जो जनपद का सबसे कम है । इस तरह यदि समीक्षा की जायें तो अधिकतम एवं न्यूनतम में काफी अन्तर है । भविष्य में जिला योजना संरचना इस आधार पर की जानी है कि ये विकास खण्डीय विषमतायें दूर की जा सकें । प्रतिलाख जनसंख्या पर सी0बे0स्कूलो की संख्या जनपद का औसत 15.3 है विकास खण्ड फतेहपुर का अधिकतम 19.3 है तथा विकास खण्ड पूरेडलई का न्यूनतम 9.9 है अधिकतम एवं न्यूनतम में लगभग दोगुने का अन्तर है आँठवी योजना में इस ओर ध्यान देना आवश्यक होगा ।

3. प्रति व्यवसायिक बैंक के औसत जनसंख्या 21597 है । विकास खण्ड मसौली में प्रति बैंक जनसंख्या 9781 है । विकास खण्ड हैदरगढ़ का प्रति बैंक औसत 37007 है । रिजर्व बैंक के अनुसार ये औसत 17000 होना चाहिए ।

उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए यह आवश्यक है कि भविष्य में जो योजनायें चलाई जायें उनमें उपरोक्त विषमताओं को ध्यान में रखा जायें जिससे अन्तर्खण्डीय विषमतायें दूर हो सके ।

===

अध्याय-4
जिला योजना के उद्देश्य, रणनीति एवं प्राथमिकताएँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास हेतु नियोजन प्रणाली की रणनीति अपनाई गई थी । लेकिन उस समय की नियोजन प्रणाली से यह अनुभव किया गया कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप नियोजन प्रक्रिया का कार्य नहीं हो रहा है । इसी उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का आरम्भ छठी पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ किया गया ।

विकेन्द्रीकृत योजना की संरचना निम्न उद्देश्यो एवं पूर्वताओं के आधार पर की गई है :-

1- "विकास सामाजिक न्याय के साथ हो" इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकास कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया है । जिससे रोजगार एवं विकास के अवसर विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गो के लिए उपलब्ध हो ।

2- जनपद के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय भौतिक तथा मानवीय संसाधनो का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग हो, इस बात पर बल दिया गया है । जिससे आय एवं रोजगार दोनो में वृद्धि हो सके ।

3- खाद्यान्न एवं उत्पादन में वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया गया है ।

4- गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की आय में वृद्धि हो सके इसके लिए योजनाओं में प्रावधान किया गया है ।

5- कृषि पर निर्भर लोगो को पूरक व्यवसाय उपलब्ध हो इसके लिए भी योजना संरचना में ध्यान दिया गया है ।

6- लघु एवं कुटीर उद्योग में कार्यरत कारीगरो की उत्पादकता और आय में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है ।

7- निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु व्यवस्था की गई है ।

जिला योजना संरचना में यह रणनीति अपनाई गई है कि जनपद के पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके जिससे जो अन्तर्खण्डीय विषमतायें है उन्हें दूर किया जा सके ।

====

अध्याय-5

जिला योजना का वित्त पोषण :

जिला योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन निम्नलिखित श्रोत्रों से प्राप्त होता है :-

1- राज्य सरकार से जनपद की जिला सेक्टर योजना हेतु ,

2- राज्य सरकार से जनपद की राज्य सेक्टर योजना हेतु,

3- निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों द्वारा पूँजी निवेश हेतु,

4- केन्द्र पुरोनिधानित जिला सेक्टर योजनाओं हेतु केन्द्रांश

5- केन्द्र पुरोनिधानित राज्य सेक्टर योजनाओं हेतु केन्द्रांश,

6- शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना,

7- सहकारिता क्षेत्र,

8- संस्थागत वित्त से,

9- स्थानीय स्वायत्त गठित संस्थाओं से,

10- गैर सरकारी नागरिको और उनकी संस्थाओं से ।

वार्षिक योजना 1990-91 के लिए निम्न प्रकार धनराशि प्राप्त होने की आशा व्यक्त की गई है :-

मद	वर्ष 1990-91 में प्राप्त होने वाली धनराशि (हजार रूपये में)
1- जिला सेक्टर योजना	136305=00
2- राज्य सेक्टर योजना	79444=00
3- केन्द्र पोषित जिला सेक्टर (केन्द्रांश)	121505=00
4- केन्द्र पोषित राज्य सेक्टर (केन्द्रांश	1060=00
5- संस्थागत वित्त	185776=00
6- ग्रामसभा का अँश	132=50
7- शत प्रतिशत केन्द्र पोषित	58158=00

निगमों/परिषदो द्वारा पूँजी निवेश का कोई संकेत नहीं प्राप्त हो सका है । सहकारिता तथा स्थानीय निकाय स्वायत्त संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सहायता का भी संकेत नहीं प्राप्त हुआ है ।

(क्रमागत..29पर)

जिला सेक्टर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने के लिए निम्न मदो से भी सहायता प्राप्त करना प्रस्तावित है :-

1- संस्थागत वित्त	185776=00
2- केन्द्र सरकार का अँश	121505=00
3- ग्रामसभा का अँश	132=50
4- अन्य श्रोत्र	-

संस्थागत वित्त 1990-91

संस्थागत वित्त से जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में निम्न प्रकार से सहायता प्राप्त करना लक्षित है :-

वैंकवार, क्षेत्रवार, योजनावार ऋण योजना का ब्यौरा

(धनराशि हजार रूपये में)

विकास खण्ड समस्त क्षेत्र एवं योजना/गतिविधि	समस्त बैंक प्रदत्त किया जाने वाला ऋण		
	खातो की संख्या	सेवा क्षेत्र में दिया जाने वाला ऋण	कुल दिया जाने वाला ऋण
1	2	3	4
(1)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधि :	58015	129269	130268
1.क- कृषि	49578	39925	100035
क-1 फसली ऋण	40434	52939	52979
क-2 कृषि हेतु अधिकतम ऋण	9144	46986	47056
2.1 सिंचाई	4353	26009	26037
2.2 कृषि यन्त्र	1254	13010	13115
2.3. जुताई के लिए ऋण	3537	7867	7904
2.4. बायोगैस	385	1351	1351
(ख)-कृषि से सम्बद्ध गतिविधियाँ	8437	29344	30233
ख.1 दुग्ध उत्पादन	5337	20543	20892
ख.2 बकरी/भेड़ पालन	1397	2664	2664
ख.3 सुअर/कुक्कुट पालन	1054	2576	2696

1	2	3	4
ख.4 मत्स्य पालन	197	1568	1738
ख.–5 उर्वरक एवं कीटनाशक का वितरण एवं अन्य	67	642	892
§2§– लघु उद्योग/ग्रामीण कारीगर	2137	6240	9655
§3§ लघु परिवहन परिचालक	1852	7289	9047
§4§– फुटकर व्यापार	3420	9774	10904
§5§ लघु व्यवसाय	587	1821	2288
§6§ व्यवसायिक एवं स्वनियोजन	2372	5878	6579
§7§ शैक्षिक	1	10	10
§8§ दुर्बल वर्ग को आवासीय ऋण	15	55	55
§9§ उपभोग ऋण	91	62	82
योग :	68641	163398	176988
अन्य ऋण	–	–	8788
कुल योग :	68641	163398	185776
10–इनमें से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण	15880	56415	56415

अध्याय-6

जनपद में चल रहे विकास कार्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं प्रस्तावित भावी कार्यक्रम

6.1- वर्ष 1990-91 के लिए जनपद बाराबंकी को जिला सेक्टर आयोजनागत परिव्यय के रूप में 136305.0हजार रूपया आँवटित किया गया है । गत वर्ष जिला योजना में जिला सेक्टर से 122900.00हजार रूपया का परिव्यय स्वीकृत था।इसवर्ष मुक्त धनराशि के रूप में कोई धनराशि आरक्षित नहीं है । विभिन्न विभागों के सामान्य योजनाओं हेतु 136305.00हजार रूपया उपलब्ध हुआ ।

6.2- वर्ष 1990-91 में मुख्य रूप से चालू योजनाओं के बचनबद्ध व्यय एवं विस्तार योजनाओं पर धन प्रस्तावित किया गया है । परिसम्पत्तियों के निर्माण पर 58058.20 हजार रूपया का प्रस्ताव है ।

6.3- चालू योजनाओं के बचनबद्ध व्यय, उनके अपरिहार्य विस्तार की योजनाओं पर प्रस्ताव निम्न आधार पर किया गया है ।

1- पूर्व वर्षों(सॉतवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) में आरम्भ किये गये निर्माण कार्यो को जो अभी तक पूरे नहीं हो सके है आँठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही प्राथमिकता के आधार पर हर हालत में पूरा करना ।

2- विकास का लाभ समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग को भी मिले इसका पूरा प्रयास किया गया है ।

3- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के मदो में यथेष्ट प्राविधान किया जाना ।

4- ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए रोजगारपरक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।

5- जनपद की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं में विस्तार एवं सुदृढीकरण जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकें।

6- लक्ष्यो के निर्धारण में विभिन्न विभागों में परस्पर तालमेल का ध्यान रखा गया है ।

7- वर्ष 1990-91 की योजना संरचना में केन्द्र/राज्य सरकार की मूल नीतियों का पालन किया गया है ।

सेक्टरवार योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं प्रस्तावित भावी कार्यक्रम निम्न प्रकार है:

1- कृषि विभाग:

सप्तम् पंचवर्षीय योजनावधि में नियमित वार्षिक 5प्रतिशत के खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ । वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में 2.5प्रतिशत की वृद्धि हो सकी । वर्ष 1987 में सूखे का प्रकोप रहा । जिससे खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई । यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में सिंचाई सुविधा, अच्छे किस्म के बीज एवं उर्वरक कृषको को आसानी से उपलब्ध हो जायें जिससे खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।

शासन द्वारा धान उत्पादन बढ़ाने हेतु चावल उत्पादन की विशेष योजना चलाई जा रही है । कृषक को समय-समय पर नई तकनीकी विधियो की जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए शीघ्र ही टी. एन. वी. योजना जनपद में प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

वर्ष 1990-91 में जिलासेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत निम्न योजनायें प्रस्तावित है :

1- प्रदेश के मैदानी भागो में बीज विधायन संयंत्र की स्थापना:

सॉतवी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में यह योजना पूर्ण हो गई है । आठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में इस योजना हेतु कोई धन प्राविधानित करने की आवश्यकता नहीं है । अत: इस वर्ष इस योजना हेतु धन का प्राविधान नहीं किया गया है ।

2- प्रदेश के मैदानी भागो में गुणात्मक बीजो के सम्बर्द्धन संग्रहण एवं वितरण की योजना :

इस योजना से बीज सम्बर्द्धन, संग्रहण एवं वितरण का कार्य सम्पन्न होता है मुख्यतया जनपद में सात क्षेत्र, एक सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन क्षेत्र पर होने वाले व्यय को ही पूर्ण किया जाता है । कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रमाणित बीज एक महत्त्वपूर्ण कृषि निवेश है जिसके प्रयोग करने से उत्पादन में 20प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती हैगत वर्ष 89-90 में इस

योजना पर 2561.00हजार रूपया आवंटित था । वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 2683.00हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । जिससे वर्ष 1990-91 में 8000कुन्तल गुणात्मक बीजो के सम्बर्द्धन, संग्रहण एवं वितरण का लक्ष्य पूरा किया जायेगा । निर्माण कार्यों में 1990-91 में विभागीय बीज भण्डारों हरख, बद्दोसरायँ, किन्हौली, कतुरीकलाँ, सूरतगंज, रानीगंज, भीखरपुर, मैलारायगंज, सराय बरई, नरौली, इलियासपुर, असन्द्रा, सिद्धौर, कोठी एवं रामनगर पर हैण्ड पम्प एवं चबूतरो का निर्माण किया जायेगा जिस पर 51.00हजार रूपया खर्च होगे । धौरहरा प्रक्षेत्र हेतु एक ट्रैक्टर क्रय किया जाना आवश्यक है । जिस पर 150.00हजार रूपये का खर्च आयेगा कार्यालय प्रांगण में साइकिल शेड, एवं फर्श के निर्माण पर 52.00हजार रूपये व्यय होगे जिनका प्राविधान इस योजना में किया गया है ।

वर्ष 1990-91 में निम्न विवरण के अनुसार प्रस्ताव किया गया है :

(अ) कृषि विभाग:

मद	धनराशि (हजार रूपये में)
1- कार्यालय व्यय	10.00
2- मजदूरी	1000.00
3- माल सम्पूर्ति	1020.00
4- साज सज्जा एवं अनुरक्षण	100.00
5- निर्माण कार्य	253.00
योग जिला कृषि कार्यालय:	2383.00

(ब)-सम्भागीय कृषि परीक्षण केन्द्र:

मद	धनराशि (हजार रूपये में)
1- मजदूरी	150.00
2- माल सम्पूर्ति	100.00
3- गत वर्ष के नलकूप निर्माण के शेष धनराशि का भुगतान	50.00
योग :	300.00

कुल योग :- 2683.00

3- प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना:

इस योजना के अन्तर्गत कृषि रक्षा उपकरण क्रमय करने हेतु 50.00हजार रूपया, अनुरक्षण पर 15.00 हजार रूपया एवं अन्य व्यय 5.00हजार रूपये का अनुमान है । इस प्रकार इस योजना हेतु कुल 70.00हजार रूपये का प्राविधान किया गया है । गत वर्ष इस योजना पर 100.00हजार रूपया का परिव्यय आँवटित था ।

कृषि विभाग -राज्य सेक्टर योजनायें :

जनपद की निम्न राज्य सेक्टर योजनायें प्रस्तावित है जिन पर निम्न प्रकार व्यय होने का अनुमान है :-

योजना का नाम	(धनराशि हजार रूपये में)
1- गेहूँ की फसल पर गेहुँआ एवं खरपतवार नियंत्रण की केन्द्रपोषित योजना	110.00
2- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित जूट विकास की योजना	37.00
3- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित तिलहन विकास की योजना	110.00
4- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन फसलों के उत्पादन की योजना	75.00
5- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित ऊसर सुधार की योजना	240.00

कृषि विभाग-(शतप्रतिशत केन्द्र पोषित योजना)

जनपद में शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत विशेष चावल उत्पादन की योजना चल रही है जिस पर वर्ष 1990-91 में 2500.00हजार रूपया व्यय होने का अनुमान है ।

2- उद्यान विभाग

उद्यान विभाग:

जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 447160 हेक्टयर है जिसमें से 10823 हेक्टयर उद्यानों एवं वृक्षों के अन्तर्गत है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 2.42प्रतिशत है । उद्यानों के विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है । जनपद में उद्यान विकास से सम्बन्धित समस्त योजनायें जिला सेक्टर से पोषित

है । जनपद में चल रही योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-योजना का नाम: औद्योनिक फसलों के गुणात्मक उत्पादन, बीज सम्बर्द्धन एवं आधुनिकीकरण की योजना (1990-91)

इस योजना के अन्तर्गत राजकीय पौधशाला उधौली-5 एकड़ का रखरखाव एवं राजकीय शाकभाजी एवं बीज सम्बर्द्धन प्रक्षेत्र पड़री-17 एकड़ का रखरखाव किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत उन्नतिशील प्रजाति के पौधों एवं शाकभाजी बीज का सम्बर्द्धन किया जाता है ।

1- अनावर्तक व्यय

मद	धनराशि (हजार रूपये में)
1- जम्प हाउस (एक)	25.00
योग :	25.00

2- आवर्तक व्यय

मद	धनराशि (हजार रूपये में)
1- मजदूरी	180.00
2- यात्रा भत्ता	8.00
3- माल सम्पूर्ति	100.00
4- कार्यालय व्यय	5.00
5- अनुरक्षण	10.00
6- मशीन एवं साज सज्जा	15.00
7- अन्य	60.00
योग :	378.00
कुल योग :	403.00

2-योजना का नाम: पौध एवं बल्ब उत्पादन सम्बर्द्धन एवं प्रसार की योजना:

जनपद में स्थित सभी टाउन एरिया में हैदरगढ़ टाउनएरिया सबसे बड़ी टाउनएरिया है । किन्तु दुर्भाग्य से इस टाउन एरिया के लिए कोई भी उद्यान संचालित नहीं है । काफी समय पूर्व इस टाउनएरिया में सार्वजनिक बाल उद्यान का रखरखाव किया जाता था जिसका क्षेत्रफल 1.01 एकड़ था परन्तु टाउनएरिया की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण इस पार्क का रखरखाव नहीं किया जा रहा है और यह उद्यान जीर्णशीर्ण पड़ा हुआ है । ऐसी स्थिति में टाउनएरिया कमेटी द्वारा सार्वजनिक बाल उद्यान हैदरगढ़ एवं एक नवीन भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल

1.25 एकड़ है का उद्यान की स्थापना हेतु उद्यान विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है । अतएवं टाउनएरिया निवासियों के स्वस्थ मनोरंजन एवं पर्यावरण सुधार तथा जनमानस में पुष्पो के प्रति अभिरूचि जागृति करने के उद्देश्य से उपरोक्त पार्क को तकनीकी ढ़ॅग से उपयुक्त बनाना है ।

इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में चयनित सुपात्र लघु/सीमान्त कृषको के तीन प्रदर्शन एक-एक एकड़ क्षेत्र पर किये जायेगें । इसके अन्तर्गत एक एकड़ का प्रदर्शन नवीन उद्यान रोपड़ एवं दो प्रदर्शन पुराने अनुत्पादक उद्यानों से जीर्णोद्वार द्वारा पुन: अपेक्षित उत्पाद प्राप्त करने का प्रस्ताव है । नवीन उद्यान रोपित करने हेतु आवश्यक निवेश यथारोपण सामग्री, उर्वरक, पौध रक्षा सामान, एवं सामयिक जानकारी के साथ उपयोगी साहित्य का नि:शुल्क वितरण प्रस्तावित है । इस कार्यक्रम से लाभार्थी कृषक अपनी भूमि की सिंचाई व श्रम की आपूर्ति स्वयं करेंगें । प्रत्येक नवीन उद्यान रोपण पर 100रूपये एवं पुराने उद्यानो को लाभकर स्थिति में लाने सम्बन्धी प्रदर्शन पर 750/=रूपये का व्यय प्रस्तावित है।

इस कार्यक्रम पर 1990-91 में कुल 401.00हजार रूपये का व्यय प्रस्तावित है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

मद	धनराशि (हजार रूपये में)
अ **<u>नार्वतक व्यय:</u>**	
1- पम्प हाउस (एक)	25.00
<u>आर्वतक व्यय</u>	
1- स्थापना	10.00
2- मजदूरी	170.00
3- यात्रा भत्ता	1.00
4- कार्यालय व्यय	6.00
5- मशीन एवं साज सज्जा	5.00
6- माल सम्पूर्ति	100.00
7- अन्य व्यय	84.00
योग:	376.00
महायोग :	401.00

<u>3-योजना का नाम- हरिजन एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना:</u> (1990-91)

यह चालू योजना है इस योजना के अन्तर्गत जनपद के तीन अनुसूचित जाति

बाहुल्य विकास खण्डों हरख, सिद्धौर एवं फतेहपुर के लघु/सीमान्त कृषको को अनुदान पर औद्यानिक निवेशों को उपलब्ध कराया जाता है ।

इस योजना के अन्तर्गत 58.00हजार रूपया व्यय होना प्रस्तावित है । जिसका विवरण निम्नवत् है :-

मद	धनराशि(ह0 र रूपये में)
1- कार्यालय व्यय	6.00
2- यात्रा भत्ता	10.00
3- किया अनुदान	2.00
4- सहायक अनुदान	30.00
5- प्रशिक्षण	10.00
योग :	58.00

3= गन्ना विभाग

जनपद का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 290227 हेक्टयर है जिसमें से कुल गन्ना का क्षेत्रफल 12113 हेक्टयर है जो कुल बोये गये क्षेत्र का 4.17 प्रतिशत है । गन्ना का कुल उत्पादन 4.89लाख मी0टन है । वर्ष 1988-89 में उन्नति -शील प्रजातियों के बीज 3000 कुन्तल वितरित किया गया । कृषको को गन्ना की अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु उन्हें कृषि रक्षा यन्त्र, कृषि रक्षा दवायें अच्छे किस्म के बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है ।

जिला सेक्टर मे जो योजनायें प्रस्तावित की गई है उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1- गन्ना उत्पादको को सस्ते दर पर फसल रक्षा यन्त्र उपलब्ध कराने की योजना:

इस योजनान्तर्गत छोटे/अनुसूचित जाति के गन्ना कृषको की मानवचलित गन्ना रक्षा यन्त्र उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना में छोटे कृषको को 25% एवं अनुसूचित जाति के कृषको को 33- 1/3 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान है । सत्र 1989-90 में 50यन्त्र वितरित हुए वित्तीय प्रगति 10,000/=रूपये की रही । वर्ष 1990-91 हेतु भी 50 यन्त्र वितरण का लक्ष्य है इसके निमित्त 10,000/= रूपये का प्राविधान किया गया है जिससे लक्ष्य की पूर्ति की जा सके ।

2- गन्ना बीज के यातायात व्यय पर अनुदान देने की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत आधार पौधशाला हेतु गन्ना शोध केन्द्रों से जो न्युक्लियस बीज लाया जाता है उसका शत-प्रतिशत यातायात व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है । 10कि0मी0 की दूरी से ऊपर की दूरी से प्राथमिक एवं माध्यमिक पौधशालाओं की स्थापना हेतु पं.धशालाओं से बीज लाने की स्थिति में अनुसूचित जाति के कृषको को दो रूपया प्रति कुन्तल एवं छोटे कृषको को 1.50रूपया प्रतिकुन्तल की दर से अनुदान देने का प्राविधान है । इस कार्य की पूर्ति गन्ना शोध केन्द्र के बीज की उपलब्धता एवं कृषको की मॉग के अनुरूप सम्पन्न होती है । यह कार्यक्रम गन्ने के बावत अक्तूबर तथा फरवरी से प्रारम्भ होता है । सत्र 88-89 में वित्तीय व्यय 10000/=रूपया रहा 89-90 में 8000/= रूपये की वित्तीय स्वीकृति है । सत्र 1990-91 के लिए भी 8,000/= का प्रस्ताव है जिससे योजना का कार्यान्वयन किया जा सके ।

3- आधार गन्ना बीज के उत्पादन की योजना:-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत द्विस्तरीय पौधशालाओं की स्थापना कराई जाती है। आधार, प्राथमिक, माध्यमिक। सत्र 1990-91 के विभागीय मानक के अनुसार आधार, प्राथमिक, का लक्ष्य क्रमशः 59.000, 191.000 हेक्टेयर प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत पौधशाला धारक को प्रति हेक्टेयर 500 रूपया आधार, 375 रूपया प्राथमिक की दर से अनुदान दिया जाता है। वर्ष 90-91 का प्रस्ताव भौतिक लक्ष्य के अनुरूप है वर्ष 90-91 हेतु 101,000/ रूपये की मॉग प्रस्तावित है । विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धन के अधिक मॉग का मुख्य कारण यह है कि त्रिस्तरीय पौधशाला लगाने के स्थापन द्विस्तरीय पौधशाला की स्थापना कराई जायेगी तथा माध्यमिक पौधशाला का लक्ष्य प्राथमिक में तथा प्राथमिक का लक्ष्य आधार पौधशाला में परिवर्तित कर दिया गया है।

4- उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास की योजना:-

इस योजनान्तर्गत समुन्नत एवं वैज्ञानिक गन्ने की खेती के प्रचार एवं प्रसार की लिए कृषकों के यहाँ गन्ना प्रदर्शन रखने की व्यवस्था है। प्रदर्शन ध धारक को 1000/-रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है। गत वर्ष इस योजना हेतु 80.00 हजार आवंटित था। सत्र 90-91 में 80 हेक्टर का ल लक्ष्य प्रस्तावित है। सत्र 90-91 का प्रस्ताव भौतिक लक्ष्य के अनुरूप है। वर्ष 90-9 हेतु 80,000/- रूपये की मॉग प्रस्तावित है।

5- चीनी मिलों के 16 कि0मी0 परिधि क्षेत्र में सघन गन्ना विकास की योजना:-

इस योजनान्तर्गत दो कार्यक्रम चलाये जाते है (अ) बीज/ भूमि उपचार (ब) पेड़ी गन्ने पर यूरिया छिडकाव इस योजना के अन्तर्गत व्यय का 20%/अनुदान देने का प्राविधान प्रत्येक स्तर के कृषकों को है। वित्ततीय वर्ष 90-91 हेतु यूरिया छिडकाव एवं बीज भूमि उपचार का लक्ष्य क्रमशः 1600 एवं 1800 हे0 प्रस्तावित है यह लक्ष्य निर्धारित मानक पर आधारित है। वर्ष 1990-91 हेतु 20,000 /रु0 की माँग प्रस्तावित है।

गन्ना विकास विभाग को जिला योजना की संरचना वर्ष 1990-91 कृषकों द्वारा कार्यक्रम अपनाने की महत्ता, चीनी मिल एवं विभागीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की जा रही है । इस प्रकार गन्ना विभाग के लिए वर्ष 90-91 में 219.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

गन्ना विभाग राज्य सेक्टर :-

इसपद में कोई राज्य सेक्टर योजना नही रही है ।

4- लघु एवं सीमान्त कृषको को उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता

लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु एक विशेष योजना भारत सरकार की सहायता से परिचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों के अतिरिक्त जिनकी वार्षिक आय 3500/- वार्षिक है उनको भी कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति विकास खण्ड 14.0लाख रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है। जिसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों पर व्यय किया जायेगा:

1- निजी क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर सिंचन क्षमता का विस्तार।

2- लघु /सीमान्त कृषकों की खेती की सीमाए एवं कृषि भूमि पर ईधन, फलदार वृक्षो को लगाने हेतु ।

3- लघु /सीमान्त कृषकों को इलहन, तिलहन, उर्वरक के मिनी किट का वितरण।

4- लघु/सीमान्त कृषकों के भूमि के विकास एवं संरक्षण पर व्यय हेतु।

भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इस लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ।गत वर्ष इस योजना पर जिला सेक्टर से 11000.0 हजार परिव्यय स्वीकृत था।

आठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में इस योजना के अन्तर्गत प्रति विकास खण्ड 14.0 लाख रुपया की दर से जनपद पर कुल 224.0 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जिसका 50% भारत सरकार तथा 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस लिए जिला सेक्टर के अन्तर्गत इस योजना हेतु 112.0 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना से जनपद के लगभग 10.000 कृषक लाभान्वित होंगे।

5:: पशुपालन विभाग::

जिला योजना वर्ष 1989-90 जनपद- बाराबंकी।

वर्णनात्मक रिपोर्ट

जनपद में पशुधन विकास की दिशा में विगत वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक योजनायें जिला एवं राज्य स्तर के सहयोग से क्रियान्वित की गई है। सातवी योजना के अन्तिम चरण में इस वर्ष हमें चालू योजनाओं को पूरा करने की दिशा में विशेष प्रयास करने है। इस वर्ष केवल वही नवीन योजनाये समाविष्ट की गयी है जो अपरिहार्य तथा क्षेत्रीय विषमताओं से सम्बन्धित है। इस समय जनपद में 30 पशु चिकित्सालय, एक सचल पशु चिकित्सालय, एवं एक "द" श्रेणी औषधालय, 68 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत है। कुक्कुट विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं कीपूर्ति हेतु कुक्कुट प्रक्षेत्र मसौली की स्थापना छठी योजना में की जा चुकी है। जनपद में कार्यरत 41 अतिहीमीकृत बीर्य उपयोग केन्द्रो को तरल नत्रजन एवं बीर्य स्ट्रा की आपूर्ति हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत् अति-हीमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र निवलेट प्रक्षेत्र पर सूकर प्रजनन केन्द्र की स्थापना सातवी योजना में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सहयोग से की गयी है। जिसका वार्षिक व्यय जिला योजना में प्रदान किया जा रहा है। आठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 90-91 में एक नई योजना शुरु की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए साड़ों का क्रय किया जायेगा। वर्ष 90-91 में कार्यान्वित होने केलिए विभिन्न विभागीय योजनाए निम्न प्रकार है:

1- पशु चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाओ में सुधार एवं विस्तार की योजना:

(अ) जनपद में कार्यरत 30 पशु चिकित्सालय, 01 सचल पशु चिकित्सालय, 01 द-श्रेणी औषधालय एवं 68 पशु सेवा केन्द्रों मे विभागीय मानक के अनुसार अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से औषधि आदि पर निम्न विवरण के अनुसार

क्रमागत—— 41 पर

व्यय का प्रस्ताव किया जा रहा है:-

1- 31 पशु चिकित्सालय x 10,000	= 3,10,000-00
2- 68 पशु सेवा केन्द्र+ 01द श्रेणी औषधालय यानी 69x 2000	- 1,38,000.00
3- सचल बाहन के अनुरक्षण व्यय	5000.00
योग	45,3000.00

(ब) नये पशु चिकित्सालयो की स्थापना:

जनपद में चार नये पशु चिकित्सालय विकास खण्ड-बनीकोडर एवं हरख में क्रमशः देवीगंज एवं जैदपुर में तथा दो अन्य वर्तमान पशु सेवा केन्द्रों का उच्चीकरण करते हुए पशु चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव है इस पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय प्रस्तावित है:-

पद		वेतन आदि की धनराशि
1. पशु चिकित्साधिकारी	04	72,150,00
2. पशु औषधिक	04	32,150.00
3. पत्रवाहक	04	
4. पोरटर	04	36,500.00
5. स्वीपर /चौकीदार	04	
	उप योग	140,800.00

कन्टीजेन्सी

1. भवन किराया	4x1500.00	6000.00
2. औषधि क्रय	4x8000.00	27500.00
3. साज सज्जा एवं उपकरण	2x20,000	70000.00
	उपयोग	103500.00
	कुल योग	244300.00

(स) जनपद के 5 पशु चिकित्सालयो के अनावासीय भवनो के निर्माण हेतु वर्ष 90-91 में 960 हजार रुपये पूंजीगत मद में व्यय का प्रावधान किया गया है।

क्रमागत ——— 42 पर

इस प्रकार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1657.3000 रुपये का प्राविधान किया जा रहा है।

2– <u>खुर पका –मुँहपका रोग की रोकथाम (केन्द्र पोषित)</u>

शंकर प्रजाति के उन्नति शील पशुओं के निरन्तर वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए एफ०एम०डी० वैक्सीन आधे मूल्य पर पशुओं को टीका लगाया जाता है। इस योजना हेतु राज्यांश के रूप में 10,000 रु० की धनराशि प्रस्तावित है। तथा 10 हजार केन्द्र से प्राप्त होगा।

3– <u>कृत्रिम गर्भाधान के ढाँचे का सुदृढ़ीकरण योजना:</u>

इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत 3 ग्राम समूह केन्द्र 18 गर्भाधान केन्द्र एवं 63 उप केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त निवेश प्राविधानित है:-

1– ग्राम समूह केन्द्र 3x1500	4500.00
2– कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र 18x500	9000.00
3– कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र 63.500	31500.00
4– ग्राम समूह इकाई 18x 700	12600.00
5– तीन मोटर साइकिलों के पेट्रोल अनुरक्षण पर व्यय 3X 1000	3000.00
6– कृत्रिम गर्भाधान भवन निर्माण-हेतु	54000.00
योग	1,14,600.00

4– <u>अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार:</u>

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत 48केन्द्रो पर तरल नेत्रजन, स्ट्राज तथा अन्य प्रकीर्ण पर व्यय हेतु प्रति केन्द्र 8000/– की दर से प्रस्तावित है। केन्द्रों पर तरल नत्रजन/स्ट्राज की आपूर्ति हेतु बाहन के अनुरक्षण एंव जीप चालक के वेतन आदि पर व्यय की निम्न धनराशि प्रस्तावित है:-

1. स्ट्राज /तरल नत्रजन तथा परिवहन सम्बन्धी एवं अन्य प्रकीर्ण व्यय	384000.00
2. विभिन्न केन्द्रों को तरल नत्रजन आदि की आपूर्ति एवं परिवहन के लिए . आदि परव्यय	50000.00
3. न्याय पंचायत स्तरीय 05 इन्सीमीनेटर्स के लिए आवंटित व्यय हेतु	25000.00
योग	459000.00

5- <u>नये कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना एवं वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण:</u>

कुक्कुट प्रक्षेत्र मसौली को पुर्नगठित करने हेतु ब्रुडर हाउस नाली, विद्युत लाइन एवं अन्य मशीनों की मरम्मत हेतु 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की जाती है इसके माध्यम से केन्द्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना सम्भव हो सकेगा।

6- <u>बकरी प्रजनन सुविधाओं का प्रसार:</u> इस योजना के अन्तर्गत/विभिन्न पशु चिकित्सालयों पर प्रजनन कार्य हेतु रखे गये 38 बकरों के भरण पोषण तथा 6: अन्य पशु चिकि0 {1-चौबीसी} 2 हसुवारार, 3 त्रिवेदीगंज, 4 दादरा 5 कैसर गैंज, 6 सुबेहा}पर भी दो-दो बकरे क्रय किये जायेंगे तथा उनका भरण पोषण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन छ: चिकित्सालयों पर छ: बकरा छादकों का निर्माण किया जायगा इस योजना हेतु 45.00 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें 30 हजार भर पोषण आदि पर तथा 15 हजार रुपये निर्माण कार्यों पर व्यय होगा।

7- <u>भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य सेवायें:-</u>

वर्ष 90-91 में 20 उन्नति शील भेड़ो के क्रय एवं वितरण का प्राविधान है इनकी संततियों तथा स्थानीय भेड़ो को सामूहिक दवापान हेतु 10,000/ की धनराशि व्यय के लिये प्रस्तावित है।

8- <u>सूकर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण:-</u>

क-अ} सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र निवलेट फार्म पर एवं नये सूकरों के भरण पोषण तथा अन्य व्यय एवं दो पशु चिकित्सालय दरियाबाद एवं सिद्धौर पर रखे गये सूकरों के भरण पोषण तथा अन्य निर्माण कार्य आदि पर व्यय हेतु 126.00 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

9- <u>पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का विकास एवं प्रचार की योजना:</u>

पूर्व वर्षों की भाँति जनपद में पशु मेला -देवा/महादेवा तथा पशु प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रक्षेत्र पर प्रचार सामग्री एवं पारितोषिक आदि हेतु 15 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

10- <u>चारा/चारीबीज / चारागाहो के विकास की योजना:</u>

उन्नतिशील चाराबीजों के क्रय एवं कीट नाशक दवाओं आदि पर व्यय हेतु 50 हजार रुपये का प्राविधान न किया गया है।

11- <u>प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं साड़ो के क्रय की योजना:</u>

जनपद के विकास खण्ड सूरतगंज में पशु सेवा केन्द्र छेदा पर प्राकृतिक गर्भा-

क्रमागत ....44 पर

-धान केन्द्र की सस्थापना की जायेगी जिसमें साड़ों के खान पान तथा अन्य व्यय हेतु 17.20 हजार रुपये तथा भवन निर्माण हेतु 185.00 हजार रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए यह योजना आवश्यक है।

इस प्रकार वर्ष 1990-91 में पशु पालन विभाग की योजनाओं हेतु 2719.10 हजार का प्राविधान किया गया है। जबकि गत वर्ष 1989.90 में इस विभाग की 1791.10 हजार आवंटित था इस वर्ष योजना की महत्ता एवं निम्नलि कार्यों की वजह से परिव्यय बढ़ा दिया गया है।

====

6:: मत्स्य विभाग::
वर्ष 1990.91 की जिला योजना

जनपद के सभी विकास खण्डों में मत्स्य पालन की योजना चल रही है। इसके अन्त र्गत ग्रामीण अंचल के निर्बल वर्ग, मछुवा वर्ग के व्यक्तियों को 10 वर्षीय पट्टा दिये हुए तालाबों को सुधारने हेतु विश्व बैंक की सहायत से ऋण दिया जाता है और ऋण का 25 प्रतिशत, मत्स्य पालक को अभिकरण द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों को 10 दिन का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता जिससे मत्स्य पालक अपने सुधरे हुए तालाब में वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन करके अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकें।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1990.91 में 100 हेक्टेयर तालाबों का सुधार तथा 100 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी योजना पर 950.00 हजार रुपये का व्यय अनुमानित है। जिसमें 702.00 हजार रुपये राज्यांश और 248.00 हजार रुपये केन्द्रांश है। इस योजना में निम्न प्रकार व्यय प्रस्तावित है:-

1- <u>तालाब सुधार:</u>

जनपद में उपलब्ध निजी एवं पट्टे के तालाबों के सुधार एवं निवेशों हेतु अधिकतम 16000+ 4000 = 20000.00 की सीमा तक ऋण बैंकों द्वारा दिलाया जाता है। ऋण का 25 प्रतिशत अभिकरण द्वारा अनुदान लाभार्थी को दिया जायगा वर्ष 90-91 में 100 हे0 जल क्षेत्र के सुधार का लक्ष्य रखा गया है जिस पर अनुमानत: 500.00 हजार रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें 271 हजार रुपये का प्राविधान जिला योजना 90-91 से तथा शेष धनराशि पी0एल0ए0 खाते से वहन किया जा-
-येगा।

क्रमागत...45पर

2- कार्यालय व्यय:

इस मद में सभी प्रकार के व्यय (वेतन भत्ते मोटरगाडी अनुरक्षण प्रकीर्ण आदि) पर कुल 700 हजार रुपये व्यय होनक का अनुमान है जिसमें से 452 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है शेष धनराशि केन्द्रांश के रुप में वहन किया जायगा।

3- अंगुलिका वितरण:

सुधारे गये पट्टे द्वारा एवं निजी क्षेत्र के तालाबों हेतु अंगुलिकाओ का वितरण 5 निजी हैचरी से विभागीय दर पर क्रय करके किया जाता है।

4- प्रशिक्षण:

तकनीकी ढंग से मत्स्य पालन करने हेतु मत्स्य पालकों को 10 दिन का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 90-91 में 100 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर प्रशिक्षण भत्ता देने पर 15.00 हजार का व्यय होगा। जिसका प्राविधान कर लिया गया है।

5- प्रचार एवं प्रसार:

जनपद के ग्रामीण अंचलों में आवश्यक मत्स्य पालन सम्बन्धी साहित्य का वितरण करके, निर्बल वर्ग एवं निजी मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु प्रो--साहित किया जाता है 4 तहसील एवं चयनित विकास खण्डो पर गोष्ठियों का आयोजन कर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा मत्स्य पालन बाहुल्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन से सम्बन्धित फिल्म शो दिखाकर मत्स्य पालन हेतु ग्रामीण अंचल के निवासियों को प्रोत्साहित किया जाता है अभिकरण के कर्मचारी तालाबों के पट्टे पात्र व्यक्तियों को करवाने में मदद करते है।

6- देवा मछलीघर के रख-रखाव पर व्यय:

देवा में निर्मित मछली घर की प्रति वर्ष देवा मेला से पूर्व रंगाई एवं पुताई कराई जाती है तथा प्रचार प्रसार हेतु विद्युत की विशेष व्यवस्था की जाती है मछली घर में 23 एक्वोरियम रखे है जिनमें पूरे वर्ष रंगीन मछलियाँ रखी जाती है। इस योजना पर 14.00 हजार व्यय होने का अनुमान है। जिसका प्राविधान कर दिया गया है।

इस प्रकार मत्स्य पालन की योजना हेतु कुल 702.00 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है जिसके द्वारा योजना का सही ढंग से कार्यान्वयन किया जा जायेगा।

क्रमागत —— 46पर

::7 बन विभाग ::

सामाजिक बानिकी योजना के अन्तर्गत खास तौर से पौध उगाने, पौध वितरण, पेड़ लगाने तथा उनके रख रखाव का कार्य किया जाता है। यह एक महत्व पूर्ण कार्यक्रम है इसलिए इस पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है।

इस योजना के अन्तर्गत सातवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक 1754 हे0 में वृक्षारोपण किया जा चुका था, तथा सातवी योजना के अन्तिम वर्ष 89-90 तक तक कुल 3396 हे0 भूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है।

वर्ष 1990.91 में इस योजना हेतु कुल 8075.00 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से 8000.0 हजार व्यय करके लगभग 200 हे0 भूमि पर वृक्षारोपण 250 हे0 अग्रिम मिट्टी कार्य तथा 60 लाख पौधे उगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 90-91 में शहरी क्षेत्रों के सामाजिक बानिकी के लिए 50.00 हे0 तथा कर्मचारियों को पेयजल तथा विद्युत सुविधा के लिए 25.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार वर्ष 90-91 में बन विभाग की योजनाओं के लिए कुल 8075.0 रु0 परिव्यय का प्राविधान किया गया है बन विभाग को गत वर्ष भी इतना ही परिव्यय आवंटित था।

बन विभाग राज्य सेक्टर : कोई योजना नही है।

---

8 :: सहकारिता विभाग ::

जिला सेक्टर योजना वर्ष 1990.91 की संरचना सम्बन्धी टिप्पणी :

सहकारिता विभाग हेतु गत वर्ष 89.90 मे 400.0 का परिव्यय आवंटित था। योजनाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 91-91 में कुल 648.0 हजार का परिव्यय निर्धारित किया गया है वर्ष 1990.91 में सहकारिता विभाग की निम्न योजनाए प्रस्तावित है:-

1- उपभोक्ता योजनाएँ: केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार को सीधा खरीद पर 2% की दर से मूल्य उतार -चढ़ाव निधि के अन्तर्गत 25.0 हजार प्रति वर्ष की स्वीकृति मिलती रही है जिसे भण्डार मूल्य उतार चढ़ाव से होने वाली हानि को समायोजित

क्रमागत —— 47पर

करता है। इस वर्ष भी इस कार्य हेतु 25.0हजार रूपये का प्राविधान किया गया है।

2- क्रय विक्रय योजना:

सहकारी क्रय विक्रय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ इस जनपद में 153 है। जिसमें से अब तक 100 समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु 15.0हजार की दर धनराशि आवंटित की जा चुकी है। इस वर्ष 1990.91 में 25 समितियों को रू0 15.0हजार प्रति की दर से 375.0 हजार का प्राविधान किया गया है जिसके फलस्वरूप 1990.91 तक कुल 125 सहकारी समितियाँ लाभान्वित होगी।

3- शीत गृह योजना:

दुर्बल शीत गृहों को पूर्ण क्षमता से चलाने हेतु शासकीय अंश पूंजी विनियोजन:- जनपद में जो सहकारी शीत गृह कार्यरत है उनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से दुर्बल होने के फलस्वरूप वे पूर्ण क्षमता से नही चला पाती है परिणाम यह होता है कि आलू व अन्य वस्तुए जो शीत गृह में रखी जाती हैसड़ जाती है, विगत वर्षों में कुछ शीत गृहों में आलू सड़ जाने के कारण किसानों तथा शीतगृहों का काफी नुकसान हुआ था। इस लिए ऐसे दुर्बल शीत गृहों को पूर्ण क्षमता से चलाने हेतु वर्ष 1990.91 में 200.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

4- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण:

वर्तमान समय में जनपद में जिला सहकारी बैंक की कुल 22 शाखाए कार्यरत है जिसमें 16 को प्रबन्धकीय सहायता प्राप्त हैचुकी है। इस वर्ष 1990.91 में 8000/- प्रति शाखा की दर से शेष 6 शाखाओं को प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 49.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार सहकारिता विभाग हेतु कुल 648.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

9:: क्षेत्रीय विकास॥ ग्राम्य विकास अभिकरण॥बाराबंकी॥::

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990.91 को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करने एवं इन विन्दुओं में परिलक्षित विषमताओं को दूर करने के लिए देश में कई पंचवर्षीय

क्रमागत------48पर

-धान केन्द्र की स्थापना की जायेगी जिसमें साड़ों के खान पान तथा अन्य व्यय हेतु 17.20 हजार रुपये तथा भवन निर्माण हेतु 185.00 हजार रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए यह योजना आवश्यक है।

इस प्रकार वर्ष 1990-91 में पशु पालन विभाग की योजनाओं हेतु 2719.10 हजार का प्राविधान किया गया है। जबकि गत वर्ष 1989.90 में इस विभाग की 1791.10 हजार आवंटित था इस वर्ष योजना की महत्ता एवं निम्नलिखित कार्यों की वजह से परिव्यय बढ़ा दिया गया है।

====

6:: मत्स्य विभाग::
वर्ष 1990.91 की जिला योजना

जनपद के सभी विकास खण्डों में मत्स्य पालन की योजना चल रही है। इसके अन्त र्गत ग्रामीण अंचल के निर्बल वर्ग, मछुवा वर्ग के व्यक्तियों को 10 वर्षीय पट्टा दिये हुए तालाबों को सुधारने हेतु विश्व बैंक की सहायता से ऋण दिया जाता है और ऋण का 25 प्रतिशत, मत्स्य पालक को अभिकरण द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों को 10 दिन का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता जिससे मत्स्य पालक अपने सुधरे हुए तालाब में वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन करके अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकें।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1990.91 में 100 हेक्टेयर तालाबों का सुधार तथा 100 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी योजना पर 950.00 हजार रुपये का व्यय अनुमानित है। जिसमें 702.00 हजार रुपये राज्यांश और 248.00 हजार रुपये केन्द्रांश है। इस योजना में निम्न प्रकार व्यय प्रस्तावित है:-

1- <u>तालाब सुधार:</u>

जनपद में उपलब्ध निजी एवं पट्टे के तालाबों के सुधार एव नवशा हतु अधिकतम 16000+ 4000 = 20000.00 की सीमा तक ऋण बैंकों द्वारा दिलाया जाता है। ऋण का 25 प्रतिशत अभिकरण द्वारा अनुदान लाभार्थी को दिया जायगा वर्ष 90-91 में 100 हे0 जल क्षेत्र के सुधार का लक्ष्य रखा गया है जिस पर अनुमानत: 500.00 हजार रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें 271 हजार रुपये का प्राविधान जिला योजना 90-91 से तथा शेष धनराशि पी0एल0ए0 खाते से वहन किया जा-

-येगा।

क्रमागत...45पर

2- कार्यालय व्यय:

इस मद में सभी प्रकार के व्यय (वेतन भत्ते मोटरगाडी अनुरक्षण प्रकीर्ण आदि) पर कुल 700 हजार रुपये व्यय होनक का अनुमान है जिसमें से 452 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है शेष धनराशि केन्द्रांश के रुप में वहन किया जायगा।

3- अंगुलिका वितरण:

सुधारे गये पट्टे द्वारा एवं निजी क्षेत्र के तालाबों हेतु अंगुलिकाओ का वितरण 5 निजी हैचरी से विभागीय दर पर क्रय करके किया जाता है।

4- प्रशिक्षण:

तकनीकी ढंग से मत्स्य पालन करने हेतु मत्स्य पालकों को 10 दिन का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 90-91 में 100 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर प्रशिक्षण भत्ता देने पर 15.00 हजार का व्यय होगा। जिसका प्राविधान कर लिया गया है।

5- प्रचार एवं प्रसार:

जनपद के ग्रामीण अंचलों में आवश्यक मत्स्य पालन सम्बन्धी साहित्य का वितरण करके, निर्बल वर्ग एवं निजी मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु प्रो--साहित किया जाता है 4 तहसील एवं चयनित विकास खण्डो पर गोष्ठियों का आयोजन कर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा मत्स्य पालन बाहुल्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन से सम्बन्धित फिल्म शो दिखाकर मत्स्य पालन हेतु ग्रामीण अंचल के निवासियों को प्रोत्साहित किया जाता है अभिकरण के कर्मचारी तालाबों के पट्टे पात्र व्यक्तियों को करवाने में मदद करते है।

6- देवा मछलीघर के रख-रखाव पर व्यय:

देवा में निर्मित मछली घर की प्रति वर्ष देवा मेला से पूर्व रंगाई एवं पुताई कराई जाती है तथा प्रचार प्रसार हेतु विद्युत की विशेष व्यवस्था की जाती है मछली घर में 23 एक्वोरियम रखे है जिनमें पूरे वर्ष रंगीन मछलियाँ रखी जाती है। इस योजना पर 14.00 हजार व्यय होने का अनुमान है। जिसका प्राविधान कर दिया गया है।

इस प्रकार मत्स्य पालन की योजना हेतु कुल 702.00 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है जिसके द्वारा योजना का सही ढंग से कार्यान्वयन किया जा जायेगा।

क्रमागत —— 46पर

::7 बन विभाग ::

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत खास तौर से पौध उगाने, पौध वितरण, पेड़ लगाने तथा उनके रख रखाव का कार्य किया जाता है। यह एक महत्व पूर्ण कार्यक्रम है इसलिए इस पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है।

इस योजना के अन्तर्गत सातवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक 1754 हे0 में वृक्षारोपण किया जा चुका था, तथा सातवी योजना के अन्तिम वर्ष 89-90 तक तक कुल 3396 हे0 भूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है।

वर्ष 1990.91 में इस योजना हेतु कुल 8075.00 हजार रुपये का परि-ब्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से 8000.0 हजार ब्यय करके लगभग 200 हे0 भूमि पर वृक्षारोपण 250 हे0 अग्रिम मिट्टी कार्य तथा 60 लाख पौधे उगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 90-91 में शहरी क्षेत्रों के सामाजिक वानिकी के लिए 50.00 ह0 तथा कर्मचारियों को पेयजल तथा विद्युत सुविधा के लिए 25.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार वर्ष 90-91 में बन विभाग की योजनाओं के लिए कुल 8075.0 रु0 परिब्यय का प्राविधान किया गया है बन विभाग को गत वर्ष भी इतना ही परिब्यय आवंटित था।

बन विभाग राज्य सेक्टर : कोई योजना नही है।

:-

...है।

---

8 :: सहकारिता विभाग ::

जिला सेक्टर योजना वर्ष 1990.91 की संरचना सम्बन्धी टिप्पणी :

सहकारिता विभाग हेतु गत वर्ष 89.90 मे 400.0 का परिब्यय आवंटित था। योजनाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 91-91 में कुल 648.0 हजार का परिब्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1990.91 में सहकारिता विभाग की निम्न योजनाए प्रस्तावित है:-

1- उपभोक्ता योजनाएँ: केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार को सीधा खरीद पर 2% की दर से मूल्य उतार -चढ़ाव निधि के अन्तर्गत 25.0 हजार प्रति वर्ष की स्वीकृति मिलती रही है जिसे भण्डार मूल्य उतार चढ़ाव से होने वाली हानि को समायोजित

क्रमागत ----- 47पर

करता है। इस वर्ष भी इस कार्य हेतु 25.0हजार रूपये का प्राविधान किया गया है।

2- क्रय विक्रय योजना:

सहकारी क्रय विक्रय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ इस जनपद में 153 है। जिसमें से अब तक 100 समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु 15.0हजार की दर धनराशि आवंटित की जा चुकी है। इस वर्ष 1990.91 में 25 समितियों को रू0 15.0हजार प्रति की दर से 375.0 हजार का प्राविधान किया गया है जिसके फलस्वरूप 1990.91 तक कुल 125 सहकारी समितियाँ लाभान्वित होगी।

3- शीत गृह योजना:

दुर्बल शीत गृहों को पूर्ण क्षमता से चलाने हेतु शासकीय अंश पूंजी विनियोजन:- जनपद में जो सहकारी शीत गृह कार्यरत है उनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से दुर्बल होने के फलस्वरूप वे पूर्ण क्षमता से नही चला पाती है परिणाम यह होता है कि आलू व अन्य वस्तुए जो शीत गृह में रखी जाती है सड़ जाती है, विगत वर्षों में कुछ शीत गृहों में आलू सड़ जाने के कारण किसानों तथा शीतगृहों का काफी नुकसान हुआ था। इस लिए ऐसे दुर्बल शीत गृहों को पूर्ण क्षमता से चलाने हेतु वर्ष 1990.91 में 200.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

4- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण:

वर्तमान समय में जनपद में जिला सहकारी बैंक की कुल 22 शाखाए कार्यरत है जिसमें 16 को प्रबन्धकीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। इस वर्ष 1990.91 में 8000/- प्रति शाखा की दर से शेष 6 शाखाओं को प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 49.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार सहकारिता विभाग हेतु कुल 648.0 हजार का प्राविधान किया गया है।

9:: क्षेत्रीय विकास एवं ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी ::

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990.91 को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करने एवं इन विन्दुओं में परिलक्षित विषमताओं को दूर करने के लिए देश में कई पंचवर्षीय

क्रमागत------48पर

योजनाओं का संचालन किया गया। इन योजनाओं में सफल क्रियान्वयन से देश की आर्थिक विपन्नता में आशातीत सुधार हुआ परन्तु सामाजिक एवं आर्थिक विषमता की खायी और गहरी होती गयी। देश की कुल जनसंख्या का 85% भाग कृषि तथा उसकी सहायक धन्धो पर निर्भर है। पाँचवाँ पंचवर्षीय योजना के अन्त में किए गये मूल्यांकन तथा अनुमानों से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र मेंरहने वाले कु ल परिवारों में 50% ऐसे परिवार है जिन्हें जीवनयापन करने के लिए मूल भूत आवश्यकताएँ भी पूरी करने के साधन उपलब्ध नहीं है और वे गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर जीवनयापन कर रहे है । इस स्थिति में सुधार लाने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की मुख्य मुद्दा बनाया गया और निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :-

§1§ बेरोजगारी व अर्द्ध बेरोजगारी को दूर करना

§2§ जनसंख्या के सबसे गरीब वर्ग के जीवन स्तर में अभिलक्षित उन्नति लाना

§3§ शासन, न्यूनतम आय श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को आधार भूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करना ।

उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत यह संकल्पना की गयी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त रोजगार की सुविधाएँ सृजित की जायें ताकि उनके जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर योजनाबद्ध तरीकों से लाया जा सके इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों में योजनाओं पर संविधानिक बल दिया गया । साथ ही कुछ ऐसी योजनाएँ भी कार्यान्वित की गयी जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हितो के लिए है और उनसे राष्ट्रीय स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम §जवाहर रोजगार योजना§ एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से परिचालित किये जाने का प्रावधान किया गया । इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरो को रोजगार देने की व्यवस्था भी की गयी ।

1- आई0आर0डी0 योजना (एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम):

छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के जीवनस्तर में सुधार लाने हेतु प्रति विकास खण्ड प्रतिवर्ष लगभग 827 परिवारों को ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी पर प्रत्यक्ष अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया और इसकी पूर्ति हेतु प्रति विकास खण्ड प्रतिवर्ष लगभग पूरेवर्ष में 22.00लाख रूपये का प्राविधान अनुदान हेतु किया गया जिसका 50% केन्द्रांश एवं 50% राज्यांश से उपलब्ध हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण, हस्तकार एवं कुशल कारीगरों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया जिसके दो प्रमुख उद्देश्य है :-

1- ग्रामीण कुटीर एवं परम्परागत उद्योग धन्धों को बढ़ावा देना,

2- बेरोजगार कुशल श्रमिको एवं कारीगरो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी बेरोजगारी दूर करना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में वांछित सुधार लाना ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्राइसेम योजना चलायी गयी और प्रति विकास खण्ड प्रतिवर्ष 40 ऐसे युवक/युवतियों को चयनित कर जो लक्षित परिवारों की श्रेणी में आते हो और 18 से 35आयुवर्ग में हो, प्रशिक्षित करने एवं ऋण/अनुदान द्वारा उनकी औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित कराकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया ।

यद्यपि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत सीमान्त एवं लघु कृषक जिनके पास क्रमशः 2.5एकड़ असिंचित अथवा उससे कम असिंचित भूमि और सिंचित 1.25एकड़, 5एकड़ असिंचित अथवा 2 एकड़ सिंचित भूमि हो और उनकी समस्त श्रोत्रों से वार्षिक आय रूपया 3500/= से अधिक न हो, कृषक मजदूर तथा गैर कृषक मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकार एवं दस्तकारों जिनकी वार्षिक आय रू0 3500/= से अधिक नहीं है को, योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराने हेतु सम्मिलित किया गया है और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने केप्रयास बराबर हो रहे है । यदि किसी विकास खण्ड में रू0 3500/= वार्षिक आयवर्ग के परिवार नहीं मिलते है तो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे तथा रूपया 4800/= की वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों का चयन करेंगे ।

01अप्रैल, 1985 से देश में आठवीं पचवर्षीय योजना प्रारम्भ है जिसमें उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यक्रमों को और व्यापक रूप एवं प्रभावी ढ़ँग से चलाए जाने है और उनमें गुणात्मक सुधार लाकर देश में व्याप्त आर्थिक विपन्नता एवं सामाजिक विषमताओं को दूर कर देश में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में इस सीमा तक सुधार लाने का प्रयास होगा कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर जीवन यापन कर सके और यह अनुभव कर सके कि वे एक स्वतन्त्र देश के नागरिक है जहाँ उन्हें भी भॅली भाँति सुख और सुविधा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है तथा वे भी इस देश के निर्माण में भागीदार है । इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु आँठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 हेतु प्रति विकास खण्ड लगभग 650परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा और उन्हें लगभग 20.00लाख रूपया अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें राज्यांश और केन्द्रांश दोनो सम्मिलित होगा । इस योजना हेतु जिला योजना 1990-91 में 15200.00हजार रूपये का प्राविधान किया गया है । इतना ही धन केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध होगा ।

10-जवाहर रोजगार योजना :-

गत वर्षो में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चल रही थी जिसका 50% परिव्यय राज्य सरकार द्वारा (जिला सेक्टर) तथा 50% परिव्यय केन्द्रांश के रूप में मिलता था । यह एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि इसमें गाँवों के विकास के साथ-साथ लाखों लोगो को रोजगार उपलब्ध होता है । योजना की महत्ता को देखते हुए जवाहर रोजगार योजना केन्द्र सरकारद्वारा वर्ष89-90 में चलाई गई वर्तमान में/अब केन्द्र सरकार कुल परिव्यय का 80% वहन करेगी राज्य सरकार इसमें50% श्रम एंव 50%सामग्री पर व्यय होता है । 20% परिव्यय वहन करेगी/। इस योजना पर आँठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में कुल 116000.00 हजार रूपये व्यय किये जायेगें जिसके लिए जिला सेक्टर से 23200.00हजार(20%) का प्राविधान किया गया है । शेष 92800.00(80%) का परिव्यय केन्द्रांश के रूप में मिलेगा । इस योजना से ग्राम सभाओं के विकास के साथ-साथ वर्ष 1990-91 में 32लाख 20हजार मानव दिवस सृजित होगें । जिससे बहुत से लोगो को रोजगार उपलब्ध होगा ।

====

11- भूमि सुधार

भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत के अन्तर्गत सीलिंग भूमि के आॅवटियों को आर्थिक सहायता नामक योजना द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आॅवटियों द्वारा इस धनराशि से प्राप्त जमीन की सुधार की जाती है । गत वर्ष इस योजना हेतु 250.00हजार रूपया का प्राविधान किया गया था । वर्ष 1990-91 में राज्यांश के रूप में 200.00हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । इतना ही धन केन्द्र के अंश के रूप में प्राप्त होगा । इस तरह इस योजना में कुल 400.00हजार रूपया व्यय किया जायेगा जिससे 400आॅवटी लाभान्वित होगें ।

12- पंचायतीराज

जनपद में कुल 153 न्याय पंचायत तथा 1556ग्रामसभाएँ है । इन ग्राम सभाओं में निर्माण कार्य हेतु एवं स्थिति सुधारने हेतु गत वर्ष 1989-90 में 1658.00हजार रूपया का आॅवटन किया गया था जिसमें से वास्तविक व्यय 1194.0हजार रूपया ही हुआ था अतः वर्ष 1990-91 में जिला सेक्टर योजना से 1358.00हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । जनपद स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि जो ग्रामसभायें मानक ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित हुई है उन ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य हेतु धन उपलब्ध कराया जायें । इसी कारण स्थल चयन का प्रस्ताव बाद में स्वीकार किया जायेगा । पंचायत विभाग को 132.50हजार ग्रामसभाओं से आप्त होगा

जिला सेक्टर में पंचायतराज विभाग के निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया है ।

1.पंचायतराज संस्थाओं की आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन योजना:

विभागीय निर्देशानुसार जिले को तीन सर्वोत्तम गॉवसभाओं को, प्रथम द्वित्तीय तथा तृतीय पुरूष्कार 3000/=, 2000/= तथा 1000/= रूपये दिया जाता है जिनकी विगत तीन वर्षो में आय में वृद्धि हुई है । वर्ष 1990-91 में इन गॉव सभाओं का चयन वर्ष 1989-90 की समाप्ति होने पर किया जायेगा। अतः अभी स्थल चयन सम्भव नहीं है । विगत वर्षो की भॉति बजट के लिए 6000/=रूपया का परिव्यय रखा गया है ।

§2§- ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिए खण्डजा तथा नालियों का निर्माण:

इस योजना के अन्तर्गत एक गॉव सभा में अधिकतम 20,000/=रूपया का खण्डजा तथा नाली निर्माण का कार्य स्वीकृत किया जाताहै। जिसमें से 18000/=रूपया शासकीय अनुदान के रूप में तथा 2000/=रूपया गॉवसभा को अपने संसाधनो से नकद अथवा श्रम के रूप में अॅशदान लगाना पड़ता है । अर्थात् गॉवसभा को कुल लागत का 1/10भाग अॅशदान अनिवार्य रूप से लगाना पड़ता है। वर्ष 1990-91 के लिए जनपद को 16 विकास खण्डो की चौसठ§64§ §04गॉवसभा प्रति विकास खण्ड§ गॉवसभाओं में खण्डजा तथा नाली निर्माण हेतु 11,00,000/= रूपया की मॉग की जा रही है । गॉवसभाओं का चयन चूॅकि अॅशदान की उपलब्धता के आधार पर किया जाना है । अस्तु 1990-91 के लिए अभी से स्थल चयन किया जाना सम्भव नहीं है ।

§3§- पंचायत भवनो का निर्माण :-

इस मद के अन्तर्गत गॉवसभाओं में पंचायत भवन निर्माण हेतु वर्तमान शासनादेशों के अन्तर्गत अधिकतम लागत 80हजार रूपये रखी गयी है । पंचायत भवनों के निर्माण में कुल लागत का 90% धनराशि शासकीय अनुदान तथा 10% धनराशि गॉवसभा द्वारा अपने संसाधनों से अॅशदान के रूप में लगाने का प्रविधान है । इस प्रकार 80हजार रूपये की लागत का 90% 72000/=रूपये शासकीय अनुदान तथा 8000/=रूपया गॉवसभा द्वारा अपने संसाधनों से नकद अथवा श्रम के रूप में लगाया जायेगा । जनपद में गॉवसभाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गॉवसभायें अपना अॅशदान लगाने में सक्षम नहीं हो पाती है । अस्तु वर्ष 1990-91 में इस योजना में मात्र 4पंचायत भवनो हेतु 2.25लाख रूपया का परिव्यय रखा गया है । गॉवसभाओं का चयन चूॅकि अॅशदान की उपलब्धता पर किया जाना है अस्तु 1990-91 के लिए अभी से स्थल चयन किया जाना सम्भव नहीं है ।

§4§- हाट-बाजार तथा मेलो की स्थिति में सुधार की योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत हाट-बाजार तथा मेला स्थल पर चबूतरे टीन शेड तथा पेयजल की व्यवस्था हेतु कुऍ तथा हैण्डपम्प का निर्माण कराया जाना है । शासन के निर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत एक गॉव सभा में

अधिकतम 15 हजार रुपया की लागत का कार्य कराया जा सकता है । स्वीकृत कार्य की कुल लागत का 90% धनराशि जिला योजना से अनुदान के रूप में दी जाती है तथा 10% गाँवसभा को अपने संसाधनों से नकद अथवा श्रम के रूप में लगाना अनिवार्य होता है ।

जनपद में गाँवसभाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गाँवसभायें अथवा अंशदान लगाने में सक्षम नहीं हो पाती है । अस्तु 1990-91 हेतु मात्र 27 हजार रुपया दो गाँवसभाओं हेतु परिव्यय रखा गया है । गाँव सभाओं का चयन चूंकि अंशदान की उपलब्धता के आधार पर किया जाना है। अस्तु अभी से स्थल चयन किया जाना सम्भव नहीं है ।

पंचायतराज:-राज्य सेक्टर

राज्य सेक्टर में केवल पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना है । जिसमें 12,000/= रुपये व्यय होने का अनुमान है।

13-ग्राम्य विकास(सामुदायिक विकास)

वर्ष 1989-90 हेतु शासन से 1500.00 हजार रुपया विकास खण्ड में आवासीय भवनों हेतु प्राप्त हुआ है । इस धनराशि को जिला . विकास कार्यालय भवन निर्माण हेतु व्यय किया गया । जिला विकास कार्यालय भवन हेतु कुल 5000.00 हजार रुपया की आवश्यकता होगी इसलिए वर्ष 1990-91 में 3500.00 हजार रुपया का प्राविधान किया गया है । जिससे जिला विकास कार्यालय एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय भवन का निर्माण किया जायेगा एवं विकास खण्ड वंकी में स्टोर का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए 38.50 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार ग्राम्य विकास (सामुदायिक विकास) हेतु कुल 3538.50 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है ।

14- निजी लघु सिंचाई

लघु सिंचाई विभाग बाराबंकी द्वारा 31-3-89 तक 247140 हे0 सिंचन क्षमा का सृजन किया जा चुका है तथा वर्ष 1989.90 में 13650 हे0 का लक्ष्य है प्रचुर मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क बोरिंग की योजना जनपद में चलाई जा रही है। इस समय शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत 71 है। वर्ष 1990.91 में 4000 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य रखा गया है। एवं 74000 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

जिला सेक्टर में निम्न योजनाये प्रस्तावित की गई है।

2- संयत्र एवं उपकरण

उपकरण एवं संत्र मद में वर्तमान उपलब्ध बोरिंग सेटों का रखरखाव मरम्मत छोटे उपकरणों तथा तार के रस्तों की व्यवस्था आदि व्यय सम्मिलित है। गत वर्ष 89.90 में इस योजना पर 297.0 हे0 परिव्यय आवंटित था। वर्ष 1990.91 में 220 हे0 रू0 का प्राविधान किया गया है।

2- बोरिंग गोदाम निर्माण:

सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 89.90 तक विकास खण्ड स्तरीय गोदामों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला स्तर पर केन्द्रीय भण्डार हेतु पिछले वर्ष 89.90 में 500हे0रू0 का आवंटन था जिससे भूमि क्रय, समतलीकरण, बाउन्ड्रीवाल आदि कार्य पूरा हो गया है। इस वर्ष 90.91 में भण्डार निर्माण हेतु 390 हजार रुपये की आवश्यकता पड़ेगी जिसका प्राविधान कर लिया गया है इस धन-राशि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्य किया जायेगा।

	(हजार रुपये में)
(अ) निशान शेड	300.00
(ब) ट्यूबलर शेड	50.00
(स) चौकीदार क्वार्टर	30.00
(द) स्टैकिंग प्लेटफार्म	10.00
योग	390.00

राज्य सेक्टर योजना:

इसमें कोई योजना नही है।

क्रमागत ——

15 राजकीय लघु सिंचाई

सिंचन क्षेत्र में वृद्धि के लिए राजकीय नलकूप भी एक मुख्य स्त्रोत है। 31-3-89 तक राजकीय नलकूपों की संख्या 283 है जिससे 28300 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन हो चुका है वर्ष 85-86 के आधार पर राजकीय नलकूपों से 4140हे0 की शुद्ध क्षेत्रफल की सिंचाई हुई थी । राजकीय नलकूपों की स्थिति सुधारने हेतु प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1989.90 में इस योजना हेतु 4297.0हे0रु0 का परिव्यय स्वीकृत था किन्तु व्यय केवल 2356.0 ही हो सका ।अतः इस वर्ष 90.91 में इस विभाग हेतु 2055.0 हजार का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1990.91 मे निम्न योजनाये प्रस्तावित की गई है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	एक राजकीय नलकूप निर्माण (सय अधिष्ठान व्यय)	850.00
2.	पाइप लाइन 8 कि.मी.	880.00
3.	पक्की कुल 2.00 किमी0	220.00
4.	वरहा 33 किमी0	105.00
		2055.00

अवशेष कार्यो के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्राविधान किया गया है।

राज्य सेक्टर योजना:

राज्य सेक्टर योजनाओं के सम्बन्ध में नलकूप विभाग से कोई सूचना प्राप्त नही हो सकी है।

16- ग्रामीण लघु उद्योग

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

1-मेला एवं प्रदर्शनी तथा औद्योगिक गोष्ठी:

विकास खण्ड देवा में मेले के अवसर पर तथा विकास खण्ड रामनगर में महादेवा मेले के अवसर पर एक-एक औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी।इसके अतिरिक्त एक औद्योगिक गोष्ठी तथा प्रदर्शनी करने की योजना है। वर्ष 1990.91 मे इस मद पर रु0 25000/हे0रु व्यय करने का प्रस्ताव है।

क्रमागत ——

2- जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण (राज्यांश)

समस्त औद्योगिक इकाईयों की जिन्हे वित्तीय संस्थानों से ऋण की सहायता प्रदान होती है उनके द्वारा पूर्ण अंशदान न जुटा पाने पर परियोजना की लागत का 10% तक मार्जिन मनी ऋण दिया जाता है। वर्तमान समय में ऋण की दर 10.5 % वार्षिक है। समय से अदायगी करने पर यह 2.5% की छूट अनुमन्य है। ऋण की अदायगी छः माही किस्तों में 8 वर्षों मे की जाती है। वर्ष 1990.91 में इस मद में 100.0 हजार व्यय होने का अनुमान है जिसका प्राविधान कर लिया गया है ।

3- एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना:

एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना अन्तर्गत अधिकतम रू0 3.00लाख रू0 तक का ऋण औद्योगिक इकाइयों की उनकी योजना को पूर्ण करने हेतु दिया जाता है । चूँकि जनपद औद्योगिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा जनपद है तथा इस जनपद में केन्द्रीय पूँजी उपादान देय है । जिससे साहसी उद्यमी इस पिछड़े जनपद में उद्योग लगाने हेतु प्रेरित हो हो रहे है । परिणामस्वरूप लगभग 5-6 औद्योगिक इकाईयो को प्रतिवर्ष एकीकृत मार्जिन मनी ऋण आवेदित करती है ।अतः रूपया 1100.00हजार रूपया का प्राविधान वर्ष 1990-91 हेतु प्रस्तावित है ।

4- उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण शोध कार्यक्रम :

प्रत्येक विकास खण्ड में एक छः दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें रू0 5000/= प्रति कार्यक्रम की दर से रूपया 80,000/= व्यय होगा तथा 800 उद्यमियो को प्रशिक्षित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर भी एक 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा । जिसमें रू0 20,000/= व्यय होगे तथा 40 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जायेगा । इस प्रकार वर्ष 1990-91 में कुंल 1,10,000/=रूपया व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

5- औद्योगिक सहकारिता (अवस्त्रीय):

समितियो को अँश पूँजी ऋण तथा प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना है । इस वर्ष 1990-91 में अँशपूँजी ऋण हेतु 20,000/= का प्राविधान किया जा रहा है ।

6- लघु उद्योग बन्धु : प्रत्येक माह के प्रेथम सप्ताह में एक बैठक का आयोजन किया जायेगा । जिसके अन्तर्गत जनपद के उद्यमियो की समस्याओं का निराकरण हेतु विचार विमर्श के उपरान्त उनकी कठिनाईयों को दूर किया जाता है । इस बैठक में संस्थाओं के अधिकारी भाग लेगें । इस वर्ष1990-91 में इस योजना हेतु 10,000/=रूपये का प्राविधान किया जा रहा है ।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग§हथकरघा§:

हथकरघा विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएँ निम्नवत् है :-

§1§- हथकरघा सहकारी समितियों को अँशपूँजी ऋण :

इस योजना के अन्तर्गत समिति के एक सदस्य का हिस्सा 100/=रूपया से बढ़ाकर 500/=रूपया कर दिया गया है । जिसमें सदस्य द्वारा 125/=रूपया दिया जाता है तथा शेष 375/=रूपया ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा । इस ऋण की समय से अदायगी पर 3 1/2 प्रतिशत की छूट दी जाती है और कुल प्रभावी ब्याज दर 12 1/2 प्रतिशत होगा । ऋण की अदायगी 10वार्षिक किश्तो में की जाती है । इस योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 103.00हजार रूपया परिव्यय का प्रावधान किया जा रहा है ।

§2§- हथकरघाओं का आधुनीकीकरण :

अधिकाशँ बुनकर पुराने व अस्वस्थ करघो पर बुनाई का कार्य करते है । जिससे उत्पादकता व गुणवत्ता दोनो ही प्रभावित होती है । अतएवं बुनकरो को उन्नतिशील करघे क्रय करने हेतु करघो के अनुरूप 2/3 ऋण व 1/3 अनुदान प्रदान किया जाता है और समय से ऋण की अदायगी पर 3 1/2प्रतिशत की छूट दी जाती है और कुल प्रभावी ब्याज दर 12 1/2 प्रतिशत होती है । ऋण की अदायगी दस सालाना किश्तो में की जाती है । इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 40.0हजार रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

इस प्रकार वर्ष 1990-91 में ग्रामीण एवं लघु उद्योग हेतु कुल 1508.80 हजार रूपया का प्रावधान किया गया है ।

17- सड़क एवं पुल

सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष 17202.40हजार रूपया का परिव्यय स्वीकृत था किन्तु कार्यक्रम की महत्वा को देखते हुए वर्ष 1990-91 में 22800.0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है जिसमें पुराने कार्यो के लिए 18658.0हजार रूपया एवं नये कार्यो क लिए 4142.0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है तथा कुल में 30मीटर स्पान तक के पुल पर 2958.0हजार रूपया एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु 19842.0हजार रूपया व्यय किया जायेगा।

वर्ष 1990-91 में निम्न कार्य सम्पन्न होगे :-

1-	मिट्टी स्तर तक मार्ग	2.70कि0मी0
2-	खण्डजा स्तर तक मार्ग	63.00कि0मी0
3-	लेपन स्तर तक मार्ग	42.05 कि0मी0
4-	30मीटर तक के पुल	01
5-	पुलिया	51
6-	1500से अधिक आबादी वाले ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडा जाना	03 गॉव
7-	1000 से 1499तक आबादी वाले ग्रामो को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना	11 गॉव

सड़क एवं पुल(राज्य सेक्टर योजना):

वर्ष 1990-91 में राज्य सेक्टर से रूपया 39720.00हजारव्यय होने का अनुमान है। जिससे9.10कि.मी. मिट्टी स्तर, 24नं0पुलिया, 39.20कि.मी.खड़ंजा 59.50कि.मी. लेपन स्तर, एंव 4नं0 सेतु का निमार्ण राज्य सेक्टर योजनाओं के मानक के अनुसार होगा ।

18-पर्यटन विभाग

जनपद बाराबंकी में पर्यटन विभाग की वर्ष 1990-91 में निम्नलिखित योजनाएँ प्रस्तावित की जा रही है :-

(1)- महादेवा रैन बसेरा का निर्माण :

बाराबंकी जनपद की पावन पुनीत भूमि पर धर्मराज युद्धिष्ठर द्वारा अज्ञातवास के समय प्रतिस्थापित शिवलिंग की महत्वा को कौन नहीं जानता, जिसे लोधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है । यह स्थान मुख्यालय से लगभग 35कि0मी0 उत्तर पूर्व की तरफ तहसील रामनगरविकास खण्ड रामनगर

में स्थित है । प्रत्येक सोमवार को हजारो की संख्या में श्रद्धालु भक्त आतेहै और अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाते है । श्रावण महीने की कजरीतीज और फाल्गुन में महाशिवरात्रि में पर्व पर लाखो की संख्या में पर्यटक हिन्दुस्तान के कोने-कोने से गंगाजल की काँवर लेकर आते है जो एक मनोहारी दृष्टा उपस्थित करती है।

महादेवा पर्यटन स्थल के विकास के लिए 1986-87 में 350.0हजार रूपया स्वीकृत हुआ था । रैन बसेरा निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु वर्ष 1990-91 में 350.0 हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । पर्यटन विकास के लिए यह अत्यावश्यक है ।

(2)- स्थानीय पर्यटन विकास :

लोधेश्वर महादेव के पास अभ्याहरण कुण्ड है जिसका निर्माण राजा गरीब सिंह द्वारा लगभग 250वर्ष पूर्व कराया गया था यह ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है । यह अभ्याहरण कुंड जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है । जिसका जीर्णोद्धार किया जाना अतिआवश्यक है । अतएवं वर्ष 1990-91 की योजना में 74.0हजार रूपये काप्राविधान किया गया है ।

इस प्रकार पर्यटन विभाग हेतु वर्ष 1990-91 में 424.0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है ।

पर्यटन(राज्य सेक्टर):राज्य सेक्टर की सूचना नहीं उपलब्ध है ।

19- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय
अर्थ एवं संख्या

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में साज-सज्जा/उपकरण आदि की पूर्ति के लिए वर्ष 1990-91 में 33.70हजार रूपये का प्राविधान किया गया है । जिससे निम्न विवरण के अनुसार पूर्ति की जायेगी :-

1- डुप्लीकेटिंग मशीन	01
2- अलमारी	04
3- कूलर	04
4- पेपर कटिंग मशीन	01
5- अनुरक्षण पर व्यय	कागज व मेन्टेनेंस होगा

राज्य सेक्टर योजनाएँ :

वर्ष 1990-91 में राज्य सेक्टर से निम्न योजनाएँ प्रस्तावित है :-

1- जीप की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु		28.00हजार रूपया ।
2- विकेन्द्रीकरण	====	20.00 हजार
3- कम्प्यूटर		240.00 हजाररू0
	कुल	288.00 हजार व्यय होने

का अनुमान है ।

20-सामान्य शिक्षा

818-प्राथमिक शिक्षा:

• 1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का साक्षरता का प्रतिशत 17.3 है । ग्रामीण एवं नगरीय मिलाकर साक्षरता का प्रतिशत 18.9 है । जिसमें पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 29.3 एवं महिलाओं का 8.2 है । यदि समीक्षा की जायें तो ये बात स्पष्ट है कि साक्षरता के क्षेत्र में जनपद काफी पीछे है । इसी बिन्दु को ध्यान मे रखकर शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इस समय जनपद में कुल 1558 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 301 सीनियर बेसिक स्कूल है । वर्ष 1990-91 में 5जूनियर बेसिक स्कूल तथा 5 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेगे । जिसके लिए क्रमशः 610.0हजार एवं 925.0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । सामान्य शिक्षा हेतु 1990-91 में कुल 7462.40 हजार का परिव्यय जिला योजना से निर्धारित किया गया है एवे 1747.90हजार रूपया अन्य श्रोत से व्यय किये जायेगें । इस प्रकार सामान्य शिक्षा पर कुल 9210.30 हजार रूपये व्यय किये जायेग ।

जिला सेक्टर में जिन योजनाओं को लिया गया है उनमें से मुख्य रूप से निम्न है :-

818- ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान :

वर्ष 1990-91 में 5 स्कूल खोले जाने का लक्ष्य है । जिसके भवन निर्माण हेतु 450.0हजार रूपया एवं अन्य व्यय हेतु 160.0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु प्रस्तावित स्थान निम्न प्रकार है :"

1- विशुनपुर	विकास खण्ड मसौली
2- शंकरपुर	विकास खण्ड सूरतगॅज
3- डीह	विकास खण्ड सिद्धौर
4- मुजफ्फरपुर	विकास खण्ड रूदौली
5- टिहुरको	विकास खण्ड रामनगर

828- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में सीनियर बेसिक स्कूल भवन का निर्माण :

वर्ष 1990-91 में 05सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का लक्ष्य है जिसके

भवन निर्माण हेतु ₹25.0हजार रूपये का प्राविधान किया गया है । सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु प्रस्तावित स्थल निम्नवत् है :-

1- कोला गहबड़ी (कन्या)	विकास खण्ड हरख
2- दादरा (कन्या)	विकास खण्ड मतौली
3- हसुवापारा	विकास खण्ड निन्दूरा
4- विछलखा	विकास खण्ड रामनगर
5- सरैठा	विकास खण्ड रूदौली

3- नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में आयु वर्ग 6-14 वर्ष के बच्चो के लिए अँशकालिक कक्षाएँ खोलने हेतु अनुदान:

कुल 625 केन्द्र स्थापित होगें जिनमें 412 बालिकाओं एवं 188 मिश्रित है । इस पर कुल व्यय 2819.2 हजार रूपया होगा जिसमें जिला सेक्टर से 1071.30हजार रूपया तथा केन्द्र का अँश 1747.90हजार रूपया होगा।

4- शेष अन्य चालू कार्यक्रमों हेतु प्राविधान किया गया है । प्राथमिक शिक्षा हेतु कुल 3479.8हजार रूपये निर्धारित किये गये है ।

माध्यमिक शिक्षा

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजो की संख्या 45 है जिसमें 27 ग्रामीण में तथा 18 नगर क्षेत्र में है ।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों हेतु प्राविधान किया गया है । वर्ष 1990-91 में एक हाईस्कूल विद्यालय के लिए तथा दो स्कूलों में प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जायेगा । स्थान चयन बाद में किया जायेगा निर्माण कार्य हेतु क्रमशः 1680.0हजार एवं 300.0हजार का परिव्यय निर्धारित किया गया है । वर्ष 1990-91 में माध्यमिक शिक्षा हेतु कुल 2593.60हजार रूपया का प्राविधान किया गया है जिसमें सभी चालू योजनाओं का कार्यान्वयन

प्रौढ़ शिक्षा विभाग

राज्य सरकार के संसाधनों से 300केन्द्र संचालित है जिसमें 9000 प्रतिभागियों को शिक्षित किया जाता है । यह केन्द्र विकास खण्ड बंकी तथा हरख में संचालित है ।

नई शिक्षा नीति के अनुसार 5000आबादी पर एक जनशिक्षण निलयम खोले जाने का प्राविधान है । वर्ष 1990-91 में 38जन शिक्षण निलयम पहले खुले हुए केन्द्रों को मिलाकर हो जायेगें। इन केन्द्रो हेतु कैसेट एवं टेपरिकार्डर क्रय किये जायेगे जिसके द्वारा प्रौढ़ शिक्षादी जायेगी । वर्ष 1990-91 की प्रस्तावित योजनाओं में कुल 1389.0हजार रूपये का परिव्यय जिला योजना में निर्धारित गया है । सम्भावना है कि इन परियोजनाओं एवं अन्य माध्यमों से 1995 तक जिले की साक्षरण 100% हो जायेगी ।

प्रौढ़ शिक्षा: (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित):- केन्द्र सरकार से वित्त पोषित एक परियोजना विकास खण्ड हरख एवं सिद्धौर में संचालित की जा रही है । वर्ष 1987-88 में विकास खण्ड त्रिवेदीगंज भी ले लिया गया है । इन योजनाओं पर कुल 1792.0हजार रूपया व्यय होने का अनुमान है जिसके द्वारा कम से कम 9000 प्रौढ़ प्रतिभागियो को लाभान्वित किया जायेगा ।

21-प्राविधिक शिक्षा

संस्था में दो विशिष्ट पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा मार्केटिंग एवं सेल्स मैनेजमेन्ट तथा एकाउन्टेसी चल रहेहै । तथा वर्ष 1989-90 से तीन वर्षीय डिप्लोमा का इलेक्ट्रानिक्स अभियन्त्रण भी चलाया जा रहा है ।जनपद में केवल एक ही संस्था कार्यरत है । अत: जिले में प्राविधिक शिक्षा विकास के लिए इसमें वृद्धि अत्यावश्यक है ।

इस विभाग की योजनाएँ निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-

1- भवन निर्माण :

इलेक्ट्रानिक्स कोर्स हेतु भवन निर्माण में 5400.10हजार रूपये का आगणन किया गया है । जिसमें से वर्ष 1989-90 में 6.60लाख रूपये का अनुमोदन प्राप्त था जो खर्च कर लिया गया है । आठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में अधिक धन उपलब्ध न होने के कारण इस योजना हेतु 850.00हजार रूपये का प्राविधान किया गया है ।

2- आवर्तक व्यय:

वर्ष 1989-90 में इलेक्ट्रानिक्स अभियन्त्रण का तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाया जा रहा है । इस कोर्स के द्वित्तीय वर्ष की शिक्षा हेतु इलेक्ट्रानिक्स इंक्पमेन्ट(उपकरण) खरीदे जाने है । जिसके लिए 250.0 हजार रूपया परिव्यय का प्राविधान किया जा रहा है ।

इस प्रकार वर्ष 1990-91 में कुल 1100.0हजार रूपये का प्राविधान किया गया है ।

22-खेलकूद विभाग

स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रथम चरण पर्ण होने को है । द्वित्तीय चरण में बहुउद्देशीय हाल हेतु वर्ष 1989-90 में 1000.0हजार रूपये का प्राविधान किया गया था । क्रीड़ाहाल के निर्माण हेतु अभी 700.0हजार रूपये की आवश्यकता है इसलिए वर्ष 1990-91 में इस योजना हेतु 700.00हजार रूपये का प्राविधान कर दिया गया है । शेष योजनाओं में खेलकूद उपकरण सामग्री हेतु 35.0हजार एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 30.0हजार का प्रस्ताव है । इस प्रकार खेलकूद के लिए कुल 765.0हजार रूपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया है ।

23-प्रादेशिक विकास दल

युवा कल्याण एवं प्रादेशिकविकास दल की योजना जनपद में चल रही है शासन का ध्यान इस समय युवा कल्याण कार्यक्रमों की ओर अधिक है। वर्ष 82-83 में समस्त जिला सेक्टर योजनाओं हेतु कुल 62•57हजार रूपये का परिव्यय था जो सातवी योजनाकाल के अन्तिम वर्ष में 1031•70हजार रूपये हो गया है जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इन कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी को ध्यान में रखकर वर्ष 1990-91 में इस विभाग के लिए 1310•50हजार रूपये का प्राविधान किया गयाहै।

जनपद में इस समय 16 ब्लाक कमान्डर 153 हल्का सरदार एवं 1556दलपति है। जो योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देते है। जिला सेक्टर में जिन योजनाओं हेतु धन प्रस्तावित किया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(1)- स्वयंसेवको का सुदृढ़ीकरण:

वर्ष 1990-91 में जनपद के रिक्त हुए 150दलपतियों की नई भर्ती करके उन्हें 22 दिन का सैन्य प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमो का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 500स्वयं सेवको का पुर्नप्रशिक्षण दिया जाना है। इन सभी स्वयंसेवक को विगत वर्षो की भाँति टेरीकाट कोचर्दी भी प्रदान की जानी है। पुर्नप्रशिक्षण उन स्वयंसेवको को प्रदान किया जायेगा जिन्हे प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए 03वर्ष हो चुके है। इसके अतिरिक्त जनपद के 16 ब्लाक कमाण्डरों तथा 153 हल्का सरदारों को क्रमशः 75/= एवं 50/= रूपया प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जायेगा। इस योजना पर कुल 614•70हजार रूपये व्यय होने का अनुमान है जिसका प्राविधान कर दिया गयाहै।

(2)- युवक/महिला मंगल दलो को प्रोत्साहन:

वर्ष 1990-91 में शासन की नीति के अनुसार विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान करने वाले युवक/महिला मंगल दलो को 1000/=तक की सामग्री देकर प्रोत्साहित करना है। वर्ष 1990-91 में 105 युवक मंगल दल एवं 55महिला मंगल दलो (कुल 160) को प्रोत्साहित करने हेतु 150•0हजार रूपये तथा 16अवैतनिक महिला संगठनो को 300/=प्रतिमाह मानदेय देने हेतु 57•60हजार रूपये का प्राविधान कियागया है। इस प्रकार योजना हेतु कुल 217•60हजार रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गयाहै।

§3§- युवक मंगल दलो का सेमिनार:

वर्ष 1990-91 में राज्य स्तर सेमिनार हेतु 11.20हजार रूपया एवं जिला स्तर पर सेमिनार हेतु 4.80हजार रूपये कुल 16.00हजार रूपये का व्यय प्रस्तावितहै।

§4§- समाज सेवा/सुरक्षा पर मेला,प्रदर्शनि डयूटी:-

प्रादेशिक विकास दल जलानो द्वारा मेला आदि में शान्ति व्यवस्था/ सुरक्षा बनाने में सराहनीय कार्य किया जाता है। अत: कार्य की महत्ता को देखते हुए 1990-91 में इस योजनाहेतु 125.00हजार रूपया व्यय करने का प्राविधान कियागया है।

§5§- प्रकीर्ण व्यय:

इस विभाग में जीप गाड़ी नह ीं है जिसके कारण विभागीय कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति बढ़ाने में कठिनाई होती है। अत: जीप का क्रय किया जाना अतिआवश्यक है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर कार्यालय स्थापित करने हेतु स्टील की अलमारी क्र य की जानी है,इस योजना में निम्न प्रकार से व्यय प्रस्तावित है :-

1- जीप गाड़ी का क्र य किया जाना	145.00हजाररूपया
2- जीपचालक की व्यवस्था/पेट्रोल आदि पर व्यय	30.00 ,, ,,
3- कार्यालय के रखरखाव फर्नीचर आदि	35.00 ,, ,,
योग :	210.00हजाररूपया

इस प्रकार प्रकीर्ण व्यय हेत 210.00हजार रूपये का प्राविधान किया गया है।

§6§- ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन :

इस योजना के अन्तर्गत 16 वर्ष के बालको/बालिकाओ की खण्डस्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु 8.00हजार रूपया ,16वर्षीय जिलास्तर प्रतियोगिताओं हेतु 5.00हजार रूपया,ब्लाक स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु 1500/= प्रति विकास खण्ड की दर से 24.00हजार रूपया एवं प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु 5.00हजार रूपया कुल 67.00हजार रूपये का प्राविधान किया गया है।

§7§- ग्रामीण क्षेत्रो में व्यायामशालाओं की स्थापना/प्रोत्साहन:

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यायामशालाओं के रखरखाव तथा अन्य

व्यवस्था हेतु 38•20हजार रूपया का प्राविधान किया गया है ।

8- विवेकानन्द यूथ एवार्ड :

वर्ष 1990-91 में एक सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दल एवं एक सर्वश्रेष्ठ महिला मंगल दल को विवेकानन्द यूथ एवार्ड दिये जाने हेतु 12•00हजार रूपये का प्राविधान किया गयाहै ।

(28-सांस्कृतिक कार्यक्रम :

1990-91 में इस योजनाहेतु 10•00हजार रूपये का प्राविधान किया गया है जो 16विकास खण्डों की सांस्कृतिक टीमो को जनपद मुख्यालय पर उनकी कला प्रदर्शन व्यवस्था हेतु तथा विजयी टीम को पुरूष्कार देने की व्यवस्था है ।

24-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बाराबंकी जिला योजना वर्ष 1990-91

(1) उपकेन्द्रो का भवन निर्माण :

चालू योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 15उपकेन्द्रो के भवन निर्माण हेत 1500•00हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है । स्थल का विवरण बाद में दिया जायेगा ।

(2)- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण :-

एक चालू सैदनपुर तथा 05नये दादरा,सुबेहा,सिरौली व रामपुर तेलवारी के भवन निर्माण हेतु 4800•0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है जिनके लिए भूमि उपलब्ध है ।

(3)- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना:-

एक नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 50•0हजार रूपये का प्राविधान किया गया है ।

क्रमागत ...66 पर

(4)- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीनीकरण एवं विस्तार तथा बिजली पानी की व्यवस्था :

इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर भवन उपलब्ध है वहाँ पर पानी और बिजली की व्यवस्था हेतु 100•0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । स्थल नाम एवं आगणन बाद में तय होगा ।

(5)- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/भवन निर्माण :

इस योजना के अन्तर्गत हैदरगढ़ के चालू कार्य को पूर्ण करने तथा जैदपुर, फतेहपुर, देवा तथा कुछ अन्य स्थानो पर जहाँ उचित और सम्भव होगा भवन निर्माण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जायेगा । जैदपुर में भूमि उपलब्ध है शेष जगहो पर भूमि क्रय करनी है । इस योजना हेतु 2690•0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है ।

(6)-उपचारिकाओं के लिए आवास गृहो का निर्माण:

चालू कार्य को पूर्ण करन हेतु तथा नये जगहो पर आवास निर्माण हेतु कुल 1600•0हजार रूपया का प्राविधान किया गयाहै ।

(7)- राजकीय चिकित्सालयों में शैय्या वृद्धि :

इसके अन्तर्गत चालू कार्यो को पूर्णकरने हेतु 200•0हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

(8)- अस्पतालों की साज सज्जा एवं आवश्यक सामग्री :

(क)- डीजल जनरेटर की व्यवस्था:

महिला चिकित्सालय बाराबंकीमें डीजल जनरेटर हेतु 320•0 हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गयाहै ।

(ख)- चीड़घर का निर्माण :

चालू कार्यो को पूर्ण करने हेतु इस योजना में 100•0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है

(ग) अस्पतालो में विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था: (दन्त रूग्णालय कीस्थापना)

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसनेहीघाट तथा हैदरगढ़ में दन्त रूग्णालय की स्थापना करीब-करीब हो चुकी है शेष व्यवस्था हेतु 100•0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है ।

आयुर्वेदिक हेतु यूनानी :: 67 ::

§9§ -आयुर्वेदिक /यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना::

वर्ष 1990•91 में पाँच नवीन आयुर्वेदिक / 4 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना :

1- ग्राम जरगाँवा 2- सफदरगंज 3- सफेदाबाद 4- जहाँगीराबाद एवं

5- महादेवा का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस कार्य हेतु 150•0ह0 रु0 का प्राविधान किया गया है।

§10§ शहरी क्षेत्रों में 25/15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक /यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना:

वर्ष 90•91 में जैदपुर में 25 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किया जायेगा जिसके लिए 150•0 हजार का प्राविधान किया गया है।

11- वर्तमान आयुर्वेदिक /यूनानी औषधालयों का पुर्नन्नयन:- 4 शैय्यायुक्त यूनानी चिकित्सालय सतरिख का25 शैय्यायुक्त में परिवर्तन तथा 25 पुराने आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों मे औषधि तथा साज सज्जा की पूर्ति हेतु 55•0 हजार का प्राविधान किया जा रहा है।

12- आयुर्वेदिक /यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापनातथा प्रसार: -वर्ष 89•90 में जीप की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है अत: जीप के संचालन हेतु ड्राइवर की बयवस्था एवं टेलीफोन की बयवस्था हेतु 30•0 हजार का प्राविधान किया गया है।

13- राजकीय हाम्योपैथिक चिकित्सालय में अतिरिक्त दवाओं का प्राविधान : इस योजना हेतु 90•91 में 60•0 हजार का प्राविधान किया गया है।

14- शहरी तथा ग्रामीण हाम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना: इस योजना हेतु निम्नलिखित 6 चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 170•0ह0 का प्राविधान किया गया है।

1- टिकरा पट्टी §देवा§ §हरिजन बाहुल्य§ 2- असेनी §बंकी § ह0बाहुल्य§ 3- करपिया §मसौली§ §हरि0बा0§ 4- भयारी §मसौली§ हरि0बा0 § 5- धालसापुर §निन्दूरा§ §हरि0बा0 § 6- कुर्सी §निन्दूरा§ ह0बा0§

क्रमागत----- 68 पर

15- ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन निर्माण:- एक चालू तथा एक नये होम्योपैथिक चिकित्सालय खाले का परवा के भवन निर्माण हेतु 250•0 हजार का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओ हेतु कुल 12325•00हजार का प्राविधान किया गया है।

राज्य सेक्टर योजनाये: वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य सेक्टर की निम्न योजनाएँ एवं व्यय प्रस्तावित है:

1- क्षय रोग	165•0 हजार
2- मलेरिया	260•0 हजार

शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना:

1- परिवार कल्याण	160•0 हजार रुपये।

25 उत्तर प्रदेश जल निगम

जनपद बाराबंकी की जिला योजना वर्ष 1989•90 हेतु प्रस्ताव:

1- वर्ष 1981 की जनगणानानसार जनपद बाराबंकी में कुल 2088 राजस्व ग्राम है, जिनमें से 2043 ग्राम आवाद है। वर्ष 1972 सर्वेक्षण के अनुसार इन 2043 राजस्व ग्रामों में 319 राजस्व ग्राम अभावग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत है किये गये है। तदोपरान्त वर्ष 1982- एक सर्वेक्षण के आधार पर शेष आवाद ग्रामो के 1709 राजस्व ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में वर्गीकृत किये गये है।इस प्रकार जनपद के 2043 आवाद राजस्व ग्रामों में पेयजल की दृष्टि से 2028 राजस्व ग्राम समस्याग्रस्त है।

2- समस्याग्रस्त ग्रामों में शासन की के अनुसार वर्षवार प्राथमिकता के आधार पर सर्व प्रथम फेज"-1 अधिकतम दो हैण्डपम्प लगाकर पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जाना था। जनपद के 2028 समस्याग्रस्त ग्रामों में से मार्च 89 तक सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में फेज-1 मे अधिकतम दो हैण्डपम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुकाहै इन सभी लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों मे से मार्च 89 तक 688 ग्रामों की पेयजल सुविधा से फेज-11मे सेचुरेट किया जा चुका है।

3- जनपद के विकास खण्ड निन्दूरा, मसौली, हरख सिद्धौर त्रिबेदीगंज हैदरगढ़, बनीकोडर एवं मवई के अनेक समस्याग्रस्त ग्रामों 2पुरवों में पेसजल साधारणा हैण्ड पम्प कच्चे कुओं द्वारा पेयजल प्राप्त किया जाता है। कई ग्राम /पुरवों में पानी खारा है।

इन जगहो पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है ।

वर्तमान समय तक जनपद के सभी ग्रामों/पुरवों को फेज-।। में सेचुरेएट नहीं किया जा सका है । पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है । अतः आवश्यक है कि जनपद के समस्त ग्रामों में पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जायें ।

इस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए आँठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1990-91) में 228 ग्रामों को सेचुरेएट करके 456 हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष (1990-91) में इस योजना हेतु 2500.00हजार रूपये का प्राविधान किया गया है ।

26- ग्राम्य विकास विभाग
(ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना)

वर्ष (1982-83 के सर्वे के अनुसार मात्र 07 हरिजन बस्तियो में इस योजना के अन्तर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध करानी शेष थी जिसके लिये (1989-90 में 07 इण्डिया मार्क-।।हैण्ड पम्प लगाने का प्राविधान किया था इस लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है । वर्तमान सर्वे के अनुसार (058 हरिजन बस्तियों में (058 हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क-।। लगवाये जाने है जिसमें से प्रति विकास खण्ड 05 हैण्ड पम्प तथा जनपद में कुल 70 हैण्डपम्प इण्डिया मार्क-।। लगाये जाने का प्राविधान जिला योजना (990-91) में किया जा रहा है । इस योजना के लिए वर्ष (990-91) में 800.00हजार रूपये का प्राविधान किया जा रहा है । इस योजना का उद्देश्य हरिजन तथा मलिन बस्तियो के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है ।

27-सार्वजनिक निर्माण विभाग
(फूल्ड हाउसिंग योजना)

फूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत वर्ष (988-89 में (002हजार रूपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसमें टाइप-।।। आवास बनाने का प्रस्ताव था । जनपद में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवास के लिए कठिनाई है जिसके निराकरण हेतु प्रयास किया जा रहा है । वर्ष (989-90 में (000.0हजार रूपया स्वीकृत किया गया था जिसमें टाइप-।।। एवं टाइप-।। के आवास निर्माण किये गये । वर्ष (990-91) में इस योजना के अन्तर्गत (000.0हजार रूपया

का प्रावधान किया गया है जिससे टाइप-।।। के 02 टाइप-।। के 8 तथा टाइप-। के 2 भवन का निर्माण किया जायेगा ।

28- राजस्व विभाग (आयोजनेत्तर भवन)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में तहसील हैदरगढ़ के भवन निर्माण का द्वित्तीय चरण पूर्ण करने हेतु 700.0 हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है । ज्ञातव्य है कि तहसील भवन का निर्माण कार्य का प्रथम चरण 1989-90 में प्रारम्भ किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के आवासीय भवन निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 में 300.0 हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टस बनाये जायेंगे ।

29- ग्रामीण आवास
(ग्राम्य विकास विभाग)

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग के हरिजनो के लिए आवास का निर्माण किया जाता है । एक आवास पर लगभग 7000/= की लागत आती है जिसमें से 3000/= रूपया आवास स्वामी को ऋण के रूप में दिया जाता है 3000/=रूपया जवाहर रोजगार योजना से वहन किया जाता है तथा 1000/= रूपया इस योजना से अनुदान स्वरूप दिया जाता है । इस प्रकार एक आवास पर 1000/=रूपया की दर से व्यय होगा ।

इसके अतिरिक्त गैर अनुसूचित जाति के निर्बलो के लिए भी आवास बनाने का प्रावधान है जिसमें 3000/=रूपया की सहायता दी जाती है । इस योजना हेतु गत वर्ष 1989-90 में 5472.0 हजार रूपया का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । जिससे लगभग 2472 आवास निर्मित्त होगें । इस वर्ष 1990-91 में इस योजना हेतु 3550.0 हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिससे लगभग 1650 आवास निर्मित्त हो सकेगें ।

30-सूचना विभाग

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की क्षेत्र प्रसार की योजना के अन्तर्गत शासन के विभिन्न कार्यों उसकी अनेक प्रगतिशील योजनाओं के ग्रामीण अँचल तक प्रसार हेतु तहसील स्तर पर सूचना कार्यालय की स्थापना हेतु गत वर्ष 1989-90 में 50.0हजार रूपया का परिव्यय स्वीकृत था । इस वर्ष 1990-91 में भी योजना के संचालन हेतु 50.0हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया जा रहा है ।

31-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति का कल्याण :

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियो के अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति, तथा समाज कल्याण सेक्टर से निराश्रित विधवाओं/विकलाँगो के भरण पोषण हेतु सहायक अनुदान देने की व्यवस्था करता है । इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों एवं पुस्तकीय सहायता आदि की व्यवस्था भी हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है । अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 1989-90 में 2711.00 हजार का परिव्यय स्वीकृत था । इस वर्ष 1990-91 में इस योजना हेतु 2867.0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है । प्रमुख योजनाएँ इस विभाग की निम्नवत् है :-

1- अनुसूचित जाति का कल्याण (शिक्षा -छात्रवृत्ति)

(क)- जूनियर हाईस्कूल (कक्षा 6-8)

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 20/=रूपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जायेगी । इस योजना के लिए वर्ष 1990-91 हेतु 345.0हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

(ख)-प्राइमरी स्तर (कक्षा-1-5)

इस योजना के अन्तर्गत प्राइमरी के कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 12/=रूपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जायेगी जिसके लिए 1750.0 हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

2- विमुक्त जातियों का कल्याण:

(क)-जूनियर हाईस्कूल (कक्षा 6-8):

विमुक्त जाति के उन परिवारो के छात्रों/छात्राओं को जो अनुसूचित/जनजाति की श्रेणी में आते है धन की उपलब्ध के आधार पर वरीयताक्रम क्रम में दी जायेगी । इस योजना हेतु वर्ष 1990-91 हेतु 20.0हजार का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

(ख)-विमुक्त जातियों का आर्थिक विकास जो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित है :

इस योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 15.0हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

3- अन्य पिछड़ी जातियो का विकास(शिक्षा छात्रवृत्ति)

(क) जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा 6-8)

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के पिछड़ी जातियो के छात्रों को आय और योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इस योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 290.0हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

(ख) प्राइमरी स्तर (कक्षा 1-5)

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक के पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिसके लिये वर्ष 1990-91 में 225.0हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

2- विभागीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला, पुस्तकालय एवं छात्रावास को अनुदान, सुधार एवं विस्तार की योजना:

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 हेतु 222.0हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है । जिसके द्वारा प्राइमरी पाठशाला, हरिजन छात्रावास का रखरखाव तथा अन्य व्यय किये जाते है । इस समय जनपद में 02प्राइमरी पाठशाला, एक छात्रावास तथा 02 पुस्तकालय इस योजनान्तर्गत संचालित है ।

राज्य सेक्टर योजना: (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति का कल्याण)

हाईस्कूल छात्रवृत्ति:

इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को अनिवार्य रूप से 30/=रूपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

पिछड़ी जाति के छात्रों को निर्धनता के आधार पर धन की उपलब्धता के आधार पर यह छात्रवृत्ति दी जाती है । यह योजना राज्य सेक्टर से पोषित है ।

शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना:

दशमोत्तर स्तर छात्रवृत्ति:

हाईस्कूल के आगे की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को 70/-, 90/= (कक्षा के अनुसार) प्रतिमाह की दर से अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को धन की उपलब्धता के अनुसार निर्धनता एवं योग्यताक्रम के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित है ।

32- शिल्पकार प्रशिक्षण

(औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाराबंकी)

जनपद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें इस समय निम्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है :-

1- इलेक्ट्रानिक्स	2- रेडियो टेलीविजन	3-विद्युतकार
4- ड्राफटमैन सिविल	5- आशुलिपिक हिन्दी	6-कटिंग टेलरिंग
7- मोटर मैकेनिक	8- प्रशीतन एवं वातानुकूलन	

उपरोक्त समस्त चालू योजनाओं में मोटर मैकेनिक तथा प्रशीतन एवं वातानुकूलन ट्रे वर्ष 1989-90 में खोली गई थी । इन व्यवसायों का पाठ्यक्रम दो वर्षीय है । अतः इनकी द्वित्तीय यूनिट खोली जानी है जो योजना के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक है ।

इस प्रकार इन सभी योजनाओं के संचालन हेतु वर्ष 1990-91 में 300.0हजार रूपया का परिव्यय का प्राविधान किया गया है । इन योजनाओं से 1990-91 में लगभग 108 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होगें ।

33-समाज कल्याण

(जिला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग)

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से समाज कल्याण सेक्टर से संचालित योजनाओं पर गत वर्ष 1989-90 में 2466.0हजार रूपया का व्यय स्वीकृत था । इस वर्ष सहायक अनुदान की दरो में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप इस योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 2676.0हजार रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इसमें मुख्यतः निम्नलिखित योनाएँ संचालित की जायेगी :-

(1)- नेत्रहीन, वधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलाँगों को अनुदान:

इस योजना के अन्तर्गत जिले के विकलाँगों (शारीरिक रूप से अक्षम) को 100/=रूपया प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जायेगा । यह दर गत वर्ष 60/=रूपया प्रतिमाह थी । वर्ष 1990-91 में इस योजना हेतु 740.0हजार रूपया का व्यय प्रस्तावित है ।

(2)-विभिन्न श्रेणी के विकलाँगो के बच्चों को छात्रवृत्ति :

इसके अन्तर्गत विकलाँग व्यक्तियों के बच्चों को प्राइमरी स्तर तक 15/=रूपया प्रतिमाह एवं कक्षा 6-8 तक 20/=रूपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति

दी जाती है । इस योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 26.0हजार रूपया का व्यय प्रस्तावित है ।

§3§-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अँग खरीदने हेतु सहायता:

इस योजना में 1990-91 हेतु 17.0हजार रूपया का परिव्यय प्रस्तावित है । इससे अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अँग खरीदने हेतु अनुदान दिया जायेगा ।

§4§ निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदान:

इस योजना के अन्तर्गत जिले के निराश्रित विधवाओं को जिनकी मासिक आय 200/=रूपया प्रतिमाह से कम हो, 100/=रूपया प्रतिमाह की दर से पेंशन मनीआर्डर द्वारा दी जायेगी । यह दर अब तक 60/=रूपया प्रतिमाह थी। इसके संचालन हेतु वर्ष 1990-91 में 1770.0हजार रूपया का परिव्यय का प्रावधान किया गया है ।

§5§- शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मलिन/मेहतर बस्तियों में शिशुशाला खोलने हेतु अनुदान:

इस योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 120.0हजार रूपया का परिव्यय प्रस्तावित है ।

§6§- अकिंचनो के दाह/दफन एवं संस्कार हेतु अनुदान:

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को जिनके आगे-पीछे कोई न हो के दाह, दफन एवं संस्कार हेतु अनुदान देने हेतु वर्ष 1990-91 में 3,000/= रूपया का प्रावधान किया गया है ।

34- पुष्टाहार

§समाज कल्याण विभाग§

यह योजना समेकित बाल विकासपरियोजना विभाग के संचालित की जाती है । बच्चें देश के भविष्य है, 06वर्ष तक के बच्चों में जो संस्कार एवं आदते पड़ती है उसी के आधार पर वह अच्छे नागरिक बनते है । सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 17% में 6वर्ष तक के बच्चे होते है । बच्चों के समन्वित विकास के उद्देश्य से बाल विकास परियोजनाओं की स्थापना की गई है ।

बाल विकास परियोजनाओं द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, चिकित्सा सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, पूरक पुष्टाहार, पुष्टाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा, 1000जनसंख्या पर आँगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है जिसके माध्यम से बच्चो को पुष्टाहार आदि प्रदान की जाती है । जिले के विभिन्न 04 विकास खण्डों में कार्यरत बाल विकास परियोजनाओं द्वारा योजना का संचालन होता है । इस योजना हेतु गत वर्ष 693.0हजार रूपया का परिव्यय स्वीकृत था । इस वर्ष 1990-91 में इस योजना हेतु 493.0हजार परिव्यय का प्राविधान किया गया है । जिससे इसवर्ष में 25000 बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा ।

======

35- सिंचाई विभाग

सिंचाई विभाग की समस्त योजनाये राज्य सेक्टर में वर्गीकृत है । सिंचाई विभाग के प्रखण्ड शारदा नहर तथा शारदा सहायक खण्ड-25 से वर्ष 1990-91 के प्रस्तावित योजनाये प्राप्त हुई है जिसका विवरण निम्न है :-

शारदा नहर प्रखण्ड

(धनराशि हजार रूपये में)

1-	वार्षिक नहर बन्दी के कार्य	7600.00
2-	अपूर्ण नहरो का निर्माण }	7600.00
3-	नहरो के अवशेष पक्के कार्य }	
4-	कार्य प्रमाणित अधिष्ठान	760.00
5-	वाहनो का रख रखाव	600.00
6-	भूमि प्रतिकर	5050.00
	योग :-	21610.00

शारदा सहायक खण्ड-25

1-	वार्षिक बन्दी के समय कराये गये कार्य (दरियाबाद ब्रान्च के कि0मी036.9पर रेगुलेटर का निर्माण)	3000.00
2-	ड्रेन का निर्माण	4500.00
3-	जरख ड्रेन	300.00
4-	रारी ड्रेन	500.00
5-	वाहनो का रख रखाव	400.00
6-	भूमि प्रतिकर	2000.00
	योग :	10700.00
	कुल योग :	32310.00

अध्याय-7

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

7.1 पाँचवी योजना में केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि यद्यपि पूर्व में योजनाओं के निर्माण तथा भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को माना गया है, परन्तु सामाजिक आवश्यकता को एक न्यूनतम सीमा तक विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न समुदायो को उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना अवशेष है । इसका प्रमुख कारण पिछड़े सेक्टर में इन आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता न देना तथा विभिन्न योजनाओं की न्यूनतम आवश्यकता की दिशा में अपेक्षित कार्यवाही न करना था। केन्द्रीय योजना आयोग ने विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन किया तथा उसके आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय लिया कि जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक उपभोग का एक न्यूनतम मानदण्ड भी निर्धारित किया जाये । सामूहिक खपत जैसे शिक्षा, जनस्वास्थ्य, पेयजल, आवास, यातायात एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी एक न्यूनतम स्तर निर्धारित करना अनिवार्य समझा गया ।

7.2 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य एक निर्धारित समय के अन्दर राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मापदण्डों के आधार पर सभी क्षेत्रो में सामाजिक उपयोग की बुनियादी सेवाओं तथा सुविधाओं का जाल स्थापित करना है । इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल सम्पूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़के, भूमिहीन श्रमिको के लिये ग्रामीण आवास, शहरी गन्दी बस्तियो का पर्यावरणात्मक सुधार, पुष्टाहार कार्यक्रम शामिल है । वर्ष 1987-88 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मदो में दो नये मद अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शामिल किये गये है । जनपद में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की मदो का विवरण निम्न प्रकार है :-

1- प्रारम्भिक शिक्षा:

प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने तथा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियो के अन्तर्गत अधिक बच्चो को दाखिला दिलाने की नीति अपनाई गयी है । वर्ष 1989-90 में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल 6166 हजार रूपया का परिव्यय किया गया। प्राइमरी स्कूल के 42 भवन तथा सीनियर

बेसिक स्कूल के 25 भवनो का निर्माण होगा । 1990-95 के बाद कोई सीनियर बेसिक स्कूल भवन विहीन नहीं रह जायेगा । अनौपचारिक शिक्षा हेतु अंशकालिक कक्षाओं हेतु जिला सेक्टर से राज्यांश 797हजार रूपया का प्राविधान किया गया था । प्रारम्भिक शिक्षा हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 3479.80हजार रूपया का प्राविधान 1990-91 हेतु किया गया है ।

2- प्रौढ़ शिक्षा:

यह योजना 15-35 आयुवर्ग के लिए संचालित है । प्रतिवर्ष 18000को प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षित किया जाता है । 9000प्रतिभागियो को जिला सेक्टर से तथा 9000प्रतिभागियों को शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना से आच्छादित किया जा रहा है । वर्ष 1990-91 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मद में 1389.0हजार रूपया का प्राविधान किया गया है ।

3- चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्न कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है :-

1- उपकेन्द्रो का भवन निर्माण

2- सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर का भवन निर्माण

3- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण

4- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना

5- वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का नवीनीकरण विस्तार तथा बिजली पानी की व्यवस्था

6- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना ।

सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नीति पर तेजी से अमल किया जा रहा है। 30हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना योजना पर बल देते हुए अब तक 62 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की चुकी है । तथा वर्ष 1990-91 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय के पाँच चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी तथा एक 25शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी । 6नये होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी।

इस वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 48.00लाख उपकेन्द्र भवन हेतु 15.0लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना हेतु 0.50लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना हेतु 26.90लाख, आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय की स्थापना हेतु 1.5लाख का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु कुल 123.25लाख का प्राविधान किया गया है ।

4- ग्रामीण जल सम्पूर्ति:

समस्याग्रस्त ग्रामों में शासन की नीति के अनुसार वरीय प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम (फेज-I) अधिकतम दो हैण्डपम्प लगाकर पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जाना था । जनपद के 2028 समस्याग्रस्त ग्रामों में से मार्च, 1988 तक 1429 समस्याग्रस्त ग्राम में अधिकतम दो हैण्डपम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है । इन 1429 लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों में से मार्च 1989 तक 180 ग्रामो को एवं 1989-90 तक 688 और ग्रामों को पेयजल सुविधा से फेज-II में सेचुरेट किया जा चुका है । वर्ष 1990-91 में पेयजल योजना के लिए जल निगम और ग्राम्य विकास को कुल 33.0लाख रूपया का प्राविधान किया गया है ।

5- ग्रामीण सड़के :

वर्ष 1989-90 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मद में 190.00लाख रूपया का प्राविधान था । कार्यक्रम की महत्वा को देखते हुए इस वर्ष 1990-91 में 225.0लाख रूपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

6- ग्रामीण आवास:

आवास स्थल अॉवटन एवं गृह उपलब्ध कराने के लिए जनपद में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 योजनायें आवास स्थल अॉवटन(राजस्व विभाग) निर्बल वर्ग आवास(ग्राम्य विकास) एवं गृह निर्माण तथा ऋण की अदायगी(हरिजन कल्याण) की योजनायें संचालित है ।

वर्ष 1989-90 में हरिजन कल्याण आवास गृह हेतु 4.80लाख रूपया का प्राविधान किया गया था । वर्ष 1990-91 में ग्रामीण आवास(ग्राम्य विकास) हेतु 35.50लाख रूपया का प्राविधान किया गया है ।

7- पुष्टाहार:(समाज कल्याण):

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 हेतु 44.93 लाख रूपया का प्राविधान किया गया है जिससे जनपद में चल रही तीन बाल विकास परियोजनाओं को पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा ।

===

अध्याय-8

स्पेशल काम्पोनेंट प्लान

8.1 स्पेशल काम्पोनेंट प्लान एक सहभागीय एवं व्यापक कार्यक्रम है जिसमें हर विभाग पर यह दायित्व डाला गया है कि वह अपने कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए किये जाने वाले कार्यक्रमो को पृथक से इंगति करें । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का शुभारम्भ प्रदेश के अन्य जनपदो की भाँति इस जनपद में भंो गाँधी जयन्ती के शुभ अवसर पर 2अक्तूबर1980 में किया गया । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या कुल आबादी का 27.7प्रतिशत है जो कुल 551422 है जिसमें 286140 पुरूष तथा 255282 स्त्री है ।

8.2 अनुसूचित जाति के परिवारो को निर्धनता रेखा से ऊपरउठाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के सद्देश्य से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में 50प्रतिशत लाभार्थी इसी वर्ग के प्रत्येक वर्ष चयनित करके इन्हें लाभान्वित किया जाता रहा है । इसके अतिरिक्त उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को स्वत: रोजगार योजना में सीधे सहायता दी जाती है । छठी एवं सप्तम पंचवर्षीय योजनावधि में निरन्तर इस दिशा में प्रगति की गयी है ।

8.4 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य रखा गया है =

पृथम खुराक

1- लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या	1389
2- अनुदान	37.03लाख
3- मार्जिन मनी	31.69लाख
4- बैंक ऋण	83.85लाख

द्वित्तीय खुराक:

1- लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या	232
2- अनुदान	2.32 लाख
3- बैंक ऋण	11.60लाख
4- मार्जिन मनी	-

स्वत: रोजगार योजना में लाभार्थियो को तीन श्रेणी में ऋण दिया जाता है :-

1- 6000/=रूपये तक
2- 6000/=से 12000/=रूपये तक
3- 12000/= से 20000/=रूपये तक ।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति होने की पूरी सम्भावना है ।

इसके अतिरिक्त एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार को योजना की लागत का 50% अनुपूरक अनुदान के रूप में लगभग 30.5 लाख रूपया दिया जायेगा । इससे कुल अनुदान तथा मार्जिन के रूप में 71.75 लाख रूपया व्यय होने का अनुमान है ।

8.5 स्पेशल काम्पोनेंट योजना में दुकान निर्माण योजना भी चल रही है , इसमें 10हजार रूपया व्यय होता है । जिसमें 5हजार रूपया अनुदान दिया जाता है तथा 5हजार रूपया बिना ब्याज का ऋण होता है । दुकान 15x8की होतीहै।

8.6 विक्रम टेम्पो की योजना भी स्वीकृत की गयी है जिसमें 65हजार रूपया का ऋण दिया जाता है । जिसमें 25% मार्जिन मनी तथा 3हजार रूपया अनुदान के रूप मे दिया जाता है ।

8.7 स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में ऊसर सुधार की योजना भी चलाई गई है । एक एकड़ पर 5000हजार रूपये तक अनुदान देय है ।

8.8 सिंचाई योजना में 5हजार रूपये के अनुदान देय है जिसमें से 3000/= नि:शुल्क बोरिंग पर तथा 2000/=रूपया पम्पिंग सेट पर अनुदान देय है ।

8.9 उपरोक्त वर्णित स्वत: रोजगार योजना में 12 हजार रूपये तक जिला स्तर से स्वीकृत होता है तथा 20हजार रूपये तक प्रबन्धकनिदेशक के स्तर से स्वीकृत होता है ।

इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सर्वांगीण तथा बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न विभागो के माध्यम से उनके बजट का 25% व्यय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए प्रावधानित किया जाता है ।

वर्ष 1989-90 में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा बैंको के माध्यम से स्वत: रोजगार योजना, शहरी क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क बोरिंग योजना तथा ग्रामसमाज की ऊसर भूमि को सुधार करने की योजना है ।

उपर्युक्तप्रस्तावित सभी योजनाएँ वर्ष 1990-91 में भी चलती रहेगी और 1990-91 का लक्ष्य भी उपरोक्त रहेगा, यदि शासन द्वारा किसी कार्यक्रम में कोई संशोधन नहीं किया जाता है ।

===

अध्याय-9

मुक्त धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव

वर्ष 1989-90 में प्रथम बार जनपद की स्थानीय और सामयिक समस्याओं सम्बन्धी योजनाओ के लिए मुक्त धनराशि का प्राविधान किया गया था । किन्तु वर्ष 1990-91 में कोई मुक्त धनराशि आरक्षित नहीं है अतः कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

अध्याय-10

समस्याये एवं सुझाव

आर्थिक विकास के लिए नियोजन एवं विकास अनवरत प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय शासन में नियोजन की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाने नीचे से नियोजन, प्रदेश के विभिन्न जनपदो में व्याप्त जनपदीय विषमताओं को दूर करने एवं अन्तर्जनपदीय/अन्तर्विकासखण्डीय विषमताओं को कम करने के उद्देश्य से नियोजन की प्रक्रिया को जनपदस्तर तक विकेन्द्रीकृत करते हुए वर्ष 1982 में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का शुभारम्भ किया है । तभी से जिला सेक्टर की योजनाओं की संरचना का कार्य जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा शासन के नियोजन विभाग द्वारा मार्ग निर्देशिका के अनुरूप प्रतिवर्ष किया जाता है । विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत योजना संरचना एवं उनके कार्यान्वयन में अनुश्रवण के अवसर पर प्रकाश में आने वाली समस्याएँ निम्नवत् है और उनका समाधान निम्नानुसार किया जा सकता है :-

प्रतिवर्ष राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्गीकृत कुछ न कुछ नवीन योजनाएँ जिला सेक्टर के अन्तर्गत स्थानान्तरित राज्य स्तरीय अधिकारियों के विवेक पर कर दी जाती है जबकि जिला सेक्टर कार्यक्रम मन्त्रि परिषद् द्वारा निर्धारित व तुपरक मानको के आधार पर कुल राज्य आयोजनागत परिव्यय का मात्र 30% अर्ष भी उपलब्ध कराया जाता है, राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर के परिव्यय का अनुपात 50:50 प्रतिशत किया जाना श्रेयस्कर सिद्ध होगा ।

ज्ञातव्य है जिला सेक्टर के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ वर्गीकृत की जाती है जिनका प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभ जनपद को ही प्राप्त होता हैं और राज्य सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ सम्मिलित है, जिनका लाभ एक से अधिक जनपदो को प्राप्त होता है, इस सम्बन्ध में स्मरणीय है कि पालीटेक्निक स्कूलों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अनेक जनपदों के विद्यार्थी लाभ प्राप्त करते है और यह योजना अत्यन्त व्ययवर्द्धक योजना है इसे राज्य सेक्टर में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । जिला सेक्टर में औद्योगिक आस्थान तक की ही योजना जनपदो के विकास के हित में होगी ।

सामान्यतया आयोजनेत्तर योजनाएँ आयोजनागत व्यय से संचालित नहीं की जाती है परन्तु वर्ष 1988-89 से सार्वजनिक निर्माण विभाग की आयोजनेत्तर भवन पूल्ड हाउसिंग स्कीम तथा राजस्व विभाग की आयोजनेत्तर भवन (आवासीय, अनावासीय) जिला सेक्टर में स्थानान्तरित कर दी गयी है । जिनके स्थानान्तरण का कोई औचित्य उस स्तर से प्रतीत नहीं होता है । इसे पुनः राज्य सेक्टर में स्थानान्तरित करने का सुझाव है ।

<u>राज्य सेक्टर योजनाओ के व्यय एवं परिव्यय की सूचना जिलास्तर पर उपलब्ध न होना :</u>

विभागो के जिला स्तरीय अधिकारियों को राज्य सेक्टर में वर्गीकृत योजनाओं के व्यय एवं परिव्यय की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होती है । फलतः राज्य सेक्टर योजनाओं के सही-सही अनुमान लगाने में कठिनाई होती है । विभागाध्यक्ष स्तर से मात्राकृत करने योग्य राज्य सेक्टर परिव्यय की सूचना जिले को भी उपलब्ध कराने के निर्देश शासन स्तर से पहले से ही विद्यमान है किन्तु राज्य सेक्टर योजनाओं को जिलेवार पाट सामान्यतया उपलब्ध नहीं करायी जाती जिससे जिला स्तर पर इन योजना के अनुमान त्रुटिपूर्ण हो जाते है।

अतः सुझाव है कि प्रत्येक विभाग को राज्य सेक्टर की योजनाओं एवं उन पर व्यय परिव्यय की सूचना जिले पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

(क्रमागत ...85पर)

जिला योजनाओं के बजट स्वीकृति में विलम्ब होना तथा धन अवमुक्त करने की सूचना में विलम्ब होना :

यद्यपि प्रशासनिक विभागो द्वारा जनपदीय अधिकारियो को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही वित्तीय स्वीकृतियो को निर्गत करने के निर्देश शासन के है, परन्तु व्यवहार में यह देखने को आया है कि वित्तीय वर्ष के आधे से अधिक समय व्यतीत हो जाने तक वित्तीय स्वीकृतियाँ/बजट ऑवटन जनपदीय अधिकारियों को प्राप्त नहीं होते और वित्तीय वर्ष के समापन के अवसर पर ही बजट ऑवटित किया जाता है । धनराशि वर्ष के अन्तिम माहो में अवमुक्त होने के कारण कार्यो के सम्पादन में जल्दबाजी होती है फलतः ऐसे कार्यो की गुणवत्ता कुप्रभावित होतो है । इसके साथ ही ऐसी स्थिति में पुर्नविनियोग प्रस्ताव तैयार किए जाने के अवसर पर स्पष्ट चित्र सामने उभर कर नहीं आ पाता कि अमुक योजना में अमुक मात्रा में धनराशि उपलब्ध होगी उसका व्यय किया जाना सुनिश्चित होगा अथवा नहीं । इस प्रकार पुर्नविनियोग के प्रस्ताव तैयार करने में बहुधा कठिनाई उत्पन्न होती है, इस सम्बन्ध में सुझाव यह है कि जनपदों से जब आगामी वर्ष की योजना प्राप्त हो जाए और शासन स्तर पर सूक्ष्म परीक्षणोपरान्त उसे जब अन्तिम रूप दे दिया जायें तो प्रत्येक प्रशासनिक विभाग/ विभागाध्यक्षो को ऐसे निर्देश जारी किए जाएँ कि वे हर हालत में जिला सेक्टर में परिव्ययो के अनुरूप विभागो के आय व्ययक में तद्नुसार समावेश अवश्यमेव करना सुनिश्चित करे, और जिला योजनाओं के सम्बन्ध में अनुपूरक माँगो के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति कराने की प्रवृत्ति को प्रत्येक दशा में हतोत्साहित किया जायें । आय व्ययक में प्राविधानित होने की दशा में वित्तीय स्वीकृतियों के निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा, और समय से वित्तीय स्वीकृतियाँ जनपदो को मिल जाने पर योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई नहीं होगी।

जिलासेक्टर की योजनाओं के सम्बन्ध में पुर्नविनियोग के प्रस्तावों को स्वीकृत करने के प्राधिकार को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के विवेक पर प्रतिनिधानित किए जाने का सुझाव है । जबकि अभी तक यह कार्य राज्य स्तर पर नियोजन विभाग प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्षो की सहमति से राज्य स्तर पर किया जाता है । जिससे कभी-कभी यह स्थिति उत्पन्न होती है कि

(क्रमागत .....86 पर)

जो धनराशि एक विभाग से दूसरे विभाग को « व्यवर्तित की जाती है वह विभागो को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनो तक प्राप्त ही नहीं हो पाती और उसका उपयोग वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाता है । पुर्नविनियोग के सम्बन्ध में यह भी सुझाव है कि बजट मैनुअल एवं वित्तीय « नियमो को शिथिल करते हुए जिला सेक्टर की योजनाओं की स्वीकृति परिव्यय की सीमा में पूँजीगत लेखे से राजस्व लेखे को तथा राजस्व से पूँजीगत लेखे के व्यवर्तन की सुविधा उपलब्ध कराई जायँ ।

<u>निर्माण इकाईयो के सम्बन्ध में :</u>

जिला सेक्टर योजनाओं में इधर के वर्षो में निर्माण कार्य पर्याप्त मात्रा में प्रस्तावित/स्वीकृत हो रहा है । जबकि निर्माण एजेन्सी के नाम पर सार्वजनिक निर्माण विभाग , ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम , तथानिर्माण निगम की ही सेवाएँ निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना §स्टाफ§ में इधर कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और उनके पास स्वयं का निर्माण कार्य पर्याप्त है । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के लोग ग्राम्य विकास के तथा शिक्षा विभाग के स्वीकृत निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे है । इस हेतु यह सुझाव है कि कृषि विभाग जैसा निर्माण सेल चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य में तथा शिक्षा विभाग में स्थापित किया जायँ । जो इन विभागों के निर्माण कार्यो को पूर्णकराने के उत्तरदायी हो और बहुत बड़े निर्माण कार्य निर्माण निगम/सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड को सौपे जायँ । छोटे विभागो तथा ग्राम विकास विभाग के निर्माण कार्य को, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के दायित्व पर दिया जायँ ।

<u>धन अवमुक्त करने की सूचना देना :</u>

जिला योजना के मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा करते समय अत्यधिक कठिनाई अनुभव की जाती है क्योंकि विभागाध्यक्षो द्वारा धन/अवमुक्त करने की सूचना केवल अपने विभाग को दी जाती है योजना कार्यान्वयन समिति के पास उसकी सूचना उपलब्ध नहीं होती है । अत: सुझाव है कि प्रत्येक विभाग धन अवमुक्त करते समय उसकी एक प्रति जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को भी भेजा करे जिससे योजना की समीक्षा सही ढ़ँग मे की जा सके ।

§क्रमागत....87पर§

जनपद स्तर पर नियोजन प्रकोष्ठ का गठन :

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के नियंत्रण में स्वतंत्र नियोजन प्रकोष्ठ का गठन किया जायें, जिसमें विषय विशेषज्ञो की टीम की सुविधा उपलब्ध करायी जायें । इस नियोजन क्षेत्र को सुदृढ़ कर पूर्ण सक्षम एवं साधन सम्पन्न बनाया जायें ।

इस नियोजन सेल के पूर्णकालिक कार्य की देख-रेख एवं नियंत्रण के लिए श्रेणी-। का एक अधिकारी नियुक्ति करने का सुझाव है और इस सेल में वित्त विभाग के अधिकारी के सेवालाभ को उपलब्ध कराकर जिला सेक्टर की योजनाओं की सम्पूर्ण औपचारिकता यथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, आगणन स्वीकृति तथा पुर्नविनियोग/व्यवर्तन का सम्पूर्ण कार्य जिलाधिकारी के विवेक पर जनपद स्तर पर प्रतिनिधानित किए जाने का सुझाव है, क्योंकि जनपद पर नियोजन विभाग के अधिकारी की सुविधा अभी से प्राप्त है । इस प्रकार इस नियोजन सेल को जनपद स्तर पर ही पूर्ण अधिकार प्राप्त बनाएँ जाने का सुझाव है, यदि उपर्युक्त कठिनाईयो एवं सुझावो के परिप्रेक्ष्य में शासन से अनुकूल परिवर्तन एवं सम्वर्द्धन की सुविधा प्राप्त होती है तो भविष्य में योजना की संरचना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के कार्य में गुणात्मक सुधार आएगा, जो प्रत्येक दशा में देश/प्रदेश जनपद के हित में होगा ।

O-O-O-O-O-O-O-O-O

खण्ड -द्वितीय

परिशिष्ट - 1

जी0एन0 - 1

सेक्टरवार/विभागवार सारांश

पृष्ठ संख्या 1 - 4

व

परिशिष्ट - 2

जी0एन0 - 2

सेक्टरवार/विभागवार/योजनावार

पृष्ठ संख्या 1 - 44

परिशिष्ट - 3

जी0एन0 - 3

भौतिक ------- लक्ष्य

पृष्ठसंख्या-45 - 66

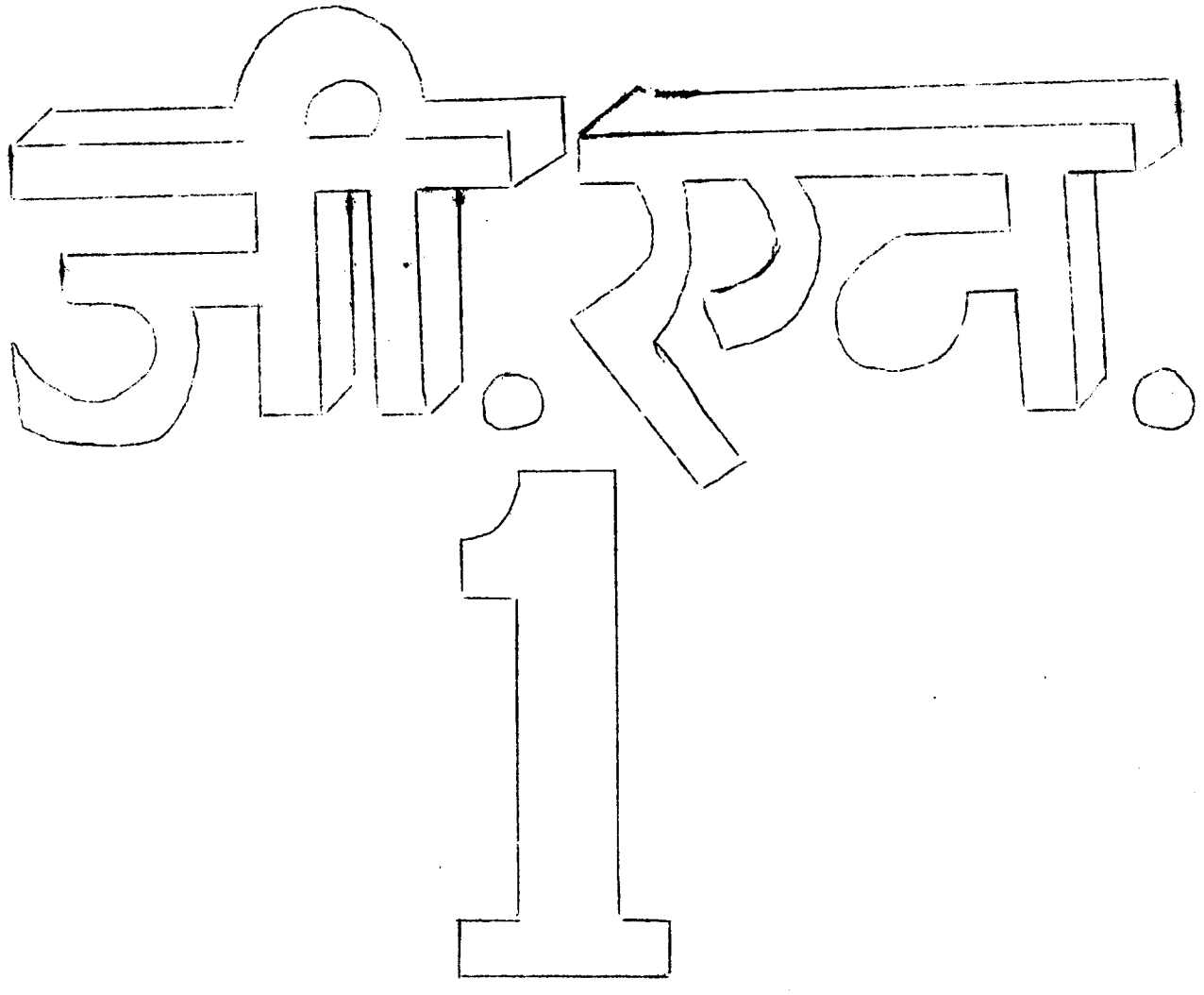

जी.एन.

1

परिशिष्ट-1

सेक्टरवार व्यय/परिव्यय

जी०एन०-1

क्र०सं०	सेक्टर/विभाग का नाम	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय	1989-90 अनुमानित व्यय	वर्ष 1990-91 का प्रस्तावित परिव्यय जिला सेक्टर परिव्यय राजस्व	पूँजीगत	कुल	अन्य स्रोत्र से	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	**कृषि एवं सम्वर्गीय सेवाएँ :**									
1.1-	कृषि	5403.00	2585.00	2833.00	2833.00	2450.00	303.00	2753.00	-	2753.00
1.2-	उद्यान	2755.00	1066.00	1760.00	1760.00	812.00	50.00	862.00	-	862.00
1.3-	गन्ना विभाग	351.00	93.00	192.00	192.00	219.00	-	219.00	-	219.00
1.4-	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता	14069.00	5744.00	11000.00	11000.00	11200.00	-	11200.00	11200.00	22400.00
1.5-	पशुपालन	2252.00	1094.60	1791.10	1791.10	1415.10	1304.00	2719.10	10.00	2729.10
1.6-	मत्स्य	1140.00	487.00	1022.50	1022.50	702.00	-	702.00	248.00	950.00
1.7-	वन विभाग	14205.00	8375.00	8075.00	8075.00	8075.00	-	8075.00	-	8075.00
1.8-	सहकारिता	720.00	325.00	400.00	400.00	648.00	-	648.00	-	648.00
	उपयोग: (कृषि एवं सम्वर्गीय सेवाएँ)	40895.00	19769.60	27073.60	27073.60	25521.10	1657.00	27178.10	11458.00	38[illegible]36.10
2-	**ग्राम्य विकास:**									
2.1-	एकीकृत ग्राम्य विकास	30224.00	17723.00	14959.00	14959.00	15200.00	-	15200.00	15200.00	30400.00
3-	**ग्रामीण रोजगार:**									
3.1.	जवाहर रोजगार योजना	-	-	17724.10	17724.10	23200.00	-	23200.00	92800.00	116000.0

परिशिष्ट-1

सेक्टरवार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-1

क्र0सं0	सेक्टर/विभाग का नाम	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय	1989-90 अनुमानित व्यय	वर्ष 1990-91 का प्रस्तावित परिव्यय जिला सेक्टर परिव्यय राजस्व	पूँजीगत	कुल	अन्य श्रोत्र से	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-	**अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम:**									
4.1-	भूमि सुधार	810.00	500.00	250.00	250.00	200.00	-	200.00	200.00	400.00
4.2-	पंचायत विभाग	4163.00	1401.00	1658.00	1194.00	6.00	1352.0	1358.00	132.50	1490.5
4.3-	सामुदायिक विकास	4965.00	2500.00	1500.00	1500.00	-	3538.50	3538.50	-	3538.50
	उपयोग: (ग्राम्य विकास कार्यक्रम)	9938.00	4401.00	3408.00	2944.00	206.00	4890.00	5096.00	332.50	5429.00
5-	**लघु सिंचाई:**									
5.1-	निजी लघु सिंचाई	763.00	570.00	897.00	547.00	220.00	390.00	610.00	-	610.00
5.2-	राजकीय लघु सिंचाई	10632.00	3548.00	4297.00	2356.00	-	2055.00	2055.00	-	2055.00
	उपयोग:-(लघु सिंचाई)	11395.00	4118.00	5194.00	2903.00	220.00	2445.00	2665.00	-	2665.00
6-	विद्युत	3110.00	1800.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-
7-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	4902.60	1561.00	1487.00	1487.00	185.80	1323.00	1508.80	1040.00	2548.80
8-	सड़क एवं पुल	35697.00	17188.00	17202.40	17202.40	-	22800.00	22800.00	-	22800.00
9-	**सामान्य आर्थिक सेवायें :**									
9.1-	पर्यटन	350.00	-	-	-	-	424.00	424.00	-	424.00
9.2-	अर्थ एवं संख्या	-	165.00	17.00	17.00	-	33.70	33.70	-	33.70

परिशिष्ट-1
सेक्टरवार व्यय/परिव्यय
जी०एन०-1

क्र०सं०	सेक्टर/विभाग का नाम	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय	1989-90 अनुमानित व्यय	वर्ष 1990-91 का प्रस्तावित परिव्यय/जिला सेक्टर परिव्यय राजस्व	पूँजीगत	कुल	अन्य श्रोत्र से	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उपयोग (सामान्य एवं आर्थिक सेवाएँ)	350.00	165.00	17.00	17.00	-	457.70	457.70	-	457.70
10-	शिक्षा:									
10.1-	सामान्य शिक्षा	11455.85	6789.50	8839.00	8803.00	3962.40	3500.00	7462.40	1747.90	9210.30
10.2-	प्राविधिक शिक्षा	6287.00	1375.00	1302.00	1302.00	450.00	650.00	1100.00	-	1100.00
10.3-	खेलकूद	543.30	441.00	1054.20	1054.20	65.00	700.00	765.00	-	765.00
10.4-	प्रादेशिक विकास दल	1486.00	714.00	1031.70	1031.70	1165.50	145.00	1310.50	-	1310.50
	उपयोग :- (शिक्षा)	19774.15	93195.00	12276.90	12190.90	5642.90	4995.00	10637.90	1747.90	12385.00
11-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	14373.00	6801.00	7941.00	7941.00	1685.00	10640.00	12325.00	-	12325.00
12-	पेयजल एवं स्वच्छता:									
12.1-	जल निगम	4218.00	1800.00	2000.00	2000.00	-	2500.00	2500.00	-	2500.00
12.2-	ग्राम्य विकास	870.40	400.00	75.00	75.00	-	800.00	800.00	-	800.00
	उपयोग: (पेयजल एवं स्वच्छता)	5088.40	2200.00	2075.00	2075.00	-	3300.00	3300.00	-	3300.00
13-	आवास ग्रामीण:									
13.1-	राजस्व विभाग	-	-	300.00	300.00	-	1000.00	1000.00	-	1000.00
13.2-	ग्राम्य विकास विभाग	1463.00	550.00	5472.00	5472.00	-	3550.00	3550.00	-	3550.00

परिशिष्ट - 1

सेक्टरवार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-1

क्रमसं0 सेक्टर/विभाग का नाम	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय	1989-90 अनुमानित व्यय	बर्ष 1990-91 का प्रस्तावित परिव्यय			अन्य श्रोत से	योग
					राजस्व	पूँजीगत	कुल		
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3 पूल्ड आवास	-	1002.00	1000.00	1000.00	-	1000.00	1000.00	-	1000.00
उपयोग(ग्रामीण आवास)	1463.00	1552.00	6772.00	6772.00	-	5550.00	5550.00	-	5550.00
14. सूचना एवं प्रसार	-	-	50.00	50.00	50.00	-	50.00	-	50.00
15. अनुसूचित जाति/जनजाति एवंअन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण	1884.00	2392.00	2711.00	2711.00	2867.00	-	2867.00	-	2867.00
16- श्रम एवं सेवायोजन:									
16.1 शिल्पकार प्रशिक्षण	922.00	326.00	350.00	350.00	300.00	-	300.00	-	300.00
17- समाज कल्याण	4519.00	2419.00	2466.00	2466.00	2676.00	-	2676.00	-	2676.00
18- पुष्टाहार	1350.00	596.00	693.00	693.00	493.00	-	493.00	-	493.00
कुल योग :	185885.65	92332.40	122900.00	120058.50	78246.80	58058.20	136305.00		258883.40
								122578.40	

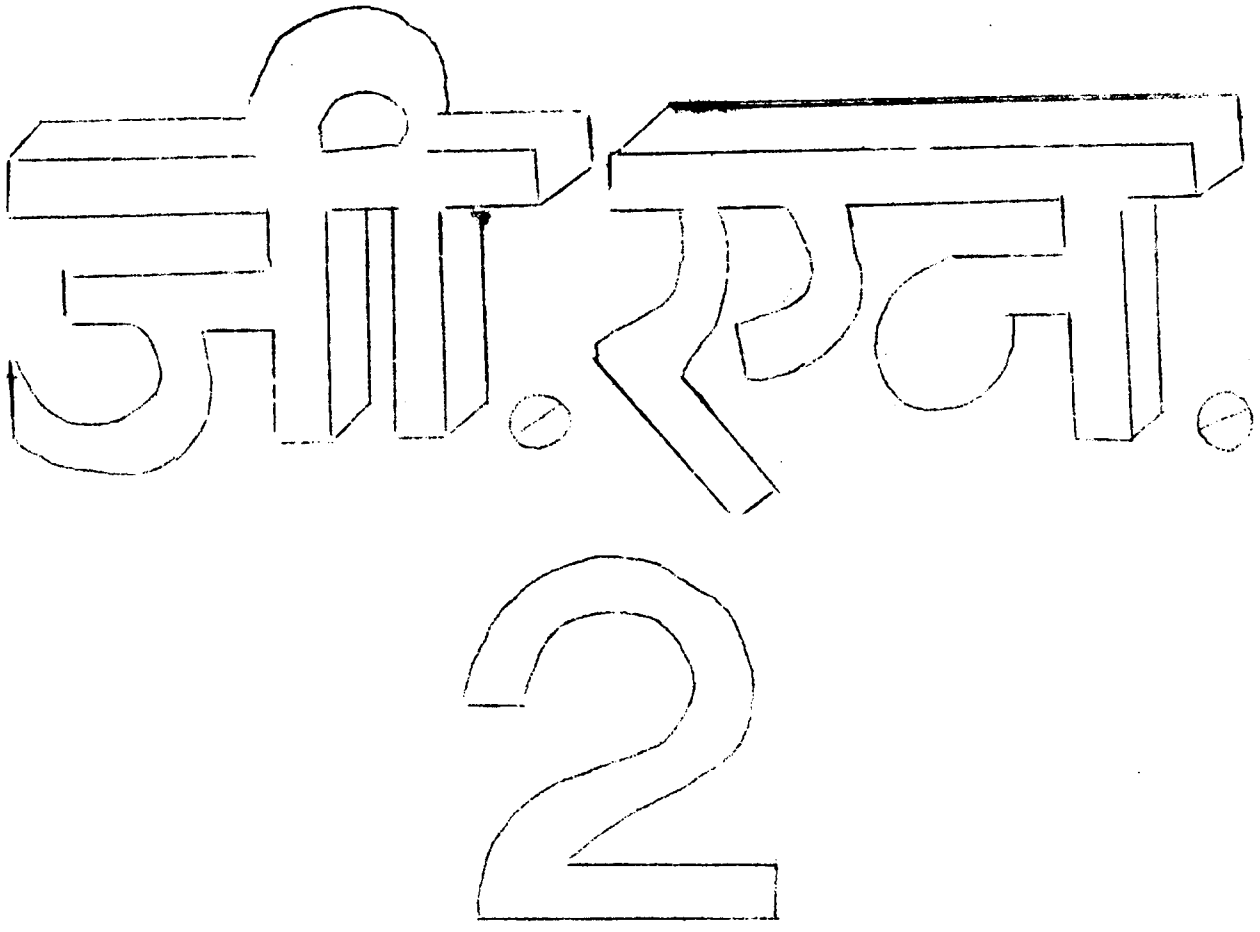

योजनावार व्यय/परिव्यय
जी0एन0-2

उप विकास मद- कृषि एवं सम्बन्धित सेवायें   (धनराशि हजार रुपये में)

मुख्य विकास मद- उगजपालन

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	कृषि :										
1-	**(क) चालू योजना:**										
	1- प्रदेश के मैदानी भागों में बीज विधायन संयंत्रों की स्थापना	381.0	143.0	172.0	-	172.0	-	-	-	-	
	2- प्रदेश के मैदानी भागों में गुणात्मक बीजों के सम्वर्द्धन संग्रहण एवं वितरण की योजना	4483.0	2252.0	2561.0	430.0	2561.0	430.0	2380.0	303.0	2683.0	
	3- प्रदेश के कृषि रक्षा सेवा का सुदृढ़ीकरण	539.0	190.0	100.0	-	100.0	-	70.0	-	70.0	
	उप योग चालू योजना	5403.0	2585.0	2833.0	430.0	2833.0	430.0	2450.0	303.0	2753.0	
	(ख)- नयी योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग: चालू योजना + नयी योजना	5403.0	2585.0	2833.0	430.0	2833.0	430.0	2450.0	303.0	2753.0	

उप विकास मद - कृषि एवं सम्वर्गीय सेवाये

मुख्य विकास मद - उद्यपालन

योजनावार ब्यय/ परिब्यय

जी0एन0-2

(धनराशि हजार रु0)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक ब्यय	1988-89 वास्तविक ब्यय	1989-90 अनुमोदित परिब्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिब्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित ब्यय कुल	1989-90 अनुमानित ब्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिब्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिब्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिब्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-	**उद्यान विभाग:**										
	(क) -चालू योजनाएँ:										
×1.	औद्यानिक फसलों के गुणात्मक उत्पादन बीज सम्वर्द्धन एवं आधुनीकरण की यो0	630.00	300.00	700.00	250.00	700.00	250.00	378.00	25.00	403.00	
××2.	पौध एवं कल्म उत्पादन सम्वर्द्धन एवं सुधार की योजना	1373.00	500.00	784.00	160.00	784.00	160.00	376.00	25.00	401.00	
3.	हरिजन एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना	292.00	100.00	110.00	-	110.00	-	58.00	-	58.00	
4.	सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	460.00	166.00	166.00	-	166.00	-	-	-	-	
	उपयोग :(चालू योजना)	2755.00	1066.00	1760.00	410.00	1760.00	410.00	812.00	50.00	862.00	
	(ख) नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग: (चालू योजना+ नई योजना)	2755.00	1066.00	1760.00	410.00	1760.00	410.00	812.00	50.00	862.00	

नोट:

× इस योजना में प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन एवं बीज विधायन इकाईयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण नामक योजना संविलीन की गई है।

** इस योजना में प्रदेश में प्रमुख एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में संघन औद्योगिक विकास नामक योजना संविलीन की गईइ है।

उप विकास पद- कृषि एवं सम्बन्धीय सेवाएँ
मुख्य विकास पद - उपजपालन

योजनावार व्यय/परिव्यय
जी0एन0-2

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल		1989-90 अनुपालित व्यय कुल		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत		विवरण कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	गन्ना विकास :-									
	(क) चालू योजनाएँ:									
	1- गन्ना बीज उत्पादन पर अनुदान देने की योजना	20.0	9.0	8.0	-	8.0	-	8.0	-	8.0
	2- उ0प्र0 में आधार गन्ना बीज के उत्पादन की योजना	71.0	18.0	66.0	-	66.0	-	101.0	-	101.0
	3- चीनी मिलो में 16 कि0मी0 की परिधि में सघन गन्ना विकास की योजना	56.0	10.0	20.0	-	20.0	-	20.0	-	20.0
	4- उ0प्र0 में गन्ना विकास की योजना	187.0	56.0	88.0	-	88.0	-	80.0	-	80.0
	5- गन्ना उत्पादको को सस्ते दर पर कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध कराने की योजना	17.0	8.0	10.0	-	10.0	-	10.0	-	10.0
	उप योग-चालू योजना:-	351.0	93.0	192.0	-	192.0	-	219.0	-	219.0
	(ख)-नई योजनाएँ :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग: (क) चालू योजना + नई योजना	351.0	93.0	192.0	-	192.0	-	219.0	-	219.0

उप विकास मद – कृषि एवं सम्वर्गीय सेवाएँ

मुख्य विकास मद – उपज पालन

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2द

(धनराशि हजार रु0 में)

क्र0 सं0	योजना	1985-86 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय: कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय: पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय: कुल	1989-90 अनुमानित व्यय: पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय: राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय: पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय: कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4–	**लघु सीमान्त कृषकों को सहायता:**										
	(क) चालू योजनाएँ:										
1.	लघु सीमान्त कृषकों को उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता (केन्द्र पुरोनिधानित)	14069.00	5744.00	11000.00	–	11000.00	–	11200.00	–	11200.00	
	उपयोग : (चालू योजना)	14069.00	5744.00	11000.00	–	11000.00	–	11200.00	–	11200.00	
	(ख) नई योजनाएँ:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	योग: (चालू योजना+ नई योजना)	14069.00	5744.00	11000.00	–	11000.00	–	11200.00	–	11200.00	

विकास मद - कृषि एवं सम्वर्गीय सेवायें

योजनावार व्यय/ परिव्यय

जे0एन0 -2

विकास मद - पशुपालन

(धनराशि हजार रुपये में)

सं0	योजना	1985.88 वास्तविक व्यय	1988.89 वास्तविक व्यय	1989.90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989.90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989.90 अनुमानित व्यय कुल	1989.90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	पशुपालन:										
	(-चालू योजनाएँ:										
	पशु चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार की योजना	469.00	350.00	836.60	550.00	836.00	550.00	697.30	960.00	1657.30	
	खुरपका मुँहपका रोग के रोकथाम की योजना (केन्द्र पुरोनिधानित)	30.00	10.00	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	
	कृत्रिम गर्भाधान ढाँचे का सुदृढ़ीकरण	502.00	51.80	204.80	150.00	204.80	150.00	60.60	54.00	114.60	
	अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	773.00	385.00	445.00	60.00	445.00	60.00	459.00	-	459.00	
	नये कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	219.00	25.00	25.00	-	25.00	-	30.00	--	30.00	
	बकरी प्रजनन सुविधाओं का प्रसार	58.00	30.40	23.30	-	23.30	-	30.00	15.00	45.00	
	भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	-	13.50	8.00	-	8.00	-	10.00	-	10.00	
	सूकर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण	143.00	198.90	193.40	-	193.40	-	36.00	90.00	126.00	

उप विकास मद – कृषि एवं सम्बर्गीय सेवाएँ

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

(धनराशि हजार रुपये में)

मुख्य विकास मद – पशुपालन

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9-	पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रचार की योजना	18.00	10.00	15.00	-	15.00	-	15.00	-	15.00	
10-	चारा/चाराबीज/चारागाहों के विकास की योजना	40.00	20.00	30.00	-	30.00	-	50.00	-	50.00	
	उपयोग:-(चालू योजना)	2252.00	1094.60	1791.10	760.00	1791.10	760.00	1397.90	1119.00	2516.90	
(ख)-	नई योजनाएँ:										
1-	प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं साडों के क्रय की योजना	-	-	-	-	-	-	17.20	185.00	202.20	
	उपयोग:-(नई योजना)	-	-	-	-	-	-	17.20	185.00	202.20	
	योग :-(चालू +नई योजना)	2252.00	1094.60	1791.10	760.00	1791.10	760.00	1415.10	1304.00	2719.10	

उप विकास मद- कृषि एवं सम्बर्गीय सेवायें
मुख्य विकास मद- मत्स्य विभाग

योजनावार व्यय/परिव्यय
जी0एस0-2

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूंजीगत	कुल	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6- मत्स्य विभाग:											
(क)- चालू योजनाएँ :											
1- मत्स्य पालक विकास अभिकरण											
(केन्द्र पोषित)		1140.0	487.0	1022.5	-	1022.5	-	702.0	-	702.0	
उपयोग: (चालू योजना)		1140.0	487.0	1022.5	-	1022.5	-	702.0	-	702.0	
(ख)- नई योजनाएँ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग: (चालू योजना+नई योजना)		1140.0	487.0	1022.5	-	1022.5	-	702.0	-	702.0	

उप विकास मद- कृषि एवं सम्बर्गीय सेवाएँ
मुख्य विकास मद - वन विभाग

योजनावार व्यय/परिव्यय
जी0एस0-2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7-	वन विभाग:										
	(क)- चालू योजनाएँ:										
1-	भवन	500.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	
2-	शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी	200.00	50.00	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	
3-	कर्मचारियों को पेयजल तथा विद्युत सुविधा	135.00	25.00	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	
4-	सामाजिक वानिकी	13370.00	8100.00	8000.00	-	8000.00	-	8000.00	-	8000.00	
	उप योग:- (चालू योजना)	14205.00	8375.00	8075.00	-	8075.00	-	8075.00	-	8075.00	
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग : (चालू योजनाएँ+नई योजना)	14205.00	8375.00	8075.00	-	8075.00	-	8075.00	-	8075.00	

योजनावार व्यय/परिव्यय

उप विकास मद- कृषि एवं सम्वर्गीय सेवाएँ

मुख्य विकास मद - सहकारिता विभाग

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूँजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूँजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूँजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8-	**सहकारिता विभाग:**										
	(क) चालू योजना:										
	(अ) सहकारी क्रय विक्रय योजना:										
1-	कृषि ऋण सहकारी समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु मा[illegible] धन	645.00	300.00	375.00	-	375.00	-	375.00	-	375.00	
	(ब)- उपभोक्ता योजना:										
1-	केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार को मूल्य उतार चढ़ाव हेतुअनुदान	75.00	25.00	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	
	उपयोग(चालू योजना)	720.00	325.00	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	
	(ख)-नई योजनाएँ:										
	(अ)-शीत गृह योजना:										
1-	दुर्बल शीत गृहो को पूर्णक्षमता से चलाने हेतु शासकीय अंशपूँजी विनियोजन	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00	
	(ब) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना:										
1-	जिला सहकारी बैंक शाखाओं को प्रबन्धकीय सहायता	-	-	-	-	-	-	48.00	-	48.00	
	उपयोग:(नई योजना)	-	-	-	-	-	-	248.00	-	248.00	
	योग-(चालू+नई योजना)	720.00	325.00	400.00	-	400.00	-	648.00	-	648.00	

योजनावार व्यय/परिव्यय
जी0एन0-2

उप विकास मद- ग्राम्य विकास
मुख्य विकास मद- ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम तथा रोजगार

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	पूंजीगत	कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9-	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना:										
	(क)- चालू योजनाएँ :										
	1- एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम (केन्द्र पुरोनिधानित)	30224.0	17723.0	14959.0	-	14959.0	-	15200.0	-	15200.0	
	उपयोग: (चालू योजना	30224.0	17723.0	14959.0	-	14959.0	-	15200.0	-	15200.0	
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग:- (चालू योजना +नई योजना)	30224.0	17723.0	14959.0	-	14959.0	-	15200.0	-	15200.0	

उप विकास मद- ग्राम्य विकास

मुख्य विकास मद-ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम तथा ग्रामीण रोजगार

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी०एन०-2

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र०सं०	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-	जवाहर रोजगार योजना:										
	(क)-चालू योजनाएँ:										
	1- जवाहर रोजगार योजना (केन्द्र पुरोनिधानित)	-	-	17724.10	-	17724.10	-	23200.0	-	23200.0	
	योग :(चालू योजना)	-	-	17724.10	-	17724.10	-	23200.0	-	23200.0	
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग:-(चालू योजना+नई योजना)	-	-	17724.10	-	17724.10	-	23200.0	-	23200.0	

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एस0-2

उप विकास मद- ग्राम्य विकास

मुख्य विकास मद- भूमि सुधार

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्वत	पूँजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-	भूमि सुधार:										
	(क)- चालू योजनाएँ:										
	1- सीलिंग भूमि अधिशेषों को आर्थिक सहायता (केन्द्र पुरोनिधानित)	810.0	500.0	250.0	-	250.0	-	200.0	-	200.0	
	उपयोग-चालू योजना:	810.0	500.0	250.0	-	250.0	-	200.0	-	200.0	
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग: चालू योजना +नईयोजना	810.0	500.0	250.0	-	250.0	-	200.0	-	200.0	

योजनावार व्यय / परिव्यय

जो0एन0- 2

उप विकास मद - ग्राम्य विकास

मुख्य विकास मद - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0 सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	पूंजीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2- पंचायत विभाग:										
	(क)- चालू योजनाएँ:										
1	1- पंचायतराज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु उन्हें आय में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन	18.00	6.00	6.00	-	6.00	-	6.00	-	6.00
2	2- ग्रामीण पर्यावरण एवं स्वच्छता हेतु नाली तथा खण्डंजा निर्माण	3085.00	1300.00	1400.00	1400.00	936.00	936.00	---	1100.00	1100.00
3	3- पंचायत भवनों का निर्माण	885.00	90.00	225.00	225.00	225.00	225.00	-	225.00	225.00
4	4- हाट बाजार तथा मेलो की स्थिति में सुधार ग्राम संस्थाओं को सहायक अनुदान	175.00	5.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	27.00	27.00
	उप योग:-(चालू योजना)	4163.00	1401.00	1658.00	1627.00	1194.00	1186.00	6.00	1352.00	1358.00
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :-(चालू योजना+नई योजना)	4163.00	1401.00	1658.00	1627.00	1194.00	1186.00	6.00	1352.00	1358.00

उप विकास मद - ग्राम्य विकास
मुख्य विकास मद - अन्य विकास कार्यक्रम

योजनावार व्यय/ परिव्यय
जी0एन0-2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0 सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13-	ग्राम्य विकास (सामुदायिक)										
	(क) चालू योजनाएं:										
1.	जिला विकास कार्यालय भवन निर्माण तथा विद्युतीकरण	-	-	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	-	3500.00	3500.00	
2.	विकास खण्ड भवन	4965.00	2500.00	-	-	-	-	-	38.50	38.80	
	उप योग: (चालू योजनाएं)	4965.00	2500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	-	3538.50	3538.50	
	(ख) नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग: (चालू योजना+नई योजना)	4965.00	2500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	-	3538.50	3538.50	

उप विकास मद–सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण
मुख्य विकास मद– लघु सिंचाई

योजनावार व्यय/परिव्यय
जो0एन0–2

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985–88 वास्तविक व्यय	1988–89 वास्तविक व्यय	1989–90 अनुमोदित परिव्यय		1989–90 अनुमानित व्यय		1990–91 प्रस्तावित विवरण परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्वत	पूँजीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14– निजी लघु सिंचाई विभाग										
(क) चालू योजनाएः–										
1.	संयंत्र एवं उपकरण	555.00	180.00	297.00	297.00	297.00	297.00	220.00	–	220.00
2.	बोरिंग गोदाम निर्माण	208.00	390.00	600.00	600.00	600.00	600.00		390.00	390.00
	उपयोग (चालू योजना)	763.00	570.00	897.00	897.00	897.00	897.00	220.00	390.00	610.00
(ख) नई योजनाएः		–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग :(चालू योजना+नई योजना		763.00	570.00	897.00	897.00	897.00	897.00	220.00	390.0	610.00

उप विकास मद- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

मुख्य विकास मद- राजकीय लघु सिंचाई

योजनावार व्यय/परिव्यय
जो0एन0-2

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15- राजकीय लघु सिंचाई:योजना:											
(क)- चालू योजना:											
1- राजकीय नलकूप (सामान्य कार्यक्रम)		10632.00	3548.00	4297.00	4297.00	2356.00	2356.00	-	2055.00	2055.00	
उप योग :(चालू योजना)		10632.00	3548.00	4297.00	4297.00	2356.00	2356.00	-	2055.00	2055.00	
(ख)-नई योजनाएँ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग :(चालू योजना+नई योजना)		10632.00	3548.00	4297.00	4297.00	2356.00	2356.00	-	2055.00	2055.00	

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

उप विकास मद- ऊर्जा

मुख्य विकास मद- विद्युत

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16-	विद्युत विभाग:									
	(क)- चालू योजनाएँ:									
1-	ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य सामान्य कार्यक्रम)	3110.00	1800.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-
	उपयोग : (चालू योजना)	3110.00	1800.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:- (चालू योजना+नई योजना)	3110.00	1800.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-

उप विकास मद

मुख्य विकास मद

योजनावार व्यय / परिव्यय
जी०एन०-2

§ धनराशि हजार रूपये में §

क्र०सं०	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग:										
§क§	चालू योजनाएँ :										
1-	औद्योगिक आस्थान	1655.00	-	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	
2-	मेला एवं प्रदर्शनी	50.00	22.00	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	
3-	जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मार्जिन मनी ऋण	323.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	
4-	एकीकृत मार्जिनी मनी ऋण	2541.00	1216.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	-	1100.00	1100.00	
5-	उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण शोध	108.00	40.00	40.00	-	40.00	-	100.00	-	100.00	
6-	औद्योगिक सहकारिता §अवस्तारीय§	-	-	9.00	-	9.00	-	10.80	-	10.80	
§+§	प्रबन्धकीय सहायता§										
§2§	अंशपूँजी ऋण	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	-	20.00	20.00	
	उपयोग §चालू योजना§	4677.60	1368.00	1294.00	1220.00	1294.00	1220.00	135.80	1220.00	1355.00	
§ख§-	नई योजनाएँ:										
1-	लघु उद्योग बन्धु	-	-	-	-	-	.	10.00	-	10.00	
	योग:-§चालू+ नई योजना§	4677.60	1368.00	1294.00	1220.00	1294.00	1220.00	145.80	1220.00	1365.00	

योजनावार व्यय/ परिव्यय

उप विकास मद - उद्योग एवं खनिज
मुख्य विकास मद- ग्रामोण एवं लघु उद्योग

जी0एन0-2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	1985.88 वास्तविक व्यय	1988.89 वास्तविक व्यय	1989.90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989.90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989.90 अनुमानित व्यय कुल	1989.90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	हथकरघा										
1-	हथकरघा सहकारी समितियों को अंशपूंजी ऋण	110.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	-	103.00	103.00	
2-	हथकरघाओं का आधुनिकीकरण	115.00	40.00	40.00	-	40.00	-	40.00	-	40.00	
	उपयोग :	225.00	193.00	193.00	153.00	193.00	153.00	40.00	103.00	143.00	
	महायोग ग्रामीण एवं लघु उद्योग	4902.60	1561.00	1487.00	1373.00	1487.00	1373.00	185.00	1323.00	1508.60	

उप विकास मद : परिवहन ।

मुख्य विकास मद: सड़क एंव पुल ।

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

(धनराशि हजाररूपये में)

क्रमसं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्वत	पूँजीगत	कुल
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18-	सड़क एंव पुल:									
	(क) चालू योजनायें:									
	1-लघु सेतु निमार्ण									
	30मीटर स्पान तक के पुल	5117.00	1500.00	1479.00	1479.00	1479.00	1479.00	-	2958.00	2958.00
	2-ग्रामीण मार्ग(न्यूनतम-आवश्यकता कार्यक्रम)	30580.00	15688.60	15723.40	15723.40	15723.40	15723.40	-	19842.00	19842.00
	उपयोग (चालू योजना)	35697.00	17188.60	17202.40	17202.40	17202.40	17202.40	-	22800.00	22800.00
	(ख) नई योजनायें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग: (चालू योजना + नई योजना)	35697.00	17188.60	17202.40	17202.40	17202.40	17202.40	-	22800.00	22800.00

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी.एन.-2

विकास मद - सामान्य आर्थिक सेवाएँ

विकास मद- पर्यटन

(धनराशि हजार रूपये में)

योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित विवरण परिव्यय		
			कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12
पर्यटन विभाग:									
क)- चालू योजनाएँ									
- महादेवा रैन बसेरा का निर्माण	350.00		-	-	-	-	-	350.00	350.00
- स्थानीय पर्यटन विकास	-		-	-	-	-	-	74.00	74.00
उपयोग: (चालू योजना)	350.00		-	-	-	-	-	424.00	424.00
ब)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग : (चालू योजना+नई योजना)	350.00		-	-	-	-	-	424.00	424.00

उप विकास मद - सामान्य आर्थिक सेवाएँ

मुख्य विकास मद - सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20-	अर्थ एवं संख्याप्रभाग:										
(क)-	चालू योजनाएँ:										
1-	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में साज सज्जा एवं उपकरण आदि की पूर्ति	-	165.00	17.00	-	17.00	-	33.70	-	33.70	
	उपयोग:-(चालू योजना)	-	165.00	17.00	-	17.00	-	33.70	-	33.70	
(ख)-	नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग:(चालू योजना + नई योजना)	-	165.00	17.00	-	17.00	-	33.70	-	33.70	

उप विकास मद - शिक्षा

मुख्य विकास मद - सामान्य शिक्षा।

योजनावार व्यय/ परिव्यय

जी0एन0-2

§ धनराशि हजार रुपये में §

क्र0 सं0	योजना	1985.88 वास्तविक व्यय	1988.89 वास्तविक व्यय	1989.90 अनुमोदित परिव्यय		1989.90 अनुमानित व्यय		1990.91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूंजीगत	कुल	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21-	**प्राथमिक शिक्षा** चालू योजनायें										
1.	अराहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सी0बे0 स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान	757.60	360.00	530.00	-	530.00	-	95.00	-	95.00	
2.	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में सी0बे0 स्कूल के भवन निर्माण हेतु अनुदान	3139.40	1758.00	3140.00	3140.00	3140.00	3140.00	-	925.00	925.00	
3.	ग्रामीण क्षेत्रों मे मिश्रित जूनियर बे0 विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	143.00	54.00	63.00	-	63.00	-	160.00	[illegible]	610.00	
4.	जूनियर बेसिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं साज-सज्जा हेतु अनुदान	21.00	9.00	9.00	-	9.00	-	12.00	-	12.00	
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्यपुस्तक वितरणीय प्रोत्साहन हेतु अनुदान	35.00	15.00	15.00	-	15.00	-	15.00	-	15.00	
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में बालक/ बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	226.50	59.00	67.00	-	67.00	-	485.00	-	485.00	
7.	नगर क्षेत्र में सीनियर बेसिक स्कूल में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं साज-सज्जा हेतु अनुदान	50.00	20.00	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	
8.	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे 6.14 वर्ष के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान	1821.00	900.00	835.00	-	835.00	-	1071.30	-	1071.30	

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0 एन0-2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	मुख्य विकास मद योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12
9.	प्रत्येक जिले में जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	-	12.00	7.00	-	7.00	-	7.00	-	7.00
10.	प्रदेश के जिले में कक्षा 6-8 में 15/= प्रति माह की दर से तीन वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति	86.50	33.00	33.00	-	33.00	-	44.00	-	44.00
11.	बेसिक स्कूल के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार	20.00	8.00	10.00	-	10.00	-	22.00	-	22.00
12.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्यपुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	21.25	12.50	12.00	-	12.00	-	-	-	-
13.	ग्रामीण क्षेत्रों की सीनियर बेसिक स्कूलों की साज-सज्जा हेतु अनुदान	165.00	50.00	50.00	-	48.00	-	100.00	-	100.00
14.	जूनियर बेसिक स्कूल में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	25.00	10.00	10.00	-	10.00	-	30.00	-	30.00
15.	खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवकों के कल्याण हेतु-प्रावधान	3.00	3.00	3.00	-	3.50	-	3.50	-	3.50
	उपयोग - (चालू योजना)	6514.35	3304.00	4804.00	3140.00	4802.50	3140.00	2164.80	1375.00	3439.80

उप विकास मद - शिक्षा

मुख्य विकास मद- अल्पसंख्यक शिक्षा

योजनावार व्यय/ परिव्यय

जी0एन0-2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	1985.88 वास्तविक व्यय	1988.89 वास्तविक व्यय	1989.90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989.90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989.90 अनुमानित व्यय कुल	1989.90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ख)	नई योजना										
1.	अरबिक मदरसों के अनुरक्षण एवं विकास हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-	40.00	-	40.00	
	योग- (चालू+ नई योजना)	6514.35	3304.00	4804.50	3140.00	4802.50	3140.00	2104.80	1375.00	3479.80	

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी. एन. -2

उप विकास मद - शिक्षा
मुख्य विकास मद- सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूँजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूँजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूँजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2(ख)- माध्यमिक शिक्षा:											
	(क)-चालू योजनाएँ:										
1-	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालयों का सम्बर्द्धन	-	15.00	15.00	-	15.00	-	25.00	-	25.00	
2-	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को छात्र संख्या वृद्धि फलस्वरूप कक्षा एवं काष्ठोपकरण आदि हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-	12.60	45.00	57.60	
3-	प्रदेश के प्रत्येक जिले में 6-8 में 15/= प्रतिमाह की दर से 3वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति	-	33.00	33.00	-	33.00	-	74.80	-	74.80	
4-	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत	844.00	1355.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	-	1680.00	1680.00	
5-	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों का समावेश	209.50	200.00	280.00	150.00	196.00	150.00	60.00	100.00	160.00	
6-	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण	-	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00		[illegible]		

उप विकास मद – शिक्षा
मुख्य विकास मद – सामान्य शिक्षा

योजनावार व्यय / परिव्यय
जी०एन०-2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र० सं०	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित व्यय कुल	1990-91 प्रस्तावित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालको के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा	–	–	33.00	–	33.00	–	120.00	–	120.00
8-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो में बस की व्यवस्था	–	–	118.00	118.00	118.00	118.00	–	–	–
9-	जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	–	31.00	25.00	–	25.00	–	39.70	–	39.70
10-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालचर योजना का प्रसार	16.00	4.00	8.00	–	8.00	–	8.00	–	8.00
11-	खेलकूद तथा अन्य विद्यालयो के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवको के कल्याण हेतु प्रावधान	9.00	13.50	13.50	–	13.50	–	12.50	–	12.50
12-	वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों के विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना	775.00	250.00	50.00	–	50.00	–	100.00	–	100.00
13-	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	41.00	20.00	20.00	–	20.00	–	16.00	–	16.00
	उपयोग:-(चालू योजना)	1894.50	2521.50	2695.50	2368.00	2611.50	2368.00	468.60	2125.00	2593.60
(ख)-	नई योजनाएँ:	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग:(चालू+नई योजना)	1894.50	2521.50	2695.50	2368.00	2611.50	2368.00	468.60	2125.00	2593.60

योजनावार व्यय / परिव्यय

जी0एन0-2

उप विकास मद --शिक्षा
मुख्य विकास मद - सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रुपयों में)

क्र0सं0	योजना	1935.88 वास्तविक व्यय	1988.89 वास्तविक व्यय	1989.90 अनुमोदित परिव्यय		1989.90 अनुमानित व्यय		1990.91 प्रस्तावित परिव्यय			टिप्पणी
				कुल	पूंजीगत	कुल	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21--ग-प्रौढ़ शिक्षा:											
(क) चालू योजनाएँ:											
i-	राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार	3047.00	964.00	1389.00	-	1389.00	-	1389.00	-	1389.00	
	उपयोग --(चालू योजना)	3047.00	964.00	1389.00	-	1389.00	-	1389.00	-	1389.00	
(ख)- नई योजनाएँ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग :(चालू +नई योजना)	3047.00	964.00	1389.00	-	1389.00	-	1389.00	-	1389.00	
	योग: सामान्य शिक्षा	11455.85	6799.50	8889.00	5508.0	8803.00	5508.0	3962.40	3500.00	7462.40	

योजनावार व्यय / परिव्यय

उप विकास मद : शिक्षा ।
मुख्य विकास मद : प्राविधिक शिक्षा ।

जी0एन0-2

(धनराशि हजार रूपये)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परि-वितरण व्यय		
				कुल	पूंजीगत	कुल	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22-	प्राविधिक शिक्षा:									
	(चालू योजना)									
1-	पालीटेक्निक की स्थापना, भवन निर्माण एंव क्वार्टर्स	6287.00	1125.00	1140.00	1140.00	1140.00	1140.00	200.00	650.00	850.00
2-	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	-	50.00	15.00	--	15.00	-	-	-	-
3-	आर्वतक व्यय	-	200.00	142.00	-	142.00	-	250.00	—	250.00
4-	अनुरक्षण स्टाफ	-	-	5.00	--	5.00	-	-	-	-
	योग चालू योजना :	6287.00	1375.00	1302.00	1140.00	1302.00	1140.00	450.00	650.00	1100.00
	नई योजना :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उपयोग नई योजना:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:चालू +नई योजना:प्राविधिक शिक्षा:	6287.00	1375.00	1302.00	1140.00	1302.00	1140.00	450.00	650.00	1100.00

उप विकास मद- शिक्षा

मुख्य विकास मद- खेलकूद एवं युवा कल्याण

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूंजीगत	कुल	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23-	प्रादेशिक विकास दल:										
	(क)-चालू योजनाएँ:										
1-	स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण वर्दी/प्रशिक्षण पर व्यय	701.00	280.00	264.20	-	264.20	-	614.70	-	614.70	
2-	युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन	245.00	157.60	277.60	-	277.60	-	217.60	-	217.60	
3-	युवक मंगल दलों का सेमिनार/वर्कशाप (विकासखण्ड/जिलास्तर)	26.00	12.80	16.00	-	16.00	-	16.00	-	16.00	
4-	समाज सेवा सुरक्षा पर मेला/प्रदर्शनी तीर्थयात्रा आदि पर व्यय	138.00	130.00	200.00	-	200.00	-	125.00	-	125.00	
5-	प्रकीर्ण व्यय	25.00	41.00	77.00	-	-77.00	-	60.00	145.00	210.00	
6-	ग्रामीण युवकों को व्यवसायिक रोजगार	32.00	16.50	-	-	-	-	-	-	-	
7-	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (विकास खण्ड/जिलास्तर)	46.00	35.00	40.00	-	40.00	-	67.00	-	67.00	
8-	ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशालाओं की स्थापना/प्रोत्साहन	267.00	16.10	132.90	110.00	132.90	110.00	38.20	-	38.20	

योजनवार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

उप विकास मद - शिक्षा

मुख्य विकास मद - खेलकूद एवं युवा कल्याण

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित		
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9-	सर्वश्रेष्ठ युवक मंगलदल को विवेकानन्द यूथ एवार्ड	6.00	13.00	12.00	-	12.00	-	12.00	-	12.00
10-	साहसिक कार्य हेतु प्रोत्साहन	-	7.00	7.00	-	7.00	-	-	-	-
11-	सांस्कृतिक कार्यक्रम	-	5.00	5.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00
	उपयोग : (चालू योजना)	1486.00	714.00	1031.70	110.00	1031.70	110.00	1165.50	145.00	1310.50
(ख)-	नई योजनाएँ :-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग : (चालू योजना + नई योजना)	1486.00	714.00	1031.70	110.00	1031.70	110.00	1165.50	145.00	1310.50

योजनावार व्यय/परिव्यय

उप विकास मद = शिक्षा

मुख्य विकास मद- खेलकूद एवं युवा कल्याण

जो0एन0 -2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	1985.88 वास्तविक व्यय	1988.89 वास्तविक व्यय	1989.90 अनुमोदित परिव्यय		1989.90 अनुमानित व्यय	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पू जोगत	कुल	पजोगत	राजस्व	पूजीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12
24-	खेलकूद विभाग:									
(क)	चालू योजनाएँ:									
1-	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूल में खेलकूद केन्द्र की स्थापना	8.00	3.20	3.20	-	3.20	-	-	-	-
2-	खेलकूद उपकरण सामग्री की पूर्ति	10.00	10.30	30.00	-	30.00	-	35.00	-	35.00
3-	विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	26.30	21.00	21.00	-	21.00	-	30.00	-	30.00
4-	क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण	501.00	406.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	-	700.00	700.00
	उपयोग: (चालू योजना)	545.30	441.00	1054.20	1000.00	1054.20	1000.00	65.00	700.00	765.00
(ख)	नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग : (चालू योजना +नई योजना)	545.30	441.00	1054.20	1000.00	1054.20	1000.00	65.00	700.00	765.00

उप विकास मद – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य
मुख्य विकास मद– चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

योजनावार व्यय/ परिव्यय
जी0एन0–2

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0 सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	कुल/ विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25–	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :										
	(क) चालू योजनाएँ:										
1–	उप केन्द्रों के भवन निर्माण	425.00	300.00	672.00	672.00	672.00	672.00	–	1500.00	1500.00	
2–	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	5527.00	800.00	260.00	260.00	260.00	260.00	–	4800.00	4800.00	
3–	नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	2480.00	1415.00	2060.00	–	2[illegible]	–	50.00	–	50.00	
4–	वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीनीकरण, विस्तार तथा बिजली पानी की व्यवस्था	203.00	50.00	–	–		–	100.00	–	100.00	
5–	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	4135.00	2400.00	1850.00	1350.00	1850.00	1350.00	500.00	2190.00	2690.00	
6–	उपचारिकाओं के लिए आवास गृहों का निर्माण	–	–	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	–	1600.00	1600.00	
7–	राजकीय चिकित्सालय में शैय्या वृद्धि	–	–	–	–	–	–	–	200.00	200.00	
8–	पुरुष तथा महिला चिकित्सालय की स्थापना	100.00	175.00	200.00	–	200.00	–	–	–	–	
9–	अस्पतालों की साज सज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री:										
अ–	डीजल जनरेटर	551.00	50.00	100.00	–	100.00	–	320.00	–	320.00	
ब–	एम0टी0डी0 क्लीनिक	100.00	60.00	60.00	–	60.00	–	–	–	–	
स–	चीड़ घर का निर्माण	–	–	150.00	–	150.00	150.00	–	100.00	100.00	

योजनावार व्यय /परिव्यय

जी०एन०-2

उप विकास मद - चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

मुख्य विकास मद - चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र० सं०	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित व्यय राजस्व	पूंजीगत	कुल	वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10-	आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	72.00	176.00	200.00	-	200.00	-	150.00	-	150.00	
11-	शहरी क्षेत्र में 25/15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	425.00	600.00	688.00	-	688.00	-	150.00	-	150.00	
12-	वर्तमान आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों का पुर्नस्थापन	-	15.00	30.00	-	30.00	-	55.00	-	55.00	
13-	आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना तथा प्रसार	100.00	230.00	154.00	-	154.00	-	30.00	-	30.00	
14-	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में अतिरिक्त दवाओं का प्राविधान	45.00	30.00	54.00	-	54.00	-	60.00	-	60.00	
15-	शहरी तथा ग्रामीण होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना	210.00	400.00	400.00	-	400.00	-	170.00	-	170.00	
16-	ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन निर्माण	-	-	93.00	93.00	93.00	93.00	-	250.00	250.00	
	योग:-(चालू योजना)	14373.00	6801.00	7941.0	4553.00	7941.00	3525.00	1585.0	10640.00	12225.00	
	(ख)-नई योजनाएँ:										
1-	अस्पतालों में विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था:										
	अ- दन्त कक्षालय की स्थापना	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	
	योग :(चालू +नई योजना)	14373.00	6801.00	7941.0	4553.00	7941.00	3525.00	1685.00	10640.00	12325.00	

योजनावार व्यय/परिव्यय

उप विकास मद- जल सम्पूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास — जी0एन0-2

मुख्य विकास मद- -जलसम्पूर्ति एवं स्वच्छता

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूँजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	पूँजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	पूँजीगत	कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26- ग्रामीण पेयजल (जल निगम):											
	(क)- चालू योजनाएँ										
	1- ग्रामीण जलसम्पूर्ति (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	4218.00	1800.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	-	2500.00	2500.00	
	उपयोग: (चालू योजनाएँ)	4218.00	1800.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	-	2500.00	2500.00	
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग : (चालू योजना + नई योजना)	4218.00	1800.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	-	2500.00	2500.00	

उप विकास मद- जलसम्पूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरविकास

मुख्य विकास मद- जलसम्पूर्ति एवं स्वच्छता

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी. एन. -2

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27- ग्रामीण पेयजल (ग्राम्य विकास विभाग):											
(क) चालू योजनाएँ:											
1- हरिजन पेयजल को सम्पूर्ति		870.90	400.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-	800.00	800.00	
उपयोग : (चालू योजना)		870.90	400.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-	800.00	800.00	
(ख)-नई योजनाएँ:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग :- (चालू योजना + नई योजना)		870.90	400.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-	800.00	800.00	

उप विकास मद - जलसम्पूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास — योजनावार व्यय/परिव्यय — जो0एन0-2 — (धनराशि हजार रूपये में)

मुख्य विकास मद- आवास

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28-	पूल्ड हाउसिंग:										
	(क) चालू योजना:										
	1- पूल्ड आवास	-	1002.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	-	1000.00	
	उपयोग (चालू योजना)	-	1002.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	-	1000.00	
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	1000.00	-	1000.00	
	योग: (चालू योजना +नई योजना)	-	1002.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00				

योजनावार व्यय/परिव्यय

उप विकास मद- जल सम्पूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास जी0 10-2

मुख्य विकास मद- आवास

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29- अनावासीय भवन (राजस्व विभाग)											
(क) चालू योजनाएँ:											
1- अनावासीय भवन		-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	700.00	700.00	
	उपयोग: (चालू योजना)	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	700.00	700.00	
(ख)- नई योजनाएँ:											
1- आवासीय भवन		-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	
	उपयोग: (नई योजना)	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	
	योग :- (चालू योजना+नईयोजना)	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	1000.00	1000.00	

उप विकास मद- जल सम्पूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास
मुख्य विकास मद- आवास

योजना वार व्यय/परिव्यय

जी. एन.-2

{धनराशि हजार रुपये में}

क्र.सं.	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ग्रामीण आवास {ग्राम्य विकास विभाग}:										
	{क}- चालू योजनाएँ:										
	-ग्रामीण आवास निर्माण	1463.00	550.00	5472.00	5472.00	5472.00	5472.00	-	3550.00	3550.00	
	उपयोग: {चालू योजना}	1463.00	550.00	5472.00	5472.00	5472.00	5472.00	-	3550.00	3550.00	
	{ख}- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	..	
	योग : {चालू योजना +नई योजना}	1463.00	550.00	5472.00	5472.00	5472.00	5472.00	-	3550.00	3550.00	

योजनावार व्यय परिव्यय

जी.एन.-2

(धनराशि हजार रूपये में)

उप विकास मद- सूचना एवं प्रसार

मुख्य विकास मद- सूचना एवं प्रसार

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31-	सूचना विभाग:									
	(क)-चालू योजनाएँ:									
1-	तहसील स्तर पर सूचना कार्यालय की स्थापना	-	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00
	उपयोग: (चालू योजनाएँ)	-	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग : (चालू योजना + नई योजना)	-	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00

उप विकास मद-श्रम एवं सेवायोजन — योजनावार व्यय/परिव्यय

मुख्य विकास मद- श्रम एवं सेवायोजन — जी. एन. -2 — (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूँजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूँजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूँजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32-	शिल्पकार प्रशिक्षण :										
	(क)-चालू योजनाएँ.										
1-	वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	922.00	326.00	350.00	-	350.00	-	300.00	-	300.00	
	उपयोग : (चालू योजना)	922.00	326.00	350.00	-	350.00	-	300.00	-	300.00	
	(ख)- नई योजनाएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग : (चालू योजनाएँ + नई योजनाएँ)	922.00	326.00	350.00	-	350.00	-	300.00	-	300.00	

योजनावार व्यय / परिव्यय

जी०एन०-2

उप विकास मद : अनुसूचित जाति, जनजाति एंव अन्य-
मुख्य विकास मद : अन्य पिछड़ी जाति का कल्याण ।

(धनराशि हजार रुपये)

क्र०सं०	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33-अनुसूचित जाति, जनजाति एंव अन्य पिछड़ी जाति का कल्याण ।										
	(चालू योजना)										
	1-अनुसूचित जाति का कल्याण										
	शिक्षा - छात्रवृत्ति										
	(क) जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा:6-8)	1046.00	294.10	314.00	—	314.00	-	345.00	-	345.00	
	(ख) प्राइमरी स्तर (कक्षा:1-5)	420.00	1510.00	1650.00	-	1650.00	-	1750.00	-	1750.00	
	(ग) विभागीय सहायता प्राप्त प्राइमरी-पाठशाला, पुस्तकालय एंव छात्रावास को अनुदान, सुधार विस्तार आदि	138.00	120.00	222.00	-	222.00	-	222.00	-	222.00	
	2-विमुक्त जातियों का कल्याण										
	(क) जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा6-8)	27.00	14.60	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	
	(ख) प्राइमरी स्तर (कक्षा:1-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(ग) विमुक्त जातियों का आर्थिक विकास जो अनुसूचित जाति की सूची में -सम्मिलत हैं	8.00	12.00	15.00	-	15.00	-	15.00	-	15.00	

क्रमशः

उप विकास मद - अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े योजनापार व्यय / परिव्यय § धनराशि हजार रुपये §
मुख्य विकास मद जाति का कल्याण जी0एन0-2

क्र0 सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989-90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1989-90 अनुमानित व्यय कुल	1989-90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1990-91 प्रस्तावित परिव्यय कुल	वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-	अन्य पिछड़ी जाति का विकास										
	शिक्षा-छात्रवृत्ति :										
	§क§- जूनियर हाईस्कूल स्तर§कक्षा 6-8§	220.00	242.00	270.00	-	270.00	-	290.00	-	290.00	
	§ख§- प्राइमरी स्तर§कक्षा 1-5§	25.00	200.00	220.00	-	220.00	-	225.00	-	225.00	
	उपयोग : §चालू योजना§	1884.00	2392.70	2711.00	-	2711.00	-	2867.00	-	2867.00	
	§ख§-नई योजनाएँ :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग :§चालू + नई योजना§	1884.00	2392.70	2711.00	-	2711.00	-	2867.00	-	2867.00	

उप विकास मद - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण　　**योजनावार व्यय परिव्यय**　　{धनराशि हजार रुपये में}
मुख्य विकास मद - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण　　जी0एन0-2

क्र0 सं0	योजना	1985.88 वास्तविक व्यय	1988.89 वास्तविक व्यय	1989.90 अनुमोदित परिव्यय कुल	1989.90 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1939.90 अनुमानित व्यय कुल	1939.90 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय वितरण राजस्व	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय वितरण पूंजीगत	1990.91 प्रस्तावित परिव्यय वितरण कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34- समाज कल्याण:											
{क}- **चालू योजनाएँ:**											
1-	नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम एवं मानसिक रूप से अक्षम विकलांगो को अनुदान	1704.00	640.00	640.00	-	640.00	-	740.00	-	740.00	
2-	विभिन्न श्रेणी के विकलांग छात्रों तथा विभिन्न श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों के बच्चो को शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु अनुदान	30.00	16.00	18.00	-	18.00	-	26.00	-	26.00	
3-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अँग/सामान खरीदने हेतु अनुदान	10.00	10.00	15.00	-	15.00	-	17.00	-	17.00	
4-	निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदान	2650.00	1670.00	1670.00	-	1670.00	-	1770.00	-	1770.00	
5-	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मलिन/मेहतर बस्तियों में शिशुशालाओं को खोलने हेतु अनुदान	122.00	80.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	
6-	अकिंचनों के दाह, दफन एवं संस्कार हेतु अनुदान	3.00	3.00	3.00	-	3.00	-	3.00	-	3.00	
	उपयोग: {चालू योजना}	4519.00	2419.00	2466.00	-	2466.00	-	2676.00	-	2676.00	
{ख}- **नई योजनाएँ:**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग:-{चालू योजना +नई योजना}	4519.00	2419.00	2466.00	-	2466.00	-	2676.00	-	2676.00	

विकास मद- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
य विकास मद- चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

योजनावार/व्यय/परिव्यय
जो.एन.-2

(धनराशि हजार रूपये में)

)सं0	योजना	1985-88 वास्तविक व्यय	1988-89 वास्तविक व्यय	1989-90 अनुमोदित परिव्यय		1989-90 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			विवरण
				कुल	पूँजीगत	कुल	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	कुल	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- पुष्टाहार: (समाज कल्याण विभाग):											
(क)- चालू योजनाएँ:											
1-	पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम	1350.00	596.00	693.00	-	693.00	-	493.00	-	493.00	
	उपयोग: (चालू योजनाएँ)	1350.00	596.00	693.00	-	693.00	-	493.00	-	493.00	
(ख)-	नई योजनाएँ:	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग :- (चालू योजना+नई योजना)	1350.00	596.00	693.00	-	693.00	-	493.00	-	493.00	

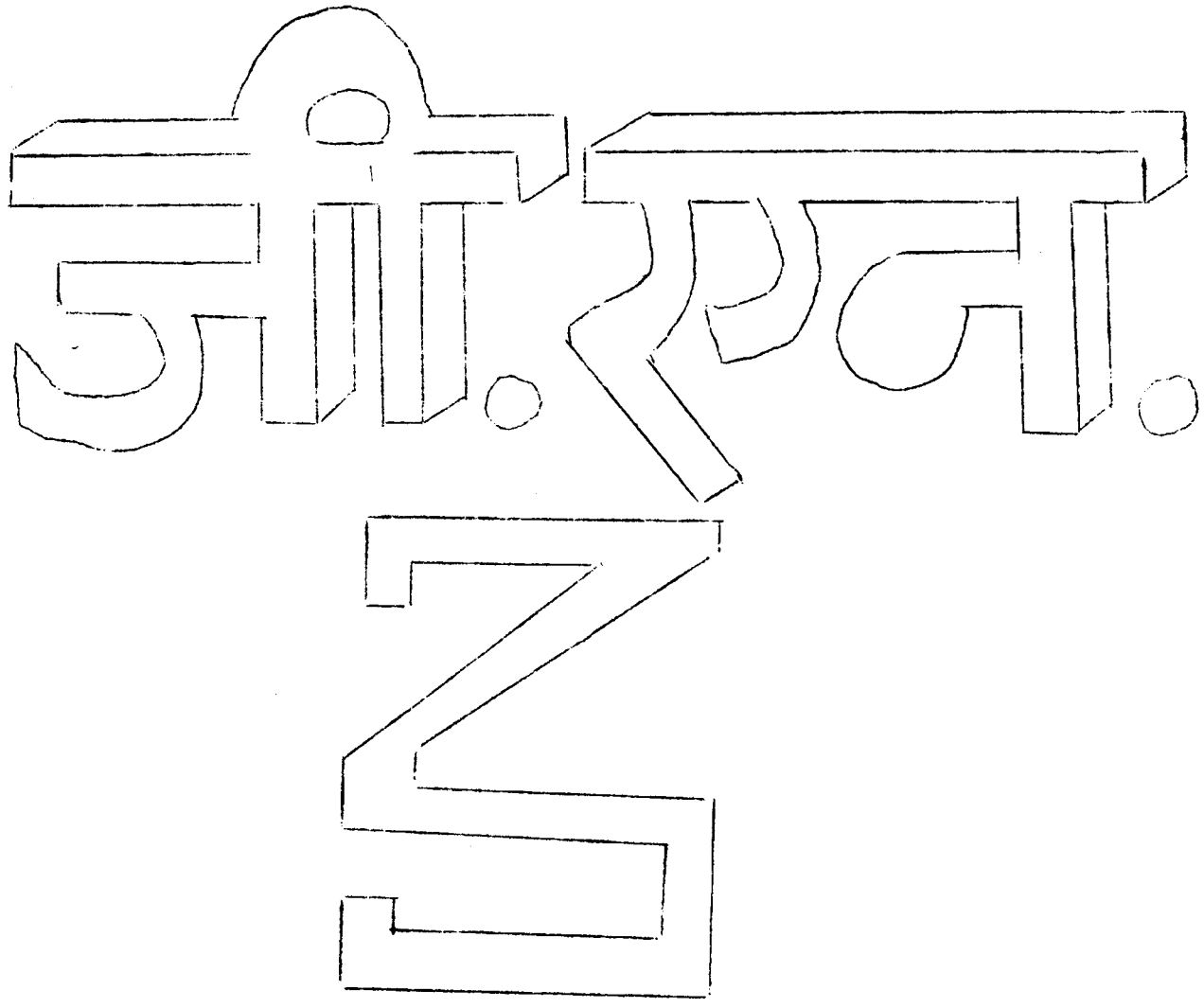

जनपद - बाराबंकी ।

विभाग का नाम: कृषि ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एस0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1- कृषि विभाग										
1. गुणात्मक बीजों के सम्बर्द्धन संग्रहण एंव वितरण कीयोजनाकु0में		7000	7000	8038	4062	6400	8000	6580	8000	
2. पठारी क्षेत्र में नलकूप निर्माण	सं0	-	-	-	-	-	-	-	1	
3. कृषि रक्षा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण (आधुनिक साज-सज्जा उपकरण)	सं0	-	-	-	-	-	-	-	4	
2- उद्यान विभाग										
1. औद्यानिक फसलों के गुणात्मक उत्पादन बीज सम्बर्द्धन एंव आधुनीकरण की योजना :										
(अ) पौध उत्पादन	ह0सं0	250	240	250	65	70	74	74	75	
(ब) सब्जी बीज उत्पादन	कु0	33	33	50	13	10	10	10	10	
2. पौध एंव बल्ब उत्पादन संवर्द्धन एंव प्रसार की योजना:										
(अ) पुरानें उद्यानों का जीर्णोद्धार	सं0	-	-	-	-	-	-	-	2	
(ब) नवीन उद्यान का रोपण	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	1	
(स) उद्यान शाकभाजी एंव पुष्प पौधे के रोपण का तकनीकी प्रसार	लाभार्थीसं0	-	-	-	-	-	-	-	150	

क्रमशः/:

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(उद्यान क्रमशः)										
3. हरिजन एंव जनजातिबाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना :-										
(अ) प्रशिक्षण	संख्या	150	150	150	150	150	150	150	150	
(ब) लाभार्थी	सं0	150	150	150	335	150	150	150	160	
3- गन्ना विभाग:										
1. गन्ना बीज यातायात पर अनुदान देने की योजना:	कुन्टल	303	303	272	292	320	400	400	320	
2. उ0प्र0में आधार गन्नाबीज के उत्पादन की योजना:										
(1) आधार	हे0	291	2.91	2.98	3.75	2.044	8.50	8.50	59.00	
(2) प्राथमिक	हे0	7.50	7.50	22.34	23.87	15.764	30.00	30.00	191.00	
(3) माध्यमिक	हे0	51.62	51.62	60.28	52.95	44.232	203.00	203.00	-	
3. चीनी मिलों के 16 कि.मी. परिधि में सघन गन्ना विकास की योजना										
(अ) यूरिया छिड़काव	हे0	305.00	305.00	80.08	201.10	186.90	665.00	666.00	1600.00	
(ब) भूमि/बीज उपचार	हे0	1520.00	2500.00	2308.00	1732.00	1269.64	2000.00	2000.00	1800.00	

क्रमशः:

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रसायन उपलब्ध कराने की योजना (यन्त्रों क्रय)	सं0	130	45	31	32	38	50	50	50	
5. भूदर्शन अधिष्ठान	हे0	74.66	74.66	61.58	69.09	60.79	88.00	88.00	80.00	

4- लघु/सीमान्त कृषकों को सहायता

नि:शुल्क बोरिंग	सं0	52112	29835	18911	1485	3245	4650	4650	4800	

5- पशुपालन

1. पशुचिकित्सालय की स्थापना	सं0	26	1	-	1	-	2	2	4	
2. खुरपका/मुंहपका रोगों की रोकथाम की योजना	सं0	5635	7410	7851	4280	5000	5000	5000	5000	
3. नये कुक्कुट-प्रक्षेत्र की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्र को सुदृढ़ीकरण	सं0	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं के प्रसार की योजना (बकरी केन्द्रों की स्थापना)		1	-	-	-	-	-	-	6	
5. कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित पशु	सं0	53952	41098	37465	26004	3000	5000	5000	5000	
6. अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा गर्भित पशु	सं0	-	3592	8455	14218	15000	15000	15000	18000	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6- [illegible] :										
1· [illegible] सुधार	हे0	[illegible]	[illegible]·74	[illegible]	[illegible]	148·99	140·00	140·00	100·00	
2· मत्स्य(अंगुलिका वितरण	सं0(लाख)	72·70	32·50	40·20	40·80	52·27	52·10	59·18	60·00	
3· प्रशिक्षण	सं0	254	125	129	1.04	100	100	123	100	
7- [illegible]										
1· शहरी क्षेत्र में सामाजिकवानिकी वृक्षारोपण	हे0	-	-	-	1500 (ट्रीगार्डका क्रय)	10	10	10	10	
2· सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण										
(क) वृक्षारोपण	हे0	1754	251	466	90	421	400	595	200	
(ख) अग्रिम मिट्टी कार्य	हे0	-	436	90	421	596	200	200	250	
(ग) पौध उद्यान	लाखमें	-	-	20	15	21	80	80	61	
3· हैण्डपम्प (पेयजल एवं विद्युतव्यवस्था)	सं0	-	-	पाईपलाइनफिटिंग	10	8	10	10	10	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8- सहकारिता:										
1· जिला सहकारी बैंक शाखाओं हेतु प्रबन्धकीय अनुदान	सं0	22	-	-	-	-	-	-	6	
2· कृषि ऋण सहकारी समितियों को उर्वरक अनुदान हेतु आसक्तधन	सं0	27	8	20	20	20	25	25	25	
3· केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार को मूल्य उतार-चढ़ाव हेतु अनुदान	सं0	-	-	-	-	1	1	1	1	
4· ग्रामीण गोदाम को अंशपूंजी की सहायता		-	-	-	-	-	-	-	1	
9- एकीकृत ग्राम्य विकास:										
1· लाभान्वित परिवार	सं0	55233	13407	15066	18810	17740	11967	11967	11000	
10- जवाहर रोजगार योजना :										
सृजित रोजगार	लाखमा0दि0	-	-	-	-	-	3296	3296	3220	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10- सीलिंग भूमि के आवंटियों को आर्थिक सहायता :										
लाभार्थी	सं0	849	–	768	1075	875	500	4500	400	
11- पंचायतराज :										
1. पचायतराज संस्थाओं के सदृढ़ीकरण उन्हें आय में बढ़ाकरने हेतु प्रोत्साहन	सं0	15	3	3	3	3	3	3	3	
2. ग्रामीण पर्यावरण सुरक्षा हेतु खडंजा तथा नालीनिर्माण	वर्गमी0	52285	36080	41331	40000	49500	25400	25480	160000	
3. पंचायत भवनों का निर्माण	सं0	7	35	35	3	2	5	5	5	
4. हाट बाजार तथा मेलों में सुधार हेत ग्रामसभाओं को सहायता अनदान	सं0	4	15	8	2	1	2	2	2	
12- ग्राम्य विकास/सामुदायिक विकास :										
1. जिला विकास कार्यालय	सं0	–	–	–	–	–	1	1	1	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

मद	इकाई	सॉतवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ कास्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 अभ्युक्ति का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13- निजी लघु सिंचाई									
1· सिंचन क्षमता का सृजन	हे0	217846	14972	15208	14123	13000	13550	13650	20000
2· नि:शुल्क बोरिंग	सं0	158	1113	1649	1389	4000	4000	4000	4000
14- राजकीय लघु सिंचाई									
1· राजकीय नलकूप का निमार्ण	सं0	193	4	2	1	2	1	1	1
2· पाइप लाइन का निमार्ण	कि·मी·	–	–	–	–	–	18	10	8
3· पक्की गूल निमार्ण	""	–	–	–	32·0	–	10·0	10·0	2
4· बरहा	""	–	–	14·5	33·0	–	31·6	31·6	7·0
15-ग्रामोद्योग एंव लघु उद्योग:									
1· मेला एंव प्रदर्शनी	सं0	–	2	2	2	2	2	2	2
2· जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मार्जिन मनी ऋण	सं0	15	5	6	4	5	10	10	10
3· एकीकृत कार्जिनमनी ऋण	सं0	3	3	6	6	7	6	6	5
4· उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	सं0	–	164	229	277	555	440	440	660

कमशः

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5· लघु एंव लघुत्तर इकाईयों की स्थापना	सं0	917	256	290	318	352	380	380	418	
6· दस्तकारी इकाईयोंकीस्थापना	सं0	4973	600	602	700	602	600	600	660	
7· हथकरघा										
7· सीमितियों को अंशपूंजी ऋण	सं0	61	1	6	-	10	10	8	12	
8· हथकरघाओं का आधुनीकरण	सं0	410	16	60	-	100	40	40	40	

6- सडक एंव पल

मद	इकाई	3	4	5	6	7	8	9	10	11
· ग्रामीण मार्गो का निमार्ण (एम·एन·पी·)										
(क) मिट्टीस्तर तक	कि0मी0		9·02	28·67	51·20	5·80	9·70	9·70	2·70	
(ख) खडंजा स्तर तक	""		10·03	85·96	69·00	21·58	33·85	33·85	63·00	
(ग) लेपन स्तर तक	""		11·53	35·97	11·45	20·00	46·05	46·05	42·05	
2· ग्रामीण मार्गो के निमार्ण (एम0एन0पी0 के बाहर:										
1· उपमार्ग	कि0मी0		-	-	-	-	-	-	-	

क्रमशः

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. एंव पल क्रमश:										
जिला एंव अन्य मार्ग										
1. मार्गो का पुन: निमार्ण										
(क) अन्य जिला मार्ग	कि0मी0		–	–	–	–	–	–	–	
(ख) ग्रामीण मार्ग	कि.मी.		3.50हन्टर	8.00पी	42.43पी	7.07	15.44	15.44	–	
1. लघ सेत का निमार्ण:										
(क) 30 मीटर तक	सं0		1	4नं0	4नं0	2नं0	–	–	–	
(ख) लकडि के पुल	सं0		–	–	–	–	–	–	1नं0	
(ग) अन्य जिला मार्ग पर पीपे का पुल	सं0	–	–	–	–	–	–	–	–	
• पुलियों का निमार्ण	सं0		198नं0	77नं0	47नं0	24नं0	84नं0	84नं0	51नं0	
• सडक से जुडे मार्ग :										
(क) 1500 से अधिक जनसख्या वाले ग्राम	सं0		29	18	15	2	3	3	3	
(ख) 1000 से 1499 तक आबादी वाले ग्राम	सं0		7	5	1	4	7	7	11	
(ग) 1000 से कम आबादी वाले ग्राम	सं0		–	–	–	–	–	–	–	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17- पर्यटन :										
1. महादेवा रैन बसेरा निमार्ण	सं0	-	-	-	-	-	-	8-	1	
2. स्थानीय पर्यटन विकास	सं0	-	-	-	-	-	-	-	1	
18- आर्थिक बोध एंव संख्या प्रभाग										
1. अमोनिया प्रिन्ट मशीन	सं0	-	-	-	-	-	1	1	-	
2. डुप्लीकेटिंग मशीन	सं0	-	-	-	-	-	-	-	1	
3. आलमारी	सं0	-	-	-	-	-	-	-	4	
4. कूलर	सं0	-	-	-	-	-	-	-	4	
5. पेपी कटिंग मशीन	सं0	-	-	-	-	-	-	-	1	
6. अनुरक्षण पर व्यय	सं0	-	-	-	-	-	-	-	कागजात वे मेन्टेनेन्स पर व्यय ।	

<u>भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि</u>
<u>जी0एन0-3</u>

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	1990-91 लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19(क) प्राथमिक शिक्षा :										
1. असहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सी0बे0स्कूलों को अनरक्षण अनुदान	सं0	22	–	–	–	–	3	3	3	
2. ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में सी0बे0 स्कूलों के भवन निमार्ण हेत अनदान	सं0	–	1	9	15	15	25	25	5	
3. ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू0बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान	सं0	–1429	–	–	–	–	–	–	5	
4. जू0बे0स्कूल में विज्ञान साज-सज्जा हेतु अनदान	सं0	–	10	2	15	15	15	15	10	
5. ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों की संख्या में बृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बलवर्ग के बच्चों को पाठ्यपस्तक वितरण अनुदान	सं0	–	33	33	100	5000	5000	5000	1000	
6. नगर के सी0बे0स्कूल हेत विज्ञान शिक्षण में सधार एंव साज-सज्जा हेत अनदान	सं0	–	5	3	4	4	4	4	5	
7. नगर एंव ग्रामीण क्षेत्र में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान	सं0	625	625	625	625	625	625	625	625	

क्रमशः

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(प्राथमिक शिक्षा क्रमशः)										
8. प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6-8 के छात्रों को 15/- प्रतिमाह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति	सं0	-	104	104	104	104	104	104	104	
9. बेसिक स्कूल के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार	सं0	-	12	12	16	16	16	16	10	
10. अविकसित क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सी0बे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान	सं0	165	1	-	1	-	-	-	3	
11. ग्रामीण क्षेत्र में सी0बे0 स्कूल के लिए साज-सज्जा हेतु अनुदान	सं0	-	60	20	10	10	10	10	10	
12. जू0बे0स्कूलों में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	सं0	-	8	8	10	10	10	10	30	
13. अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण अनुदान	सं0	"	-	-	-	-	-	-	2	
14. खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवकों के कल्याण हेतु प्राविधान	सं0	-	-	-	-	-	-	-	रैली का आयोजन	

क्रमशः

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1988 माध्यमिक शिक्षा :										
1.प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6-8 में दी जा रही योग्यता छात्रवृत्ति	सं0	104	104	104	104	104	104	104	104 नई 208 पुरानी	
2.सहायता प्राप्त उच्चा स्कूलों में छात्रसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप कक्षा कक्ष एवं फर्नीचर आदि हेतु अनुदान	सं0	-	-	-	-	-	-	-	2	
3.राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	सं0	-	-	-	-	-	-	-	2 चालू	
4.विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना	सं0	-	-	-	-	-	2	2	2	
5.नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण	सं0	-	-	-	-	-	1	1	1 नया	
5.वर्तमान राजकीय पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना	सं0	-	-	-	-	-	1	1	1 चालू	
7.सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	सं0	-	5	5	5	8	8	8	4	
8.माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना	सं0	-	25	5	10	20	20	20	20	क्रमशः

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19(ग) प्रौढ़शिक्षा :										
1. राज्य सरकारी संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता का विस्तार :										
(क) केन्द्रों की संख्या	सं0	300	300	300	300	300	300	300	300	
(ख) प्रतिभागियों का नामांकन	सं0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	
20- प्राविधिक शिक्षा :										
1. पालीटेक्निक स्थापना भवन निर्माण एंव स्टाफ क्वार्टस	सं0	-	-	-	-	1	1	1	1	चालू
2. पाठ्यक्रम पर व्यय										
(क) सेल्स एंव मार्केटिंग	सं0	30	30	30	30	30	30	30	30	
(ख) एकाउन्टेन्सी	सं0	-	-	19	17	30	30	30	30	
(ग) इलेक्ट्रानिक्स	सं0	-	-	-	-	30	30	30	60	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी०एन०-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21- खेलकूद :										
1·खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	सं०	3	3	3	10	15	15	15	15	
2·क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण (बहुउद्देशीय हाल का निर्माण)	सं०	–	–	–	–	–	1	1	1	चालू
22- प्रादेशिक विकास दल:										
1·स्वयंसेवकों का सुदृढीकरण	सं०	–	–	–	220	331	200	200	650	
2·यवक/महिला मंगलदलों को प्रोत्साहन	सं०	22	200	200	233	100	100	100	100	
3·ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	सं०	18	10	18	18	17	17	17	17	
4·समाज सेवा सरक्षा कार्य/महिला प्रदर्शनी पर व्यय	मा०दि०	–	–	–	–	6000	10000	8000	6000	
5·सर्वश्रेष्ठ यवक मंगलदलों को विवेकानन्द यूथ एवार्ड	सं०	–	–	1	1	2	2	2	2	
6·सांस्कृतिक कार्यक्रम	सं०	–	–	–	–	1	1	1	1	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी०एन०-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :										
1·उपकेन्द्रों का भवन निर्माण	सं०	83	38	–	6	9	12	12	6	
2·प्रा०स्वा०केन्द्रों की स्थापना	सं०	18	18	29	7	15	49	49	4 नये	
3·सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्रों की स्थापना एवं भवन निर्माण	सं०	3	1	–	–	–	1	1	2	
4·प्रा०स्वा०केन्द्रों का भवननिर्माण	सं०	5	–	–	2	2	1	1	2 नये 1 चालू	
5·उपचारिकाओं के लिए आवासगृहों का निर्माण	सं०	–	–	–	–	–	1	1	1 चालूकार्यहेतु	
6·चिकित्सालय/औषधालयों में रोगी शैय्या में वृद्धि	सं०	–	–	–	–	–	–	–	20	
7·अस्पतालों में साज-सज्जा:										
(क)डीजल जेनरेटर	सं०	–	–	–	–	–	–	–	2	
(ख)चीडघर का निर्माण	सं०	–	–	–	–	–	1	1	1 चालूकार्य हेतु	
8·दन्त रुग्णालय की स्थापना	सं०	–	–	–	–	–	–	–	1	
9·आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों कीस्थापना	सं०	23	1	–	1	–	2	2	2	
10·शहरी क्षेत्र में 25/15 शैय्यायुक्त चिकित्सालय कीस्थापना	सं०	–	1	1	–	–	1	1	1	

क्रमशः

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य क्रमशः										
11.वर्तमान आयुर्वेदिक चिकित्सालय का पुर्नन्नयन	सं0	–	–	–	–	–	2	2	2	
12.होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन निमार्ण	सं0	–	–	–	–	–	1	1	2	1.चालू 1.नया
28- ग्रामीण जल सम्पूर्ति										
जलनिगम										
1.समस्याग्रस्त गाँवों में स्वच्छपेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना	हैण्डपम्प संख्या	273	397	373	339	350	254	220	100	सेचरेशन का काम कराया जाना
2.हैण्ड पम्प निमार्ण	सं0	1500	805	807	889	785	500	455	200	
25- ग्राम्य विकास विभाग:										
ग्रामीण हरिजन पेयजल के अन्तर्गत हैण्डपम्प	सं0	–	50	26	35	40	7	7	20	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26- आयोजनेत्तर भवन (राजस्व)										
1·आवासीय	सं0	–	–	–	–	–	–	–	नया	
2·अनावासीय तहसीलकार्यालय	सं0	–	–	–	–	–	1	1	1	चालू योजना
27- ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)										
आवास	सं0	–	–	–	–	–	2472	2472	1500	
28- सूचना :										
तहसील सूचना कार्यालय की स्थापना	सं0	–	–	–	–	–	1	1	1	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29- अनसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडी जाति का कल्याण :										
1- अनुसूचित जाति का कल्याण										
शिक्षा - छात्रवृत्ति										
(क) जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा 6-8)	सं0	3878	6676	7254	16037	1308	1308	1308	1308	
(ख) प्राइमरी स्तर (कक्षा 1-5)	सं0	-	-	-	-	-	11458	11458	11458	
2- विमुक्त जाति का कल्याण:										
(क) जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा 6-8)	सं0	110	110	105	79		83	83	83	
(ख) विमुक्त जातियों का आर्थिक उत्थान जोअनु0 जाति भी सूची में सम्मिलत है।	सं0	-	-	-	-	12	15	15	15	
3-अन्य पिछडी जातियों का कल्याण										
(क) जूनियरहाईस्कूलस्तर (कक्षा 6-8) (ख) प्राइमरी स्तर (1-5)	सं0	521	521	1398	5471	1644	1644	1644	1644	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी०एन०-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष लक्ष्य	1989-90 अनुमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30- शिल्पकार प्रशिक्षण:										
(औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)										मोटरमैकेनिक:
1· प्रवेश क्षमता	सं०	64	112	120	160	260	260	260	100	पुरानी- 16 नई 16 रेफ्रीजरेशन- 16+16 वेल्डर: 12+— फिटर: 16+— + 60+48
31- समाज कल्याण :										
1·नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान	सं०	800	808	808	808	850	809	809	809	
2·शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	सं०	-	-	-	-	75	90	90	90	
3·शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग खरीदने हेतु अनुदान	सं०	-	-	-	-	15	30	30	30	
4·निराश्रित विधवाओं को सहायता	सं०	140	2002	2002	2025	2046	2046	2046	2046	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ कास्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 वास्तविक उपलब्धि	1987-88 वास्तविक उपलब्धि	1988-89 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 अनमानित उपलब्धि	1990-91 का लक्ष्य	अभियु-क्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32- पुष्टाहार :										
लाभार्थी संख्या	सं0	2700	2700	2000	3000	33600	33600	33600	25000	

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

cccccccccc

खण्ड —— द्वितीय

परिशिष्ट - 4

विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित कार्यक्रम

पृष्ठ संख्या 67 - 68

परिशिष्ट- 5

सड़क एंव पुल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित
कार्य पृष्ठसंख्या 69-73

परिशिष्ट-4

विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित कार्यक्रम ।

(धनराशि हजार रूपये में)

विभाग/सेक्टर वर्ष 1990-91

क्रमसं0	योजना का नाम	कुल आवश्यकता	विभिन्न स्रोत				अन्य स्रोत			विवरण
			जिलायोजना के माध्यम से ।	आई.आर. डी.पी.	जे.आर. वाई.	संस्थागत वित्त	केन्द्रांश	ग्रामसभा का अंश	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कृषि एंव सम्बर्गीय सेवायें									
	1-लघु/सीमान्त कृषकों को उत्पादकता बढ़ानें हेतु सहायता योजना	22400	11200	-	-	-	11200	-	-	-
	2-पशुपालन:									
	1. खुरपका/मुँहपका रोग के रोकथाम की योजना	20	10	-	-	-	10	-	-	-
	3-मत्स्य:									
	1. मत्स्य पालक विकास अभिकरण	2688	702	-	-	1738	240	-	-	-
	4-वन विभाग:									
	1. सामाजिक वानिकी	14075	8075	-	6000	-	-	-	-	-
2.	ग्राम्य विकास:									
	1. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	86815	15200	-	-	56415	15200	-	-	-
3.	ग्रामीण रोजगार:									
	1. जवाहर रोजगार योजना	116000	23200	-	-	-	92800	-	-	-

क्रमशः6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम:									
	7-पंचायतीराज									
	1. खड़ंजा/नाली का निमार्ण	1222.2	1100	-	5-	-	-	122.2	-	-
	2. पंचायत भवन का निमार्ण	250	225	-	-	-	-	25	-	-
	3. हाट/बाजार/मेला की स्थिति में सुधार	30	27	-	--	-	-	03	-	-
	8- ग्रामीण एंव लघु उद्योग:									
	(अ) जिला उद्योग केन्द्र मार्जिनमनी ऋण/उद्योग स्थापना	1200	100	-	-	1000	100	-	-	-
	(ब) एकीकृत मार्जिनमनी लघु उद्योगों की स्थापना	12100	1100	-	-	11000	-	-	-	-
	9- शिक्षा: (बेसिक)									
	(अ) नगर तथा ग्रीमीण क्षेत्र में आयुवर्ग-6-14 वर्ष के बच्चों को अंशकालिक कक्षायें खोलनें हेतु अनुदान	2819.20	1071.30	-	-	-	1747.90	-	-	-
	(ब) जूनियर बेसिक स्कूल - भवन निमार्ण	900	450	-	450	-	-	-	-	-

परिशिष्ट-5

सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	मद/कार्य/सड़क/पुल/छूटी कड़िया आदि	सड़क/पुल की लम्बाई	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्य का वर्ष	स्वीकृत 31.3.89 तक किया गया व्यय	1989-90 में अनुमानित व्यय	1990-91 में प्रस्तावित व्यय	1990-91 में किया जाने वाला कार्य भौतिक लक्ष्य			
									मिट्टी पुलिया	खण्डजा	लेपन	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (क)	10 (ख)	10 (ग)	10 (घ)
1-	ऐहार मॉगी मार्ग (मि.पु.ख)	4.00	1000.0	-	1986-87	324.00	500.00	176.00	दायित्वों के भुगतान हेतु			
2-	मैदपुर सेमसी गनेशपुर	10.00	1300.0	-	1986-87	1100.00	120.00	80.00	भूमि विवाद है इस वर्ष समाप्त हो जायेगा			
3-	मेडुवा से किथूरी	2.00	500.00	-	1988-89	-	200.00	300.00	-	-	1.0	-
4-	सरायॅ पान्डे लिंक मार्ग	2.50	350.00	-	1988-89	-	200.00	150.00	-	-	1.5	-
5-	घटमापुर सुदेहा मार्ग	10.00	1400.00	-	1988-89	-	400.00	600.00	-	5	4.0	-
6-	औसेरगढ़ सीवान मार्ग	4.00	560.00	-	1988-89	-	300.00	260.00	-	-	1.5	-
7-	वाजिदपुर गेरौड़ा	3.00	454.00	-	1988-89	-	200.00	254.00	-	-	1.0	-
	खण्डजा से लेपन स्तर तक:											
8-	कोटवा सड़क से कोटवाधाम मार्ग	7.00	1680.00	-	1986-87	-	400.00	744.00	-	-	xxx	4.0
9-	चौवीसी कमेला मार्ग	8.00	1920.00	-	1988-89	-	400.00	984.50	-	-	-	5.0
10-	टिकैतनगर से कस्बा इचौली	1.60	384.00	-	1988-89	-	200.00	184.00	-	-	-	1.6
	कच्चे मार्गो पर खण्डजा, पुलिया 89-90											
11-	चौरी अलादादपुर मार्ग	4.00	640.00	-	1989-90	-	-	300.00	-	-	1.5	-
12-	बदोसरायॅ किन्तूर का शेष भाग	1.25	200.00	-	1989-90	-	-	200.00	-	-	11.25	-
13-	शहरी खजुरी	4.00	735.00	-	1989-90	-	-	400.00	-	4	2.00	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10 (क)	(ख)	(ग)	(घ)
4- सूजागॅज कैथी	5.64	875.00	-	1989-90	-	-	400.00	-	-	2.0	-
5- गढ़ी गोसियामऊ	4.00	620.00	-	1989-90	-	-	350.00	-	-	2.0	-
6- पूरेदेबीदास मॅझूपुर	2.00	370.00	-	1989-90	-	-	370.00	-	44	2.0	-
7- मवई सिल्हौर सुबेहा का शेषभाग	4.00	620.00	-	1989-90	-	-	320.00	-	-	2.0	-
पक्का से सतह लेपन (1989-90)											
8- छन्दौली कान्हूपुर	2.00	600.00	-	1989-90	-	-	300.00	-	-	-	1.0
9- मवई से ढेमा	2.30	840.00	-	1989-90	-	-	500.00	-	-	-	1.5
20 पटमापुर सुबेहा पर रारी पहुँच	0.50	300.00	-	1989-90	-	-	300.00	-	-	-	0.50
21- असन्द्रा जरौली धनौली	2.50	740.00	-	1989-90	-	-	450.00	-	-	-	1.5
22- रौजागाँव रूदौली का शेषभाग	2.00	600.00	-	1989-90	-	-	300.00	-	-	-	1.0
23- जोधी रुकुमुद्दीन पुर	2.00	600.00	-	1989-90	-	-	300.00	-	-	-	1.0
24- अम्बौर लिंक मार्ग	2.25	292.00	321.0	1986-87	158.0	-	163.00	-	-	1.0	-
25- सतरिख मेंहदीपुर	3.80	855.00	940.0	1987-88	188.0	560.0	380.00	-	"	"	2.80
26- फतेहपुर महमूदाबाद	7.00	1575.00	1732.0	1987-88	670.0	650.0	312.00	-	-	-	1.15
27- खिजना बजगहनी बड़ागाँव	13.50	3038.00	3342.0	1987-88	2186.0	750.0	306.00	-	-	-	1.00
28- कुतलूपुर मॅझगवाँ मार्ग	3.00	675.00	742.00	1987-88	559.0	61.0	122.00	-	-	-	3.00
29- तिन्दोला सिद्वाही मार्ग	6.00	1350.00	1485.00	1987-88	648.0	500.0	337.00	-	-	-	3.00
30- निगोहा देवरा मार्ग	3.00	720.00	792.00	1988-89	-	-	392.00	-	-	-	3.0
31- जहाँगीराबाद अयारा मार्ग	4.00	1000.00	1100.00	1988-89	146.00	313.0	341.00	-	-	2.0	-
32- फतेहपुर महमूदाबाद का शेषभाग	3.00	750.00	750.00	1988-89	-	115.0	300.00	-	-	1.75	-
33- टिकरिया किदवई मार्ग	3.00	530.00	583.00	1988-89	-	239.0	244.00	-	-	2.00	-
34- उमरा लिंक मार्ग	1.50	320.00	358.00	1988-89	-	236.0	158.00	-	-	1.50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (क)	(ख)	(ग)	(घ)
35–	बिलहरा चिरैया बहुरा मार्ग	8.00	1120.0	1232.0	1988–89	–	348.0	412.50	–	–	3.0	–
36–	मोहम्मदपुर शफीपुर मार्ग	3.00	418.0	460.0	1988–89	–	116.0	344.00	–	–	2.0	–
37–	पारा हजरतपुर मार्ग	2.50	350.0	385.0	1988–89	–	176.0	209.00	–	–	1.5	–
38–	फतेहपुर कतुरीकलाँ मार्ग	7.00	980.0	1078.0	1988–89	156.0	156.0	922.00	–	–	5.65	–
39–	घटमापुर सुबेहा मार्ग के कि.मी. 01 में रौरी नदी पर लघु सेतु	30एमआर सीसी	1200.0	4200.0	1985–86	2250.0	714–.	1950.00	–			
40–	बिलहारा चिरैया मार्ग के कि.मी. 1 पर स्थानीय नाले पर सेतु का निर्माण	10एमआर. सीसी	600.00	600.0	1989–90	–	–	600.00	–		–	–
	पुराने चालू कार्यों का प्रस्तावित परिव्यय						7140.0	15715.0	–	14	42.15	31.05

नये कार्यों के प्रस्ताव जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है :

मिट्टी से खण्डजा;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (क)	(ख)	(ग)	(घ)
41–	सूजागंज कैथी मार्ग	3.10	481.00	–	1989–90	–	–	–	–	–	–	–
42–	फिरोजपुर से मखदूमी	0.50	0.93	–	1989–90	–	–	0.93	–	–	0.5	–
43–	कुशहरी अमहिया	2.00	310.00	–	1989–90	–	–	100.00	–	–	0.5	–
44–	अमहिया–जमौली	2.00	310.00	–	1989–90	–	–	100.00	–	–	0.5	–
45–	मोदनापुर से मोहरिया मार्ग	3.50	543.00	–	1989–90	–	–	155.00	–	–	1.0	–
46–	कोटवा सड़क से दरियाबाद	7.00	1200.00	–	1989–90	–	–	155.00	–	–	1.0	–
47–	मँझूपुर से देवीदासपुर	6.00	1110.00	–	1989–90	–	–	100.00	–	6	–	–
48–	टिकरहुआ शुकुलपुर	7.00	1295.00	–	1989–90	–	–	100.00	–	06	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (क)	10 (ख)	10 (ग)	10 (घ)
49-	नरौली बाबा टीकारमन	3.80	589.00	-	1989-90	-	-	100.0	-	6	-	-
50-	सिधियाँवाँ रोहना मीरापुर	2.10	388.00	-	1989-90	-	-	100.0	-	6	-	-
51-	सोनौली सिसवई	3.10	480.00	-	1989-90	-	-	155.0	-	-	1.0	-
52-	मवई सिल्हौर सुवेहा मार्ग	1.85	342.00	-	1989-90	-	-	50.0	-	4	-	-
53-	सिद्धौर मोहम्मदपुर	5.70	1055.00	-	1989-90	-	-	50.0	-	-	0.5	-
54-	वरियारपुर गलियारा मार्ग	1.20	186.00	-	1989-90	-	-	100.0	-	-	0.5	-
55-	भटवामऊ लिंक मार्ग	1.00	155.00	-	1989-90	-	-	155.0	-	-	1.0	-
56-	अमानीगँज जमुनवा मार्ग	1.20	186.00	-	1989-90	-	-	186.0	-	-	1.20	-
57-	फतेहपुर सिहाली मार्ग	5.50	853.00	-	1989-90	-	-	155.0	-	-	1.0	-
58-	करीमाबाद मलौली मार्ग	4.00	620.00	-	1989-90	-	-	155.0	-	-	1.0	-
59-	हैदरगढ़ मँगरवल	2.20	341.00	-	1989-90	-	-	155.0	-	-	1.0	-
60-	जफरपुर लिंक मार्ग	0.60	93.00	-	1989-90	-	-	93.0	-	-	0.60	-
61-	चचेरूआ लिंक मार्ग	1.50	233.00	-	1989-90	-	-	155.0	-	-	1.0	-
	<u>छूटी कड़ी (पिट्टी, पुलिया, खण्डजा)</u>											
62-	वरियारपुर गलियारा मार्ग	0.70	165.00	-	1989-90	-	-	50.0	0.70	1	-	-
63-	अमानीगँज जमुनवा मार्ग	0.50	118.00	-	1989-90	-	-	50.0	0.50	1	-	-
64-	अम्वौर लिंक मार्ग	1.25	294.00	-	1989-90	-	-	50.0	0.50	1	-	-
65-	विसोहना सिकोहना लखपुसवामार्ग	1.80	423.00	-	1989-90	-	-	50.0	0.50	1	-	-
66-	सूरतगँज सुढ़ियामऊ	0.50	118.00	-	1989-90	-	-	50.0	0.50	1	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10 (क)	(ख)	(ग)	(घ)
<u>ण्डजा से लेपन स्तर तक:</u>											
7- इन्हौना रूदौली अमराई गाँव	4.50	1575.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
8- सिद्धौर मोहम्मदपुर	4.00	1400.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
9- मवई ढेमा का शेष भाग	1.00	350.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
0- फतेहपुर मार्ग से मलूकपुर	1.00	350.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
1- लालपुर राजपुर मार्ग	3.50	1225.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
2- घटमापुर सुर्वेहा	4.50	1775.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
3- छन्दौली कान्हूपुर	5.00	1750.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
4- मवई पटरँगा से पूरेकामगार	0.50	175.0	-	1989-90	-	-	175.0	-	-	-	0.5
5- चड़ेल मार्ग	1.00	350.0	-	1989-90	-	-	175.0	-	-	-	0.5
6- दरहरा लिंक	1.70	595. 0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
7- इब्राहिमाबाद	3.00	1050.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
8- भद्रास लिंक मार्ग	3.00	1050.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
9- सूरतगंज हेतमापुर	3.00	1050.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
0- शाहपुर लिंक	2.00	700.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
1- मलौली लिंक मार्ग	3.00	1050.0	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
2- उधौली लिंक मार्ग	0.50	175.0	-	1989-90	-	-	175.0		-	-	0.5
3- विशुनपुर नरायनपुरभारी मार्ग	4.00	1400.00	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
4- खेदली लिंक मार्ग	1.00	350.00	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
5- पिंड लिंक मार्ग	2.00	700.00	-	1989-90	-	-	-	-	-	-	-
6- सालेह लिंक मार्ग	3.00	1050.00	-	1989-90	-	-	250.0	-	-	-	1.0
धिष्ठान व्यय 16%							3648.0	-	-	-	-
कुल योग :						7140.0	22800.0	2.70	47	54.45	33.53

विकास खण्ड पाटी

प्रमुख मदों के

संकेतांक

एवं

मानचित्र

तथा

आधारभूत आँकड़े

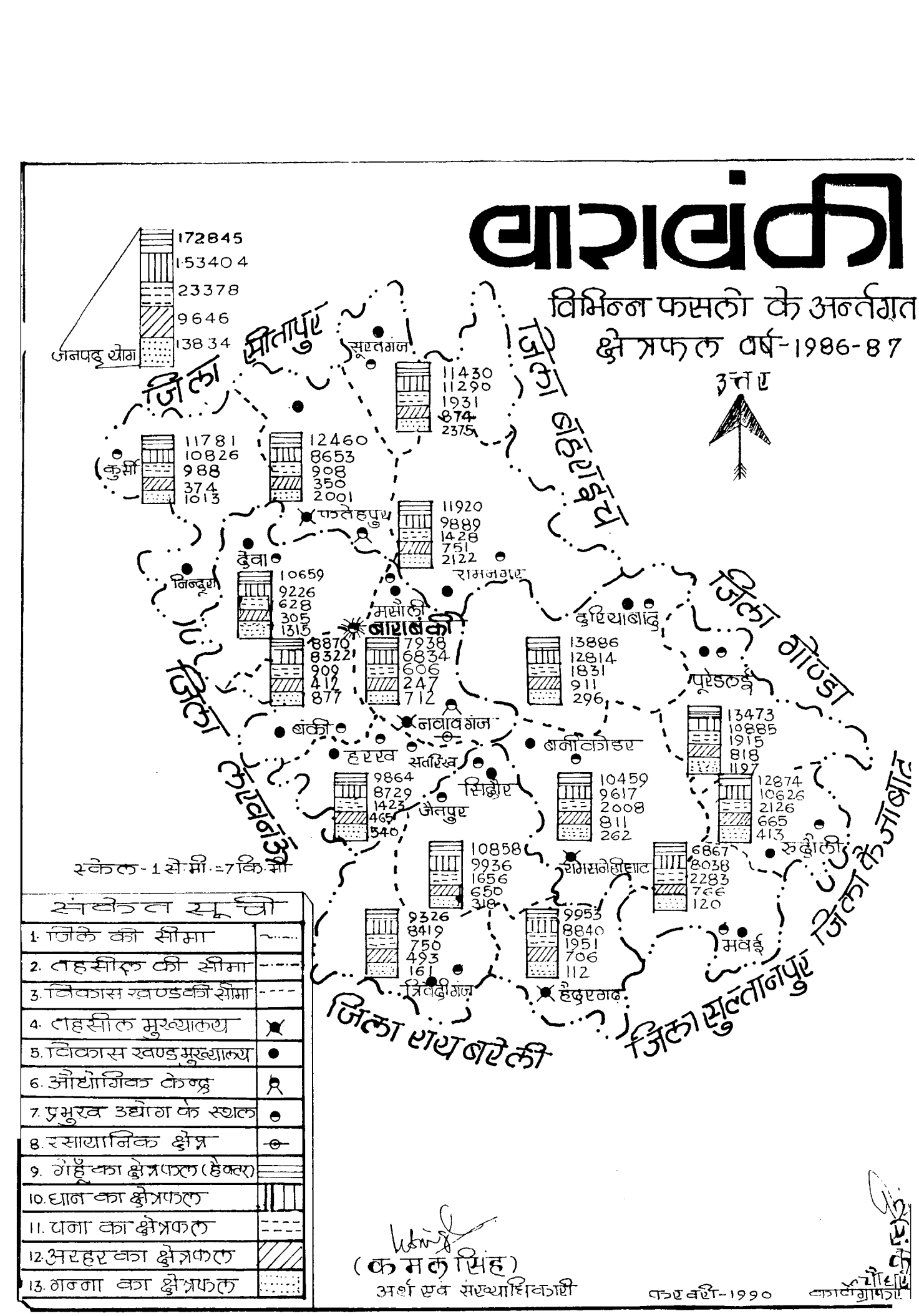

बाराबंकी
विभिन्न फसलों के अन्तर्गत
क्षेत्रफल वर्ष-1986-87
उत्तर
जनपद योग
172845
153404
23378
9646
13834
जिला सीतापुर
जिला बहराइच
जिला गोण्डा
जिला फैजाबाद
जिला सुल्तानपुर
जिला रायबरेली
जिला लखनऊ
सूरतगंज
11430
11290
1931
874
2375
कुर्सी
11781
10826
988
374
1013
12460
8653
908
350
2001
फतेहपुर
11920
9889
1428
751
2122
रामनगर
देवा
निन्दूरा
10659
9226
628
305
1315
मसौली
बाराबंकी
8870
8322
909
412
877
7938
6834
606
247
712
दरियाबाद
13886
12814
1831
911
296
पूरेडलई
13473
10885
1915
818
1197
नवाबगंज
बंकी
हरख
सतरिख
बनीकोडर
सिद्धौर
जैतपुर
9864
8729
1423
465
540
10459
9617
2008
811
262
12874
10626
2126
665
413
रुदौली
10858
9936
1656
650
318
रामसनेहीघाट
6867
8038
2283
766
120
9326
8419
750
493
161
9953
8840
1951
706
112
मवई
त्रिवेदीगंज
हैदरगढ़
स्केल-1 सेमी=7 कि.मी
संकेत सूची
1. जिले की सीमा
2. तहसील की सीमा
3. विकास खण्ड की सीमा
4. तहसील मुख्यालय
5. विकास खण्ड मुख्यालय
6. औद्योगिक केन्द्र
7. प्रमुख उद्योग के स्थल
8. रसायनिक क्षेत्र
9. गेहूँ का क्षेत्रफल (हेक्टर)
10. धान का क्षेत्रफल
11. चना का क्षेत्रफल
12. अरहर का क्षेत्रफल
13. गन्ना का क्षेत्रफल
(कमल सिंह)
अर्थ एवं संख्याधिकारी
फरवरी-1990
चौधरी
कार्टोग्राफर

बाराबंकी

भौतिक एवं भूस्थलीय रचना

वर्ष-1988-89

स्केल = 1 से.मी. = 7 कि.मी.

संकेत सूची

1. जिले की सीमा
2. तहसील की सीमा
3. विकास खण्ड सीमा
4. जिला मुख्यालय
5. तहसील मुख्यालय
6. विकास खण्ड मुख्यालय
7. नदियां
8. मटियार भूमि
9. दोमट भूमि
10. बलुई
11. बलुई दोमट भूमि
12. कटाव ग्रस्त क्षेत्र
13. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
14. जल मग्न क्षेत्र
15. वन क्षेत्र

(कमल सिंह)
अर्थ एवं संख्याधिकारी

फरवरी 1990

ए. के. चौधरी
कार्टोग्राफर

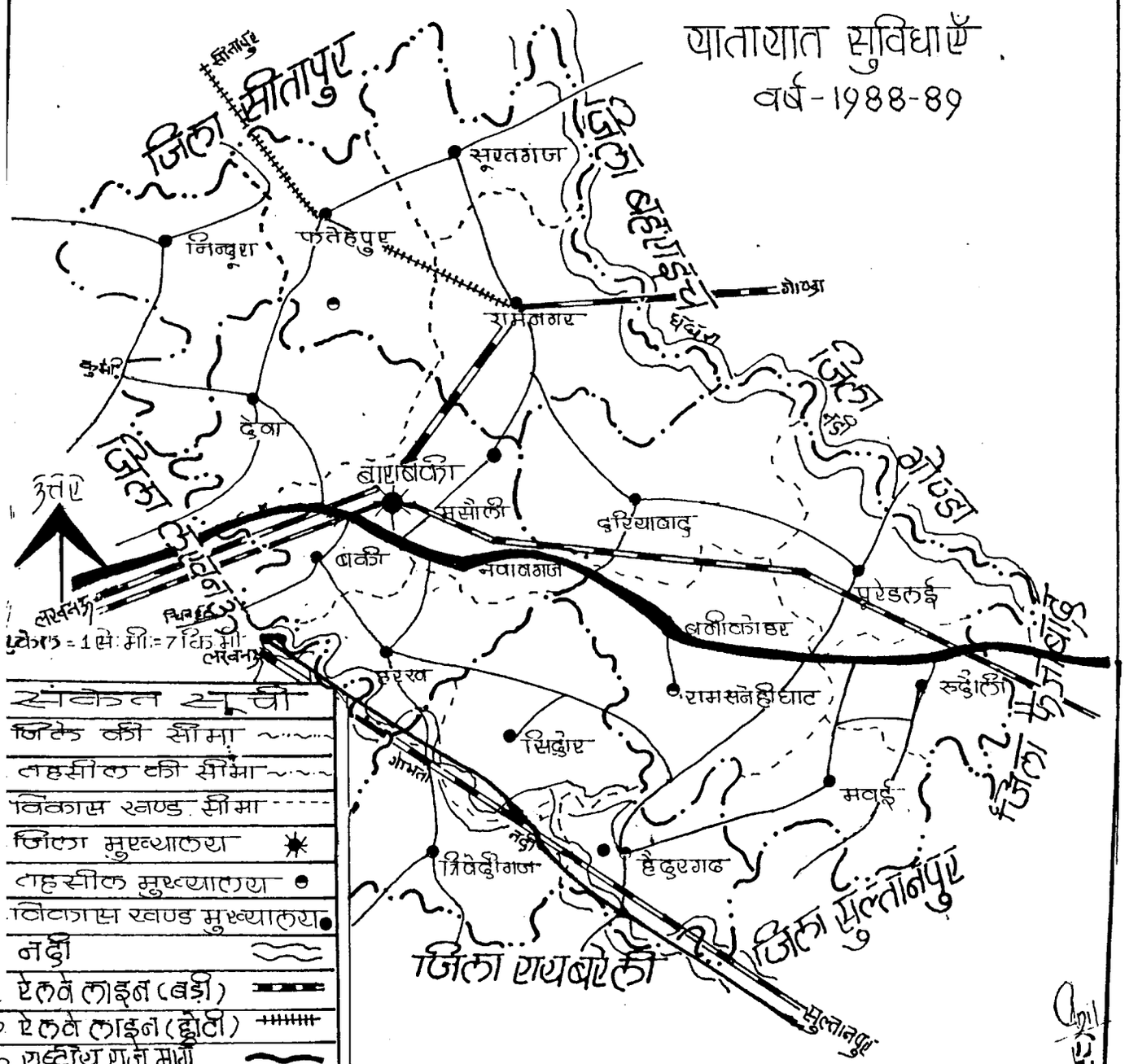

बाराबंकी
यातायात सुविधाएँ
वर्ष - 1988-89
जिला सीतापुर
सीतापुर
जिला बहराइच
जिला गोंडा
जिला फैजाबाद
जिला सुल्तानपुर
जिला रायबरेली
जिला लखनऊ
सूरतगंज
फतेहपुर
निन्दूरा
रामनगर
गोंडा
घाघरा
कुर्सी
देवा
बाराबंकी
मसौली
दरियाबाद
बंकी
नवाबगंज
पूरेडलई
बनीकोडर
रामसनेहीघाट
रुदौली
हरख
सिद्धौर
मवई
गोमती
त्रिवेदीगंज
हैदरगढ
सुल्तानपुर
लखनऊ
उत्तर
पैमाना = 1 से.मी. = 7 कि.मी.
संकेत सूची
जिले की सीमा
तहसील की सीमा
विकास खण्ड सीमा
जिला मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
विकास खण्ड मुख्यालय
नदी
रेलवे लाइन (बड़ी)
9. रेलवे लाइन (छोटी)
10. राष्ट्रीय राज मार्ग
11. अन्य प्रमुख सड़कें
12.
(कमल सिंह)
अर्थ एवं संख्याधिकारी
फरवरी 1990
चौधरी
कार्टोग्राफर

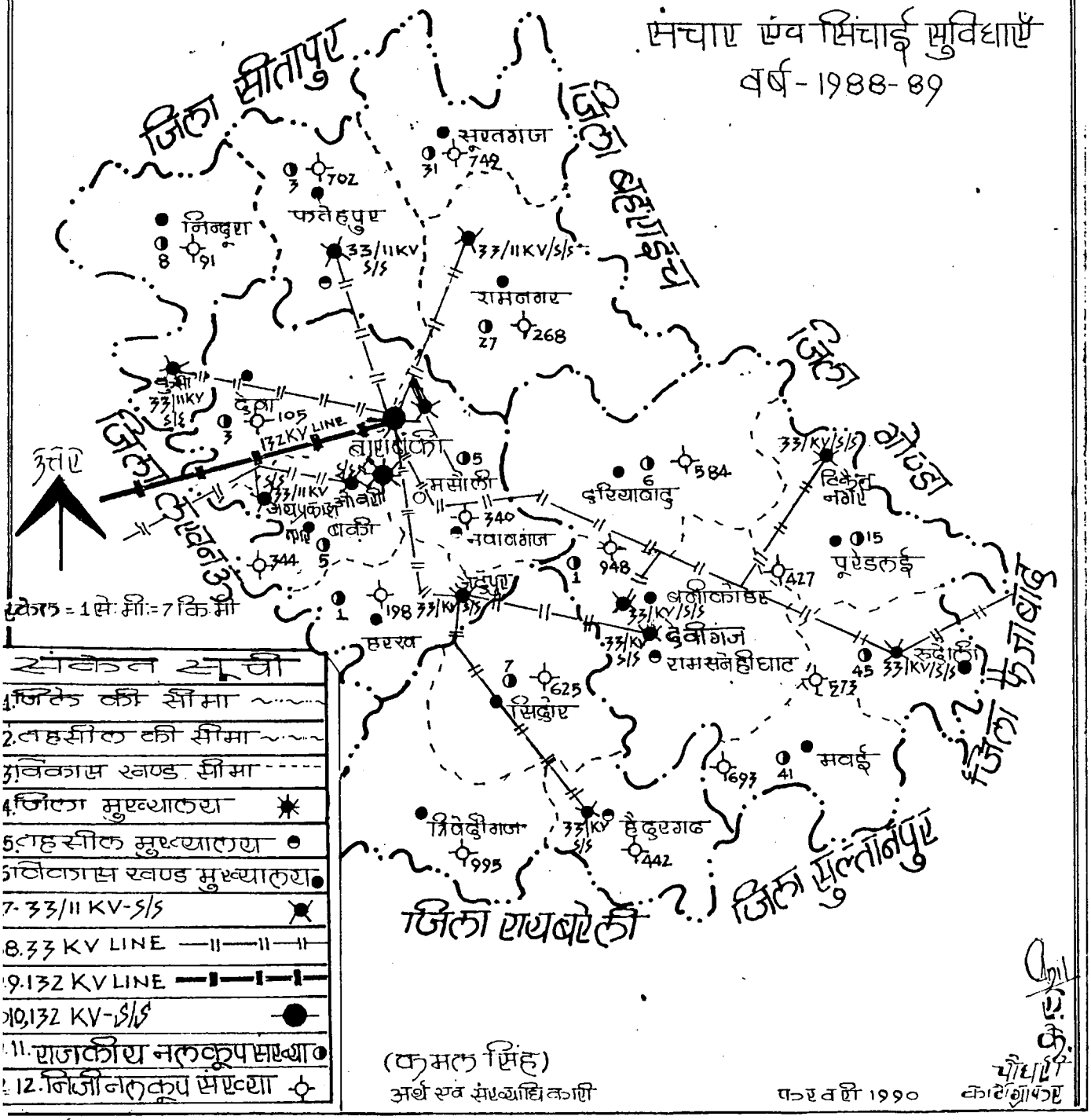

बाराबंकी
संचार एवं सिंचाई सुविधाएँ
वर्ष - 1988-89
जिला सीतापुर
जिला बहराइच
जिला गोंडा
जिला फैजाबाद
जिला सुल्तानपुर
जिला रायबरेली
सूरतगंज
फतेहपुर
रामनगर
दरियाबाद
टिकैतनगर
पूरेडलई
मसौली
नवाबगंज
बंकी
हरख
सिद्धौर
बनीकोडर
देवीगंज
रामसनेहीघाट
रुदौली
मवई
त्रिवेदीगंज
हैदरगढ़
33/11 KV S/S
132 KV LINE
उत्तर
स्केल = 1 से.मी. = 7 कि.मी.
संकेत सूची
1. जिले की सीमा
2. तहसील की सीमा
3. विकास खण्ड सीमा
4. जिला मुख्यालय
5. तहसील मुख्यालय
6. विकास खण्ड मुख्यालय
7. 33/11 KV-S/S
8. 33 KV LINE
9. 132 KV LINE
10. 132 KV-S/S
11. राजकीय नलकूप संख्या
12. निजी नलकूप संख्या
(कमल सिंह)
अर्थ एवं संख्याधिकारी
फरवरी 1990
ए. के. चौधरी
कार्टोग्राफर

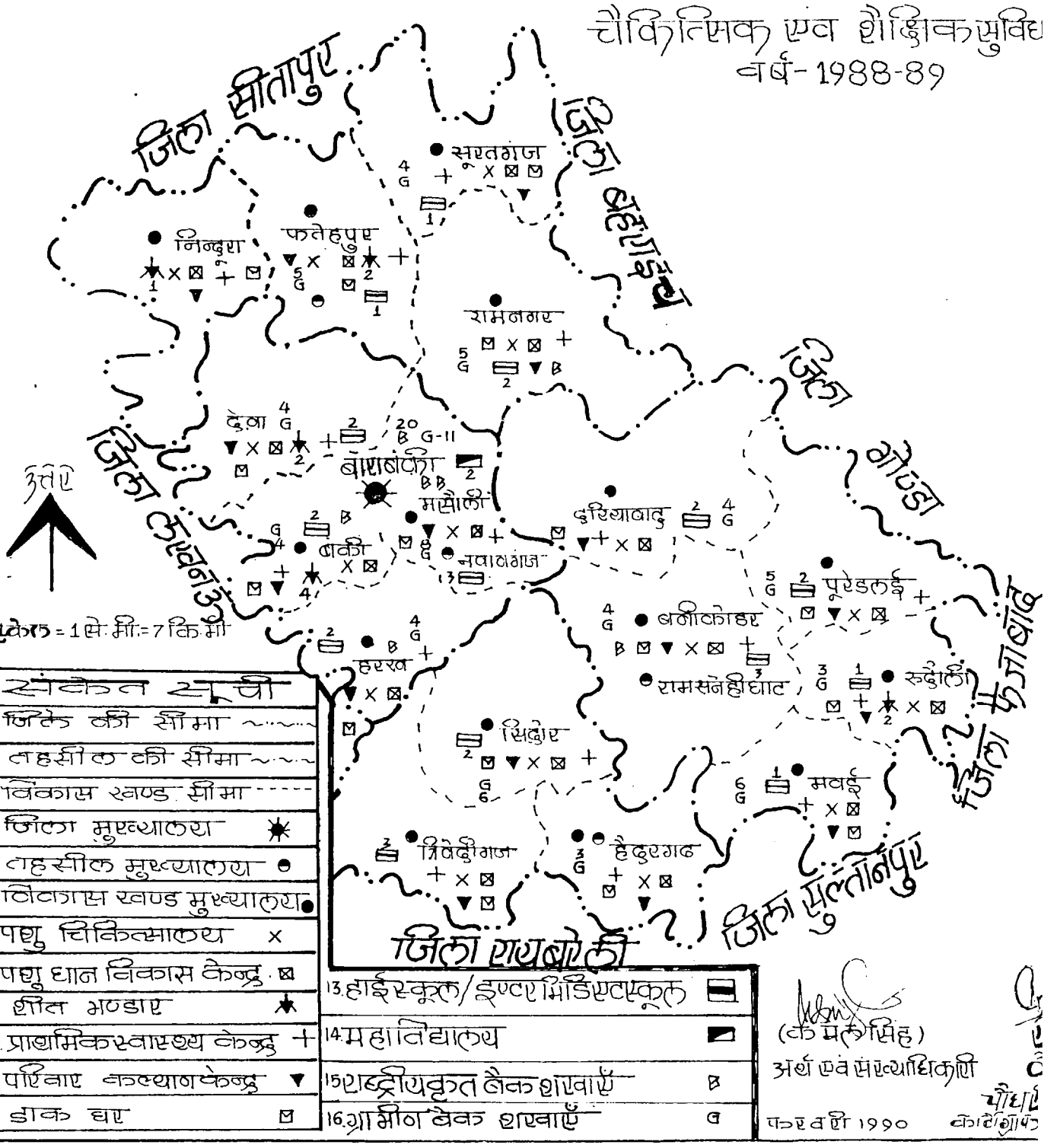

बाराबंकी
चौकित्सिक एवं शैक्षिक सुविधा
वर्ष - 1988-89
जिला सीतापुर
जिला बहराइच
जिला गोंडा
जिला फैजाबाद
जिला सुल्तानपुर
जिला रायबरेली
जिला लखनऊ
उत्तर
स्केल = 1 से.मी. = 7 कि.मी.
सुरतगंज
निन्दुरा
फतेहपुर
रामनगर
देवा
बाराबंकी
मसौली
बंकी
नवाबगंज
दरियाबाद
पूरेडलई
बनीकोडर
रामसनेहीघाट
रुदौली
हरख
सिद्धौर
मवई
त्रिवेदीगंज
हैदरगढ़
संकेत सूची
1. जिले की सीमा
2. तहसील की सीमा
3. विकास खण्ड सीमा
4. जिला मुख्यालय
5. तहसील मुख्यालय
6. विकास खण्ड मुख्यालय
7. पशु चिकित्सालय
8. पशु धान विकास केन्द्र
9. शीत भण्डार
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
11. परिवार कल्याण केन्द्र
12. डाक घर
13. हाईस्कूल/इण्टरमिडिएट स्कूल
14. महाविद्यालय
15. राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ
16. ग्रामीण बैंक शाखाएँ
(के. मल सिंह)
अर्थ एवं संख्याधिकारी
फरवरी 1990

NAME OF THE BLOCK / INDICATOR OF DEVELOPMENT	(A) ECONOMIC ACTIVITIES: INTENSITY OF CROPPING (1986-87)	PERCENTAGE OF AREA UNDER COMM. CROPS TO GROSS CROPPED AREA (1986-87)	PER HA. CONSUMPTION OF FERTILIZERS (1986-87)	PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET SOWN AREA (1986-87)	PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS CROPPED AREA (86-87)	PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA (1986-87)	NET AREA SOWN PER CULTIVATING HOUSE HOLD (1986-87)	PER CAPITA (RURAL) NET AREA SOWN (1986-87)	PERCENTAGE OF AREA UNDER FOREST TO REPORTING AREA (86-87)	PERCENTAGE OF USAR & UNCULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA (86-87)	(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES: LENGTH OF PUCCA ROAD PER 100 Sq. Km. OF AREA (1986-87)	LENGTH OF PUCCA ROAD PER LAKH OF POPULATION (86-87)	PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILL TO TO TOTAL INHABITED VILLAGES (86-87)	No. OF TELEGRAPH OFFICES PER LAKH OF POPULATION (87-88)	No. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION (87-88)	(C) SOCIAL & OTHER SERVICES: No. OF SCHOOLS PER LAKH OF POPULATION (1987-88): J.B.S.	S.B.S.	H.S.S.	No. OF LIVE-STOCK (1982): PER HUNDRED Ha. OF REPORTING AREA	PER STOCK-MAN CENTRE	No. OF MILCH CATTLE PER A.I.C./SUB A.I.C.	POPULATION PER BANK BRANCH (1987-88)	(D) DEMOGRAPHIC FEATURES: DENSITY OF POPULATION PER Sq Km (1981)	DECENNIAL GROWTH OF POPULATION (1971-81)	LITERACY PERCENTAGE (1981): MALE	FEMALE	TOTAL	PERCENTAGE OF S.C./ST. POPULATION TO TOTAL POPULATION (1981)	PERCENTAGE OF MAIN WORKERS (1981): CULTIVATORS	AGRICULTURAL LABOURERS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Banki	71.70	8.43	148	77.7	71.58	65.07	.878	0.13	159	1.46	330.0	79	149	1.08	15	109.0	13.7	1.8	.036	8147	2348	21663	475	21.9	33.2	5.9	21.0	26.4	31.6	81.3
Masauli	58.81	6.95	108	81.7	54.46	67.35	.836	0.14	115	1.57	294.0	125	86	0.98	22	80.1	13.2	4.1	.030	6646	1588	9871	528	18.7	34.0	6.4	21.3	27.7	33.8	77.2
Dewa.	71.11	10.00	69	84.1	75.01	62.04	.881	0.15	470	1.07	105.0	26	42	1.08	13	71.2	14.8	1.9	.023	56190	3206	27011	407	13.6	25.5	4.6	15.9	31.2	32.5	92.2
Harakh.	61.28	3.41	54	69.9	62.76	68.28	.805	0.17	147	1.71	189.0	51	55	0.97	17	82.4	15.4	3.5	.025	10727	5058	19469	383	13.2	33.1	5.5	20.3	35.9	32.1	94.1
Fathehpur	67.30	10.33	99	71.1	53.56	56.31	.715	0.16	112	1.07	166.0	42	27	1.29	20	92.6	19.4	0.9	.012	38345	4433	25948	438	24.3	30.6	7.1	19.8	25.1	31.4	89.7
Surat Ganj	48.91	7.26	38	21.8	27.55	79.78	.735	0.20	136	4.37	83.0	27	33	1.16	12	86.5	12.0	0.9	.011	26924	4002	29121	377	20.7	22.1	5.6	14.7	15.8	34.4	95.5
Ram Nager	77.37	6.86	76	50.7	36.87	61.01	.768	0.16	120	2.06	208.0	63	33	1.28	14	83.4	16.3	1.6	.014	26435	3388	21421	405	16.1	26.0	9.0	18.0	21.1	33.8	85.9
Nindura	76.52	5.84	59	72.6	51.80	63.84	.774	0.16	345	1.23	147.0	49	39	1.18	20	70.2	16.8	0.7	.017	23689	4870	16984	396	22.6	22.6	5.0	13.5	35.0	33.1	93.0
Daryabad	62.62	2.17	72	66.1	51.83	70.79	1.005	0.18	180	1.31	149.0	31	34	1.226	15	107.3	18.8	1.7	0.69	84458	4970	30536	378	4.95	25.8	4.6	16.1	32.8	33.7	91.1
Pure Deley	54.84	4.09	68	39.3	28.97	54.83	1.020	0.18	100	6.51	40.0	12	38	1.21	16	88.9	9.9	1.7	.005	82260	7935	24266	303	18.1	21.4	3.9	13.3	27.0	36.2	94.1
Mawai	58.00	1.74	59	49.1	33.98	62.84	1.049	0.16	1630	590	154.0	47	48	1.05	15	88.6	14.2	1.0	.015	47919	9469	17609	480	20.5	24.6	3.3	14.7	26.4	35.3	92.6
Rupauli	63.00	2.81	78	61.4	42.33	69.51	1.032	0.16	300	1.40	112.0	32	50	1.12	12	77.1	16.1	0.9	.012	26979	2497	31260	414	18.2	23.5	4.2	14.2	25.6	33.8	95.4
Bani Koder	63.00	1.76	131	66.5	53.54	71.49	1.100	0.16	643	3.10	161.0	43	46	1.09	13	94.3	15.6	2.8	.020	10780	2117	21790	443	19.5	34.1	6.0	21.0	34.0	31.6	91.1
Trivedi Ganj	59.00	1.45	90	80.4	81.18	60.01	.709	0.13	443	1.65	88.0	26	42	1.04	9	89.7	19.1	2.9	.06	10452	1229	17423	418	20.9	32.4	7.1	20.0	36.6	31.7	93.3
Sidhaur	67.00	2.75	68	72.7	65.17	69.87	.697	0.15	140	1.91	266.0	81	26	1.25	15	79.8	15.6	1.7	.031	10589	1915	20355	485	17.5	27.6	5.5	17.3	39.3	33.8	94.2
HaiderGarh	55.00	0.98	127	67.4	61.30	63.37	.681	0.15	750	2.43	210.0	58	51	1.11	14	86.2	13.5	0.5	.054	6270	707	37007	430	15.3	24.4	4.5	15.0	35.7	35.9	95.3
District Total	63.00	4.84	80	63.8	51.73	64.90	.841	0.15	7648	2.66	158.0	46	40	.716	149	83.6	15.3	1.5	.021	16166	3349	21597	453	21.80	29.3	8.2	18.9	29.9	33.4	91.2

A.C. CHOWDHARY
CARTOGRAPHER
BBK.

1990

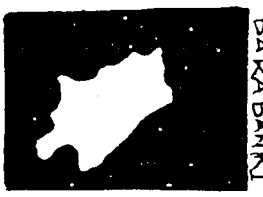

BARABANKI

BLOCKS: BANKI

(A) ECONOMIC ACTIVITIES; (B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES; (C) SOCIAL & OTHER SERVICES; (D) DEMOGRAPHIC FEATURES

RANK \ INDICATOR	1 Intensity of cropping (1986-87)	2 Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1986-87)	3 Per ha. consumption of fertilizers (1986-87)	4 Percentage of net irrigated area to net sown area (1986-87)	5 Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (86-87)	6 Percentage of net area sown to total reporting area (1986-87)	7 Net area sown per cultivating house hold (1986-87)	8 Per capita (rural) net area sown (1986-87)	9 Percentage of area under forest to reporting area (86-87)	10 Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (86-87)	11 Length of pucca road per 100 Km. of area (1986-87)	12 Length of pucca road per lakh of population (86-87)	13 Percentage of electrified vill. to total inhabited village (86-87)	14 No. of telegraph offices per lakh population (87-88)	15 No. of post offices per lakh of population (87-88)	16 No. of schools per lakh of population (1987-88): J.B.S.	17 S.B.S.	18 H.S.S.	19 No. of live-stock (1982): per hundred ha. of reporting area	20 Per stock-man centre	21 No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.	22 Population per bank branch (1987-88)	23 Density of population per sq. km (1981)	24 Decennial growth of population (1971-81)	25 Literacy percentage (1981): Male	26 Female	27 Total	28 Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)	29 Percentage of main workers (1981): Cultivators	30 Agricultural labourers
1			●								●			●		●														
2																											●			
3	●	●			●								●						●					●	●					
4				●																										
5												●											●							
6																		●								●				
7							●																							
8						●																●								
9									●																					
10																														
11										●					●						●									
12																	●											●	●	
13																														
14																				●										
15																														●
16								●																						

april

NAME OF THE DISTRICT – BARABANKI

BARABANKI

BLOCKS

MASAULI

Group	No.	Indicator
(A) ECONOMIC ACTIVITIES	1	Intensity of cropping (1986-87)
	2	Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1986-87)
	3	Per ha. consumption of fertilizers (1986-87)
	4	Percentage of net irrigated area to net sown area (1986-87)
	5	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (86-87)
	6	Percentage of net area sown to total reporting area (1986-87)
	7	Net area sown per cultivating house hold (1986-87)
	8	Per capita (rural) net area sown (1986-87)
	9	Percentage of area under forest to reporting area (86-87)
	10	Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (86-87)
(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES	11	Length of pucca road per 100 sq. km. of area (1986-87)
	12	Length of pucca road per lakh of population (86-87)
	13	Percentage of electrified villages to total inhabited villages
	14	No. of telegraph offices per lakh population (86-87)
	15	No. of post offices per lakh of population (88-89)
(C) SOCIAL & OTHER SERVICES	16	No. of schools per lakh of population (1987-88): J.B.S.
	17	No. of schools per lakh of population (1987-88): S.B.S.
	18	No. of schools per lakh of population (1987-88): H.S.S.
	19	No. of live-stock (1982): per hundred ha. of reporting area
	20	No. of live-stock (1982): per stock-man centre
	21	No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.
	22	Population per bank branch (1987-88)
(D) DEMOGRAPHIC FEATURES	23	Density of population per sq. km. (1981)
	24	Decennial growth of population (1971-81)
	25	Literacy percentage (1981): Male
	26	Literacy percentage (1981): Female
	27	Literacy percentage (1981): Total
	28	Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)
	29	Percentage of main workers (1981): Cultivators
	30	Percentage of main workers (1981): Agricultural labourers

RANK \ INDICATOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1												●	●					●					●		●		●			
2				●							●																			
3															●															
4			●											●												●				
5		●																	●										●	
6																														
7					●	●																								
8							●																	●						
9																												●		
10										●																				
11																														
12	●															●														
13																														
14								●	●								●				●									
15																				●										
16																						●								●

(A) ECONOMIC ACTIVITIES
(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES
(C) SOCIAL & OTHER SERVICES
(D) DEMOGRAPHIC FEATURES
BARABANKI
BLOCKS
RANK
INDICATOR
INTENSITY OF CROPPING (1985-86)
PERCENTAGE OF AREA UNDER COMM. CROPS TO GROSS CROPPED AREA (1985-86)
PER HA. CONSUMPTION OF FERTILIZERS (1985-86)
PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET SOWN AREA (1985-86)
PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS CROPPED AREA (85-86)
PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA (1985-86)
NET AREA SOWN PER CULTIVATING HOUSE HOLD (1985-86)
PER CAPITA (RURAL) NET AREA SOWN (1985-86)
PERCENTAGE OF AREA UNDER FOREST TO REPORTING AREA (85-86)
PERCENTAGE OF USAR & UNCULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA (85-86)
LENGTH OF PUCCA ROAD PER 100 Sq. Km. OF AREA (1985-86)
LENGTH OF PUCCA ROAD PER LAKH OF POPULATION (85-86)
PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILL. TO TOTAL INHABITED VILLAGES
No. OF TELEGRAPH OFFICES PER LAKH OF POPULATION (86-87)
No. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION (86-87)
No. OF SCHOOLS PER LAKH OF POPULATION (1986-87)
J.B.S.
S.B.S.
H.S.S.
No. OF LIVE-STOCK (1982)
PER HUNDRED Ha. OF REPORTING AREA
PER STOCK-MAN CENTRE
No. OF MILCH CATTLE PER A.I.C./SUB A.I.C.
POPULATION PER BANK BRANCH (1986-87)
DENSITY OF POPULATION PER Sq. km (1981)
DECENNIAL GROWTH OF POPULATION (1971-81)
LITERACY PERCENTAGE (1981)
MALE
FEMALE
TOTAL
PERCENTAGE OF S.C./S.T. POPULATION TO TOTAL POPULATION (1981)
PERCENTAGE OF MAIN WORKERS (1981)
CULTIVATORS
AGRICULTURAL LABOURERS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DEWA
CHOWDHARY
CARTOGRAPHER

NAME OF THE DISTRICT – BARABANKI

BARABANKI BLOCKS

HARAKH

Group	Indicator No.	Indicator	Rank
(A) Economic Activities	1	Intensity of cropping (1985-86)	10
	2	Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1985-86)	10
	3	Per ha. consumption of fertilizers (1985-86)	15
	4	Percentage of net irrigated area to net sown area (1985-86)	8
	5	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (85-86)	5
	6	Percentage of net area sown to total reporting area (1985-86)	6
	7	Net area sown per cultivating house-hold (1985-86)	9
	8	Per capita (rural) net area sown (1985-86)	4
	9	Percentage of area under forest to reporting area (85-86)	
	10	Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (85-86)	8
(B) Infrastructural & Communication Facilities	11	Length of pucca road per 100 sq. km. of area (1985-86)	6
	12	Length of pucca road per lakh of population (85-86)	6
	13	Percentage of electrified vill. to total inhabited village (86-87)	2
	14	No. of telegraph offices per lakh population (86-87)	12
	15	No. of post offices per lakh of population (86-87)	7
(C) Social & Other Services	16	No. of schools per lakh of population (1986-87): J.B.S.	11
	17	No. of schools per lakh of population (1986-87): S.B.S.	9
	18	No. of schools per lakh of population (1986-87): H.S.S.	2
	19	No. of live-stock (1982): per hundred ha. of reporting area	6
	20	No. of live-stock (1982): per stock-man centre	11
	21	No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.	3
	22	Population per bank branch (1986-87)	12
(D) Demographic Features	23	Density of population per sq. km. (1981)	13
	24	Decennial growth of population (1971-81)	4, 15
	25	Literacy percentage (1981): Male	10
	26	Literacy percentage (1981): Female	10
	27	Literacy percentage (1981): Total	4
	28	Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)	3
	29	Percentage of main workers (1981): Cultivators	11
	30	Percentage of main workers (1981): Agricultural labourers	5

T.L. Chowdhary
Car. Assistant
BBK-90

NAME OF THE DISTRICT – BARABANKI

BARABANKI – BLOCKS: FATHEHPUR

(A) ECONOMIC ACTIVITIES (indicators 1–10); (B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES (11–15); (C) SOCIAL & OTHER SERVICES (16–22); (D) DEMOGRAPHIC FEATURES (23–30)

RANK \ INDICATOR	Intensity of cropping (1985-86)	Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1985-86)	Per ha. consumption of fertilizers (1985-86)	Percentage of net irrigated area to net sown area (1985-86)	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (85-86)	Percentage of net area sown to total reporting area (1985-86)	Net area sown per cultivating house hold (1985-86)	Per capita (rural) net area sown (1985-86)	Percentage of area under forest to reporting area (85-86)	Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (85-86)	Length of pucca road per 100 sq. km. of area (1985-86)	Length of pucca road per lakh of population (85-86)	Percentage of electrified villages to total inhabited villages	No. of telegraph offices per lakh population (86-87)	No. of post offices per lakh of population (86-87)	No. of schools per lakh of population (1986-87): J.B.S.	S.B.S.	H.S.S.	No. of live-stock (1982): Per hundred ha of reporting area	Per stock-man centre	No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.	Population per bank branch (1986-87)	Density of population per sq. km. (1981)	Decennial growth of population (1971-81)	Literacy percentage (1981): Male	Female	Total	Percentage of SC/ST population to total population (1981)	Percentage of main workers (1981): Cultivators	Agricultural labourers
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1		●													●		●							●						
2																														
3																										●				
4																●														
5	●		●																	●										
6								●													●	●			●		●			
7				●							●												●							
8					●																									
9																														
10									●			●		●																
11																														
12																			●											
13							●																					●		●
14																		●											●	
15						●							●																	
16										●																				

NAME OF THE DISTRICT - BARABANKI

BARABANKI

BLOCKS / RANK \ INDICATOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	(A) ECONOMIC ACTIVITIES										(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES					(C) SOCIAL & OTHER SERVICES							(D) DEMOGRAPHIC FEATURES							
																No. OF SCHOOLS PER LAKH OF POPULATION (1986-87)			No. OF LIVE-STOCK (1982)						LITERACY PERCENTAGE (1981)				PERCENTAGE OF MAIN WORKERS (1981)	
	INTENSITY OF CROPPING (1985-86)	PERCENTAGE OF AREA UNDER COMM. CROPS TO GROSS CROPPED AREA (1985-86)	PER HA. CONSUMPTION OF FERTILIZERS (1985-86)	PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET SOWN AREA (1985-86)	PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS CROPPED AREA (85-86)	PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA (1985-86)	NET AREA SOWN PER CULTIVATING HOUSE HOLD (1985-86)	PER CAPITA (RURAL) NET AREA SOWN (1985-86)	PERCENTAGE OF AREA UNDER FOREST TO REPORTING AREA (85-86)	PERCENTAGE OF USAR & UNCULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA (85-86)	LENGTH OF PUCCA ROAD PER 100 Sq. Km. OF AREA (1985-86)	LENGTH OF PUCCA ROAD PER LAKH OF POPULATION (85-86)	PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILL. TO TOTAL INHABITED VILLAGES	No. OF TELEGRAPH OFFICES PER LAKH POPULATION (86-87)	No. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION (86-87)	J.B.S.	S.B.S.	H.S.S.	PER HUNDRED Ha. REPORTING AREA	PER STOCK-MAN CENTRE	No. OF MILCH CATTLE PER A.I.C./SUB A.I.C.	POPULATION PER BANK BRANCH (1986-87)	DENSITY OF POPULATION PER Sq. Km. (1981)	DECENNIAL GROWTH OF POPULATION (1971-81)	MALE	FEMALE	TOTAL	PERCENTAGE OF S.C./S.T. POPULATION TO TOTAL POPULATION (1981)	CULTIVATORS	AGRICULTURAL LABOURERS
SURATGANJ 1						●		●																						●
2																														
3										●																				
4		●																				●							●	
5																								●						
6																														
7																				●	●					●				
8																●														
9																														
10																														
11														●																
12							●		●				●										●				●			
13												●			●			●												
14																			●											
15											●						●								●					
16	●		●	●	●																							●		

NAME OF THE DISTRICT - BARABANKI

BARABANKI

BLOCKS: RAMNAGER

Indicator No.	Group	Indicator
1	(A) ECONOMIC ACTIVITIES	INTENSITY OF CROPPING (1986-87)
2		PERCENTAGE OF AREA UNDER COMM. CROPS TO GROSS CROPPED AREA (1986-87)
3		PER HA. CONSUMPTION OF FERTILIZERS (1986-87)
4		PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET SOWN AREA (1986-87)
5		PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS CROPPED AREA (86-87)
6		PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA (1986-87)
7		NET AREA SOWN PER CULTIVATING HOUSE HOLD (1986-87)
8		PER CAPITA (RURAL) NET AREA SOWN (1986-87)
9		PERCENTAGE OF AREA UNDER FOREST TO REPORTING AREA (86-87)
10		PERCENTAGE OF USAR & UNCULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA (86-87)
11	(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES	LENGTH OF PUCCA ROAD PER 100 Sq. Km. OF AREA (1986-87)
12		LENGTH OF PUCCA ROAD PER LAKH OF POPULATION (86-87)
13		PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILL. TO TOTAL INHABITED VILLAGES
14		No. OF TELEGRAPH OFFICES PER LAKH POPULATION (86-87)
15		No. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION (86-87)
16	SOCIAL & OTHER SERVICES — No. OF SCHOOLS PER LAKH OF POPULATION (1986-87)	J.B.S.
17		S.B.S.
18		H.S.S.
19	No. OF LIVE-STOCK (1982)	PER HUNDRED Ha. REPORTING AREA
20		PER STOCK-MAN CENTRE
21		No. OF MILCH CATTLE PER A.I.C./SUB A.I.C.
22		POPULATION PER BANK BRANCH (1986-87)
23	DEMOGRAPHIC FEATURES	DENSITY OF POPULATION PER Sq. Km. (1981)
24		DECENNIAL GROWTH OF POPULATION (1971-81)
25	LITERACY PERCENTAGE (1981)	MALE
26		FEMALE
27		TOTAL
28		PERCENTAGE OF S.C./S.T. POPULATION TO TOTAL POPULATION (1981)
29	PERCENTAGE OF MAIN WORKERS (1981)	CULTIVATORS
30		AGRICULTURAL LABOURERS

RANK \ INDICATOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	●																									●				
2																														
3														●																
4												●																		
5								●			●				●		●													
6										●																			●	
7		●																									●			
8			●																	●	●				●					
9																														
10																●		●				●								
11							●												●				●							
12																								●						
13				●	●																									
14						●			●				●																	●
15																												●		
16																														

BBK-1990

BARABANKI

BLOCKS

BLOCKS	RANK / INDICATOR	(A) Economic Activities: Intensity of cropping (1986-87)	Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1986-87)	Per ha. consumption of fertilizers (1986-87)	Percentage of net irrigated area to net sown area (1986-87)	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (86-87)	Percentage of net area sown to total reporting area (1986-87)	Net area sown per cultivating house hold (1986-87)	Per capita (rural) net area sown (1986-87)	Percentage of area under forest to reporting area (86-87)	Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (86-87)	(B) Infrastructural & Communication Facilities: Length of pucca road per 100 sq km. of area (1986-87)	Length of pucca road per lakh of population (86-87)	Percentage of electrified vill. to total inhabited villages	No. of telegraph offices per lakh population (87-88)	No. of post offices per lakh of population (86-87)	(C) Social & Other Services: No. of schools per lakh of population (1986-87): J.B.S.	S.B.S.	H.S.S.	No. of live-stock (1982): Per hundred ha. reporting area	Per stock-man centre	No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.	Population per bank branch (1986-87)	(D) Demographic Features: Density of population per sq km (1981)	Decennial growth of population (1971-81)	Literacy percentage (1981): Male	Female	Total	Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)	Percentage of main workers (1981): Cultivators	Agricultural labourers
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NINDURA	1																														
	2	●																							●						
	3																														
	4																	●													
	5																					●							●		
	6				●					●						●															
	7								●				●																		
	8		●																												●
	9						●							●						●	●										
	10							●																							
	11					●						●																			
	12																										●				
	13			●																											
	14										●													●		●					
	15																		●				●					●			
	16														●		●													●	

BBK 1990

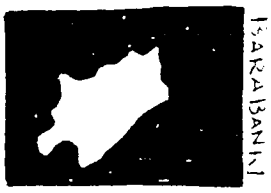

BARABANKI
BLOCKS
DARYABAD
RANK
INDICATOR
(A) ECONOMIC ACTIVITIES
(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES
(C) SOCIAL & OTHER SERVICES
(D) DEMOGRAPHIC FEATURES
INTENSITY OF CROPPING (1985-86)
PERCENTAGE OF AREA UNDER COMM. CROPS TO GROSS CROPPED AREA (1985-86)
PER HA. CONSUMPTION OF FERTILIZERS (1985-86)
PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET SOWN AREA (1985-86)
PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS CROPPED AREA (85-86)
PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA (1985-86)
NET AREA SOWN PER CULTIVATING HOUSE HOLD (1985-86)
PER CAPITA (RURAL) NET AREA SOWN (1985-86)
PERCENTAGE OF AREA UNDER FOREST TO REPORTING AREA (85-86)
PERCENTAGE OF USAR & UNCULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA (85-86)
LENGTH OF PUCCA ROAD PER 100 Sq. Km. OF AREA (1985-86)
LENGTH OF PUCCA ROAD PER LAKH OF POPULATION (85-86)
PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILL TO TOTAL INHABITED VILLAGES (86-87)
No. OF TELEGRAPH OFFICES PER LAKH OF POPULATION (86-87)
No. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION (86-87)
No. OF SCHOOLS PER LAKH OF POPULATION (1986-87)
J.B.S.
S.B.S.
H.S.S.
No. OF LIVE-STOCK (1982)
PER HUNDRED ha OF REPORTING AREA
PER STOCK-MAN CENTRE
No. OF MILCH CATTLE PER A.I.C./SUB A.I.C.
POPULATION PER BANK BRANCH (1986-87)
DENSITY OF POPULATION PER Sq. Km. (1981)
DECENNIAL GROWTH OF POPULATION (1971-81)
LITERACY PERCENTAGE (1981)
MALE
FEMALE
TOTAL
PERCENTAGE OF S.C./S.T. POPULATION TO TOTAL POPULATION (1981)
PERCENTAGE OF MAIN WORKERS (1981)
CULTIVATORS
AGRICULTURAL LABOURERS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BARABANKI

BLOCKS: PUREDELEY

RANK \ INDICATOR	(A) ECONOMIC ACTIVITIES: 1 Intensity of cropping (1986-87)	2 Percentage of area under cash crops to gross cropped area (1986-87)	3 Per ha. consumption of fertilizers (1986-87)	4 Percentage of net irrigated area to net sown area (1986-87)	5 Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (86-87)	6 Percentage of net area sown to total reporting area (1986-87)	7 Net area sown per cultivating house hold (1986-87)	8 Per capita (rural) net area sown (1986-87)	9 Percentage of area under forest to reporting area (86-87)	10 Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (86-87)	(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES: 11 Length of pucca road per 100 sq. km. of area (1986-87)	12 Length of pucca road per lakh of population (86-87)	13 Percentage of electrified vill to total inhabited village (86-87)	14 No. of telegraph offices per lakh population (87-88)	15 No. of post offices per lakh of population (87-88)	(C) SOCIAL & OTHER SERVICES: No. of schools per lakh of population (1987-88): 16 J.B.S.	17 S.B.S.	18 H.S.S.	No. of live-stock (1982): 19 Per hundred ha of reporting area	20 Per stock-man centre	21 No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.	22 Population per bank branch	(D) DEMOGRAPHIC FEATURES: 23 Density of population per sq. km. (1981)	24 Decennial growth of population (1971-81)	Literacy percentage (1981): 25 Male	26 Female	27 Total	28 Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)	Percentage of main workers (1981): 29 Cultivators	30 Agricultural labourers
1										●																			●	
2																				●	●									
3								●																						
4							●								●															
5																														
6																●														●
7																						●								
8																		●												
9		●																												
10													●											●				●		
11			●																											
12																														
13																														
14																														
15	●			●	●									●												●				
16						●			●		●	●					●		●				●		●		●			

NAME OF THE DISTRICT - BARABANKI

BARABANKI

BLOCKS	RANK \ INDICATOR	(A) ECONOMIC ACTIVITIES										(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES					(C) SOCIAL & OTHER SERVICES							(D) DEMOGRAPHIC FEATURES							
		INTENSITY OF CROPPING (1986-89)	PERCENTAGE OF AREA UNDER COMM. CROPS TO GROSS CROPPED AREA (1986-87)	PER HA. CONSUMPTION OF FERTILIZERS (1986-89)	PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET SOWN AREA (1986-87)	PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS CROPPED AREA (86-87)	PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA (1986-88)	NET AREA SOWN PER CULTIVATING HOUSE HOLD (1986-87)	PER CAPITA (RURAL) NET AREA SOWN (1986-87)	PERCENTAGE OF AREA UNDER FOREST TO REPORTING AREA (86-87)	PERCENTAGE OF USAR & UNCULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA (86-87)	LENGTH OF PUCCA ROAD PER 100 SQ. KM. OF AREA (1986-87)	LENGTH OF PUCCA ROAD PER LAKH OF POPULATION (86-87)	PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILL TO TO TOTAL INHABITED VILLAGES (86-87)	No. OF TELEGRAPH OFFICES PER LAKH POPULATION (87-88)	No. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION (87-88)	No. OF SCHOOLS PER LAKH OF POPULATION (1987-88): J.B.S.	S.B.S.	H.S.S.	No. OF LIVE-STOCK (1982): PER HUNDRED Ha. REPORTING AREA	PER STOCK-MAN CENTRE	No. OF MILCH CATTLE PER A.I.C./SUB A.I.C.	POPULATION PER BANK BRANCH (86-87)	DENSITY OF POPULATION PER SQ. KM. (1981)	DECENNIAL GROWTH OF POPULATION (1971-81)	LITERACY PERCENTAGE (1981): MALE	FEMALE	TOTAL	PERCENTAGE OF S.C./ST POPULATION TO TOTAL POPULATION (1981)	PERCENTAGE OF MAIN WORKERS (1981): CULTIVATORS	AGRICULTURAL LABOURERS
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MAWAI	1																					●									
	2							●		●	●																				
	3																							●						●	
	4																				●										
	5																		●												
	6													●											●						
	7																●														
	8								●				●			●															
	9											●																			●
	10																			●											
	11						●											●								●			●		
	12																														
	13	●																					●					●			
	14			●	●	●									●																
	15		●																												
	16																										●				

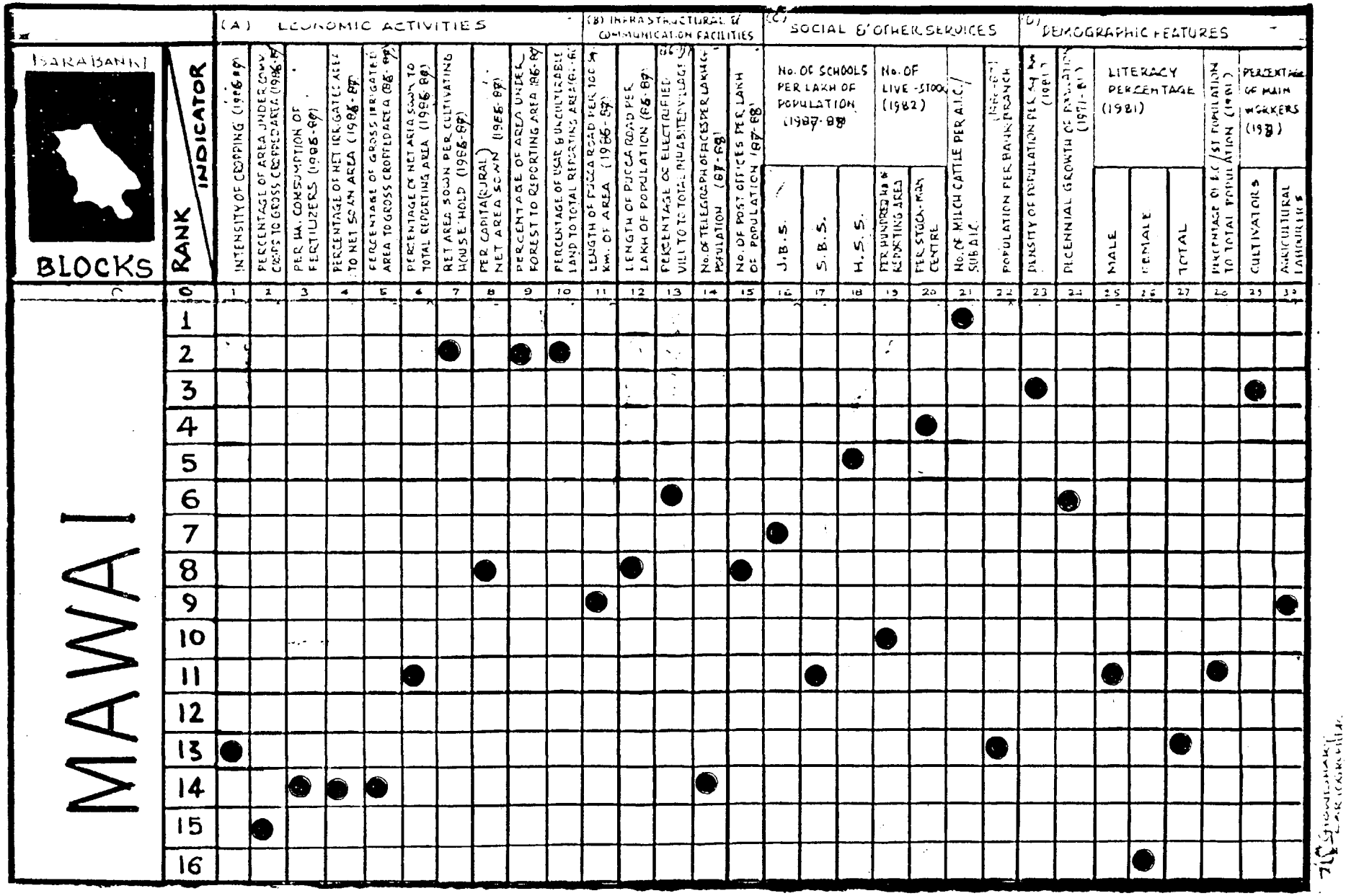

BARABANKI

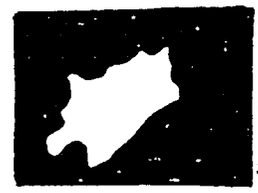

BLOCKS: **RUDAULI**

No.	Indicator	Rank
	(A) ECONOMIC ACTIVITIES	
1	Intensity of cropping (1986-87)	7
2	Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1986-87)	11
3	Per ha. consumption of fertilizers (1986-87)	7
4	Percentage of net irrigated area to net sown area (1986-87)	12
5	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (86-87)	12
6	Percentage of net area sown to total reporting area (1986-87)	6
7	Net area sown per cultivating house hold (1986-87)	3
8	Per capita (rural) net area sown (1986-87)	10
9	Percentage of area under forest to reporting area (86-87)	7
10	Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (86-87)	12
	(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES	
11	Length of pucca road per 100 sq. km. of area (1986-87)	12
12	Length of pucca road per lakh of population (86-87)	11
13	Percentage of electrified vill. to total inhabited village (86-87)	4
14	No. of telegraph offices per lakh population (86-87)	7
15	No. of post offices per lakh of population (86-87)	9
	(C) SOCIAL & OTHER SERVICES	
	No. of schools per lakh of population (1986-87)	
16	J.B.S.	14
17	S.B.S.	6
18	H.S.S.	12
	No. of live-stock (1982)	
19	Per hundred ha reporting area	13
20	Per stock-man centre	6
21	No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.	10
22	Population per bank branch (1986-87)	1
	(D) DEMOGRAPHIC FEATURES	
23	Density of population per sq. km. (1981)	9
24	Decennial growth of population (1971-81)	9
	Literacy percentage (1981)	
25	Male	13
26	Female	14
27	Total	14
28	Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)	13
	Percentage of main workers (1981)	
29	Cultivators	7
30	Agricultural labourers	2

BARABANKI

BLOCKS

BANIKODER

(A) ECONOMIC ACTIVITIES

1. Intensity of cropping (1986-87)
2. Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1986-87)
3. Per ha. consumption of fertilizers (1986-87)
4. Percentage of net irrigated area to net sown area (1986-87)
5. Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (86-87)
6. Percentage of net area sown to total reporting area (1986-87)
7. Net area sown per cultivating house hold (1986-87)
8. Per capita (rural) net area sown (1986-87)
9. Percentage of area under forest to reporting area (86-87)
10. Percentage of usar & uncultivable land to total reporting area (86-87)

(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES

11. Length of pucca road per 100 sq km of area (1986-87)
12. Length of pucca road per lakh of population (86-87)
13. Percentage of electrified vill to total inhabited villages (86-87)
14. No. of telegraph offices per lakh population (87-88)
15. No. of post offices per lakh of population (87-88)

(C) SOCIAL & OTHER SERVICES

No. of schools per lakh of population (1987-88):

16. J.B.S.
17. S.B.S.
18. H.S.S.

No. of live-stock (1982):

19. Per hundred ha of reporting area
20. Per stock-man centre
21. No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.
22. Population per bank branch (1986-87)

(D) DEMOGRAPHIC FEATURES

23. Density of population per sq km (1981)
24. Decennial growth of population (1971-81)

Literacy percentage (1981):

25. Male
26. Female
27. Total
28. Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)

Percentage of main workers (1981):

29. Cultivators
30. Agricultural labourers

Rank \ Indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1							●					●																		
2			●			●								●											●					
3									●							●											●			
4										●								●												
5																										●				
6																												●		
7													●				●							●						
8	●										●								●											
9					●			●														●	●							
10				●																●										
11																														●
12																					●									
13																														
14		●																											●	
15														●																
16																														

BARABANKI BLOCKS

TRIVEDIGANJ

(A) ECONOMIC ACTIVITIES (indicators 1–10) · (B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES (indicators 11–15) · (C) SOCIAL & OTHER SERVICES (indicators 16–22) · (D) DEMOGRAPHIC FEATURES (indicators 23–30)

RANK \ INDICATOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1					●														●											
2																●										●		●		
3				●													●	●												
4																							●	●						
5									●						●										●		●			
6			●																											
7																														●
8																														
9										●																				
10																														
11	●																													
12																														
13						●							●	●						●										
14							●				●											●								
15								●				●									●								●	
16		●																												

Indicators:

(A) Economic Activities
1. Intensity of cropping (1986-87)
2. Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1986-87)
3. Per ha. consumption of fertilizers (1986-87)
4. Percentage of net irrigated area to net sown area (1986-87)
5. Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (86-87)
6. Percentage of net area sown to total reporting area (1986-87)
7. Net area sown per cultivating house hold (1986-87)
8. Per capita (rural) net area sown (1986-87)
9. Percentage of area under forest to reporting area (86-87)
10. Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (86-87)

(B) Infrastructural & Communication Facilities
11. Length of pucca road per 100 sq. km. of area (1986-87)
12. Length of pucca road per lakh of population (86-87)
13. Percentage of electrified vill. to total inhabited villages (86-87)
14. No. of telegraph offices per lakh population (87-88)
15. No. of post offices per lakh of population (87-88)

(C) Social & Other Services
No. of schools per lakh of population (1987-88): 16. J.B.S.; 17. S.B.S.; 18. H.S.S.
No. of live-stock (1982): 19. Per hundred ha of reporting area; 20. Per stock-man centre
21. No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.
22. Population per bank branch (86-87)

(D) Demographic Features
23. Density of population per sq. km (1981)
24. Decennial growth of population (1971-81)
Literacy percentage (1981): 25. Male; 26. Female; 27. Total
28. Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)
Percentage of main workers (1981): 29. Cultivators; 30. Agricultural labourers

BARABANKI
BLOCKS
SIDHAUR
RANK
INDICATOR
(A) ECONOMIC ACTIVITIES
(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES
(C) SOCIAL & OTHER SERVICES
(D) DEMOGRAPHIC FEATURES
INTENSITY OF CROPPING (1986-87)
PERCENTAGE OF AREA UNDER COMM. CROPS TO GROSS CROPPED AREA (1986-87)
PER HA. CONSUMPTION OF FERTILIZERS (1986-87)
PERCENTAGE OF NET IRRIGATED AREA TO NET SOWN AREA (1986-87)
PERCENTAGE OF GROSS IRRIGATED AREA TO GROSS CROPPED AREA (86-87)
PERCENTAGE OF NET AREA SOWN TO TOTAL REPORTING AREA (1986-87)
NET AREA SOWN PER CULTIVATING HOUSE HOLD (1986-87)
PER CAPITA (RURAL) NET AREA SOWN (1986-87)
PERCENTAGE OF AREA UNDER FOREST TO REPORTING AREA (86-87)
PERCENTAGE OF USAR & UNCULTURABLE LAND TO TOTAL REPORTING AREA (86-87)
LENGTH OF PUCCA ROAD PER 100 Sq. Km. OF AREA (1986-87)
LENGTH OF PUCCA ROAD PER LAKH OF POPULATION (86-87)
PERCENTAGE OF ELECTRIFIED VILL TO TO TOTAL INHABITED VILLAGE 86-87
No. OF TELEGRAPH OFFICES PER LAKH POPULATION (86-87)
No. OF POST OFFICES PER LAKH OF POPULATION (86-87)
No. OF SCHOOLS PER LAKH OF POPULATION (1986-87)
J.B.S.
S.B.S.
H.S.S.
No. OF LIVE-STOCK (1982)
PER HUNDRED Ha OF REPORTING AREA
PER STOCK-MAN CENTRE
No. OF MILCH CATTLE PER A.I.C./SUB A.I.C.
POPULATION PER BANK BRANCH (1986-87)
DENSITY OF POPULATION PER Sq. Km (1981)
DECENNIAL GROWTH OF POPULATION (1971-81)
LITERACY PERCENTAGE (1981)
MALE
FEMALE
TOTAL
PERCENTAGE OF S.C./ST POPULATION TO TOTAL POPULATION (1981)
PERCENTAGE OF MAIN WORKERS (1981)
CULTIVATORS
AGRICULTURAL LABOURERS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAME OF DISTRICT-BARABANKI

BARABANKI

BLOCKS: **HAIDERGARH**

BLOCKS / RANK \ INDICATOR	(A) ECONOMIC ACTIVITIES										(B) INFRASTRUCTURAL & COMMUNICATION FACILITIES					(C) SOCIAL & OTHER SERVICES							(D) DEMOGRAPHIC FEATURES							
	Intensity of cropping (1986-87)	Percentage of area under comm. crops to gross cropped area (1986-87)	Per ha. consumption of fertilizers (1986-87)	Percentage of net irrigated area to net sown area (1986-87)	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area (86-87)	Percentage of net area sown to total reporting area (1986-87)	Net area sown per cultivating house hold (1986-87)	Per capita (rural) net area sown (1986-87)	Percentage of area under forest to reporting area (86-87)	Percentage of usar & unculturable land to total reporting area (86-87)	Length of pucca road per 100 sq. km. of area (1986-87)	Length of pucca road per lakh of population (86-87)	Percentage of electrified vill. to total inhabited villages (86-87)	No. of telegraph offices per lakh population (87-88)	No. of post offices per lakh of population (87-88)	No. of schools per lakh of population (1987-88): J.B.S.	S.B.S.	H.S.S.	No. of live-stock (1982): Per hundred ha of reporting area	Per stock-man centre	No. of milch cattle per A.I.C./Sub A.I.C.	Population per bank branch (1986-87)	Density of population per sq km (1981)	Decennial growth of population (1971-81)	Literacy percentage (1981): Male	Female	Total	Percentage of S.C./S.T. population to total population (1981)	Percentage of main workers (1981): Cultivators	Agricultural labourers
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1									●																					
2																			●			●							●	
3			●										●																	●
4											●																	●		
5										●		●																		
6		●			●									●																
7																														
8																							●							
9				●												●														
10						●									●															
11																											●			
12								●																	●					
13																	●							●		●				
14	●																													
15																														
16							●											●		●	●									

आधारभूत आँकड़े

जनपद–बाराबंकी

वर्ष – 1988

1– कुल ग्रामों की संख्या — 2088

2– कुल गैरआबाद ग्रामों की संख्या — 45

3– विकास खण्डों की संख्या (नाम सहित) — 16

1–बंकी 2– देवा 3– हरख 4–मसौली
5–सूरतगॅज 6– फतेहपुर 7– रामनगर 8–निन्दूरा
9– मवई 10– दरियाबाद 11–पूरेडलई
12– रूदौली 13– बनीकोडर 14– हैदरगढ़
15– त्रिवेदीगॅज 16– सिद्धौर

4– तहसीलों की संख्या — 06

1– नवाबगॅज 2– फतेहपुर 3–रूदौली
4– रामसनेहीघाट 5– रामनगर
6– हैदरगढ़ ।

(1986–87)

5– कुल भौगोलिक क्षेत्र (हजार हेक्टयर)	440.100
6– भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदन (हजार हेक्टयर)	446.885
7– वनो के अर्न्तगत क्षेत्र (हजार हेक्टयर)	7.648
8– कृषि के उपयोग में लाई गई भूमि (हजार हेक्टयर)	290.227
9– कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि (हजार हे0)	55.798
10– बंजर भूमि का क्षेत्र (हजार हेक्टयर)	11.900
11– कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्र (हजार हेक्टयर)	12.780
12– स्थायी चारागाह (हजार हेक्टयर)	2.102
13– अन्य उद्यानों/वृक्षों की फसलों का क्षेत्र	10.823
14– वर्तमान परती (हजार हेक्टयर)	32.821
15– अन्य परती भूमि (हजार हेक्टयर)	23.060
16– शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हजार हेक्टयर)	290.227
17– सकल बोया गया क्षेत्र (हजार हेक्टयर)	474.251

(क्रमागत...68 पर)

18- मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र/उत्पादन (हजार हेक्टयर/हजार टन)

(वर्ष 1986-87)		क्षेत्र (हजार हेक्टयर)	उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)
1-	धान	172.845	262.931
2-	गेहूँ	153.404	272.733
3-	ज्वार	8.824	8.436
4-	बाजरा	1.129	0.825
5-	मक्का	7.843	6.296
6-	चना	23.378	16.431
7-	जौ	3.274	5.048
8-	अरहर	9.646	6.977
9-	उर्द	13.800	4.706
10-	मूँग	0.204	0.94
11-	मटर	2.592	2.223
12-	मूँगफली	1.437	1.099
13-	लाही/सरसों	4.241	1.524

19- खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हेक्टयर)		232.390
20- रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हेक्टयर)		217.619
21- जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हेक्टयर)		23.859
22- जोतो की संख्या तथा उनके अन्तर्गत		
	क्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल (हजार हेक्टयर)
1- एक हेक्टयर तक	-	106.457
2- 01 से 03 हेक्टयर के बीच		122.417
3- 03 से 05 हेक्टयर के बीच		45.347
4- 05 हेक्टयर से ऊपर		34.763

23- जनसंख्या	नगर	ग्रामीण	योग
(क) पुरूष	95.576	976.008	1071.584
(ख) स्त्री	82.356	838.134	920.490

(क्रमागत .....69 पर)

24- पिछड़े समुदाय की जनसंख्या	नगर	ग्रामीण	योग
(1) अनुसूचित जाति	14968	536450	551418
(2) अनुसूचित जनजाति	28	232	260

25- सतत प्रवाहशील नदियाँ (कि0मी0) : (नाम सहित) 02 1- घाघरा (96 कि0मी0) 2- गोमती (163 कि. मी.)

26- मौसमी नदियां/नाले (कि0मी0) (नाम सहित) 03 1-जमुरिया 2-रेठ 3- कल्यानी

27- वार्षिक औसत वर्ष (मि0मी0) 1002

28- महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन के नाम

1- हथकरघा वस्त्र

2- केमिकल्स

3- चमड़ा

4- शुगर

29- पुलों के नाम

1-गोमती पुल (बाराबंकी से हैदरगढ़ रोड)

2- कल्याणी नदी का पुल (बाराबंकी से फैजाबाद रोड)

3- घाघरा पुल (बाराबंकी से बहराईच रोड)

30- सड़क की लम्बाई (कि0मी0)

1- राष्ट्रीय मार्ग	76
2- राजकीय मार्ग	133
3- मुख्य जिला सड़क	479

31- विद्युत :

1- 11 कि0वाट (कि0मी0)	2003.947
2- 33 कि0वाट (कि0मी0)	260.438

32- नगरों की संख्या

(1) जिसमें बिजली है (नाम सहित) 13

1- बंकी 2- देवा 3- फतेहपुर 4-नवाबगंज 5- सतरिख 6- हैदरगढ़ 7- रामनगर 8-टिकैतनगर 9- रूदौली 10- जैदपुर 11- दरियाबाद 12-हरख 13- सिद्धौर

(2) जिसमें बिजली नहीं है (नाम सहित) — शून्य

33–ग्रामों की संख्या

(1) जिसमें बिजली है — 869

(2) जिसमें बिजली नहीं है — 1174

34– जल सम्पूर्ति:

(क) नगरों की संख्या व नाम जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति है। — 08 — 1–बकी 2–सतरिख 3–देवा 4–नवाबगंज 5–जैदपुर 6–रूदौली 7–फतेहपुर 8–दरियाबाद

(ख) नगरो की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है — 04 — 1– हैदरगढ़ 2–रामनगर 3–टिकैतनगर 4–सिद्धौर

(ग) ग्रामों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है — शून्य

(घ)– ग्रामों की संख्या जिसमें पाईप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है। — 2043

35– शिक्षा:	नगर क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में	योग
(क) बेसिक/जूनियर स्कूल संख्या	44	1516	1560
(ख)–सीनियर बेसिक स्कूल संख्या	19	282	301
(ग)–हाईस्कूल	18	27	45
(घ)– कालेज डिग्री	02	–	02
(ड़)– विश्वविद्यालय	–	–	–
(च)–प्राविधिक शिक्षण संस्थाएँ संख्या (नाम सहित)			
1–राजकीय पालीटेक्निक	01	–	01
2– आई0टी0आई	01	–	01
(छ) ग्रामों की संख्या जिसमें प्राइमरी बेसिक स्कूल नहीं है।		812	812
(ज)–बेसिक/प्राइमरी स्कूलों की संख्या जिसके लिये भवन निर्मित्त नहीं है			
1– प्राइमरी स्कूल		477	477
2–सीनियर बेसिक स्कूल		25	25

36– अनुसूचित बैंक की शाखाओं की संख्या (नगर एवं प्रखण्डवार नाम दें)

क– नगर क्षेत्र में — 20

37- सहकारी बैंक के नाम व संख्या
(नगर व प्रखण्ड वार)

क- नगर क्षेत्र में	08	
ख- ग्रामीण क्षेत्र में	12	

38- गोदामों की संख्या:	संख्या	क्षमता (हजार टन)
क- नगर क्षेत्रों में	-	-
ख- ग्रामीण क्षेत्र में	141	141
ग- ज्ञात गृहों की संख्या (नगर एवं प्रखण्डवार)		
क- नगर	04	11.723
ख- ग्रामीण	11	533.322

39- उर्वरक डिपो		
क- कृषि विभाग द्वारा	34	1.700
ख- सहकारिता विभाग द्वारा	148	14.800

40- भूमि विकास बैंक की शाखाओं की संख्या

क- नगर क्षेत्र में	03	1. बैंको 2. फतेहपुर 3. हैदरगढ़
ख- ग्रामीण क्षेत्र में	01	1. राम सनेहीघाट

	नगर	ग्रामीण
41- राजकीय पशु चिकित्सालय/औषधालय की संख्या	01	27
42- पशु पालन केन्द्रों की संख्या	-	68
43- राजकीय एलोपैथिक अस्पताल /औषधालयों की संख्या	12	54
44- राजकीय एलोपैथिक अस्पताल औषधालयों में शय्याओं की संख्या	240	183
45- राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल /औषधालयों की संख्या	01	17

(1) कृषि विभाग (हजार हेक्टयर में)

1- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	290.227
2- एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	148.024
3- सकल बोया गया क्षेत्रफल	474.251
4- कुल खाद्यान्न फसले	412.229
5- कुल अखाद्यान्न फसले	60.403
6- खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हे0)	232.398
7- रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हे0)	217.619

क्रमागत 72 पर

8– जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हे0)	23.359
9– फसल सघनता (प्रतिशत)	163.[illegible]
10– खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र (ह0हे0)	66.052
11– रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र (ह0हे0)	167.729
12– जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र (हजार हे0)	1.041
13– सकल सिंचित क्षेत्र (हजार हे0)	245.347
14– शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हजार हे0)	185.000
15– सिंचाई की सघनता प्रतिशत	132.62%
(क) शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत	63.7%
(ख) कुल सिंचित क्षेत्र में कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	51.7%
16– कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	84.0%
17– शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	66.0%
18– विभिन्न स्त्रोतों के द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हजार हे0)	–
क– नहर	114.316
ख – नलकूप	58.857
ग– कूप	4.889
घ– अन्य (विवरण दें)	6.902
19– उन्नतिशील प्रमाणित बीजों के बीज का वितरण (कुन्टल)	
क– कृषि विभाग द्वारा	3366.00
ख– सहकारिता विभाग द्वारा	122.00

20– मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र (हजार हे0) उत्पादन ह0टनों

(1) खाद्यान्न

	क्षेत्र	उत्पादन
(क) खरीफ		
1– धान	172.845	262.931
2– ज्वार	8.824	8.436
3– बाजरा	1.129	0.825
4– मक्का	7.843	6.296
5– खरीफ दालें	7.498	2.623
6– अन्य (विवरण दिजिये)	5.873	2.935
योग –खरीफ खाद्यान्न		

(लगातार —— 73 पर)

(ख) रबी	योग (हजार हे0)	उत्पादन ह0मी0टन0
1- गेहूँ	153.404	272.733
2- जौ	3.274	5.048
3- चना	23.378	16.431
4- मटर	2.393	2.223
5- अरहर	9.646	6.917
6- मसूर	4.414	2.939
7- अन्य	0.063	0.010
योग -रबी खाद्यान्न		
(ग) जायद	क्षेत्र (हजार हे0)	उत्पाद (ह0मी0टन0)
1- चना/ साँवा	0.775	0.543
2- उर्द /मूंग	6.464	1.797
3- अन्य	0.562	0.564
योग जायद खाद्यान्न	क्षेत्र (हजार हे0)	उत्पाद (ह0मी0टन0)
1- मूँगफली	2.199	1.271
2- लाही/सरसों	3.746	2.161
3- सूरजमुखी	-	-
4- सोयाबीन	-	-
5- अन्य तिलहन	0.517	0.092
6- गन्ना	12.896	472.594
7- तम्बाकू	6.345	0.421
8- आलू	111.456	83.468
9- अन्य	0.306	0.352

21- उत्पादन दर (किलो प्रति हे0)

1- धान	1507
2- गेहूँ	1763
3- ज्वार	899
4- बाजरा	398
5- मक्का	1171/1217 (खरीफ/जायद)
6- जौ	1354

(क्रमागत—— 74 पर)

7- चना	180
8- मटर	909
9- अरहर	897
10- मसूर	601
11- गन्ना	40584
12- मूँगफली	786

22-<u>रासायनिक उर्वरक का वितरण</u>

(क) कृषि विभाग द्वारा (ह0मी0टन)

1-नत्रजन	2.283
2- फास्फेटिक	0.249
3- पोटाश	0.097

(ख) -सहकारिता विभाग द्वारा (ह0मी0टन)

1- नत्रजन	2.503
2- फास्फेटिक	1.297
3- पोटाश	0.674

(ग) कृषि औद्योगिक विकास निगम द्वारा (ह0मी0ट0)

1- नत्रजन	1.398
2- फास्फेटिक	0.353
3- पोटाश	0.221

(घ) गन्ना विभाग द्वारा (ह0मी0टन)

1- नत्रजन	0.159
2- फास्फेटिक	0.030
3- पोटाश	0.014

(ड़) अन्य (ह0मी0टन)

1- नत्रजन	27.291
2- फास्फेटिक	6.308
3- पोटाश	1.855

23- <u>उर्वरक डिपो</u>

1- कृषि विभाग (संख्या)	34
2- सहकारिता विभाग संख्या	151
3- कृषि औद्योगिक विकास निगम	-
4- गन्ना विभाग (संख्या)	19

क्रमागत ——— 75पर)

24– शीत गृह	संख्या	क्षमता (मी0टन)
1– सहकारिता	01	10,000
2– कृषि विभाग	–	–
3– कृषि औद्योगिक विकास निगम	–	–
4– गन्ना विभाग		
25– कम्पोस्ट खाद का उत्पादन (ह0मी0टन0)(हे0)(ह0हे0)		खाद (ह0मी0टन)
26– हरी खाद के अन्तर्गत		
27– गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना (संख्या	3495	

2– भूमि संरक्षण

क– कृषि विभाग द्वारा

1– कृषि भूमि में (हजार हे0)	–
2– रेवाइन्स में (हजार हे0)	–
ख– वन विभाग द्वारा	–
1– कृषि भूमि में हजार हे0	–
2– रेवाइन्स में (हजार हे0)	–

3– फलोपयोग और औद्यानिकी

1– फल/ उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र हजार हे0	14.171
2– शाक सब्जी के अन्तर्गत क्षेत्र हजार हे0	21.805
3– फलों का उत्पादन हजार मी0टन	181.00
4– फलों का मूल्य हजार रुपया	–
5– आलू का उत्पादन हजार मी0टन	208.00
6– पौध सुरक्षा कार्य (हजार हे0)	1.565
7– पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार (हजार हे0)	0.605

4– गन्ना विकास

1– गन्ना का क्षेत्रफल (हजार हे0)	12.890	
2– गन्ना का उत्पादन (हजार मी0टन)	489.380	
3– गन्ना का मूल्य (हजार रुपया)	52308.00	
4– वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत गन्ना का उत्पादन गुण के रूप मे (	हजार मी0टन	
5– अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का बीज वितरण गन्ना	हजार मी0टन	
क– गन्ना विभाग द्वारा	–	3.000
ख– सहकारिता विभाग द्वारा	–	
ग– कृषि विभाग द्वारा	–	

5- सिंचाई

विकास खण्ड	पक्के कुऐं	रहट	बोरिंग पम्पसेट	नलकूप	पम्पसेट	कुल सिंचित हैक्टेयर हजार हे0
1	2	3	4	5	6	7
1. बंकी	639	497	2139	344	168	11.148
2. मसौली	1107	654	2024	340	182	11.009
3. देवा	1107	1118	2111	105	204	13.474
4. हरख	443	204	2270	193	161	11.569
5. फतेहपुर	786	305	3819	702	228	14.519
6. सूरतगंज	363	150	2984	794	187	8.734
7. रामनगर	508	212	3165	268	211	10.384
8. निन्दूरा	1181	659	3213	91	154	13.974
9- दरियाबाद	1348	780	3318	584	143	14.868
10. पूरेडलई	449	211	2187	427	142	7.917
11. मवई	257	68	1656	693	167	8.402
12. रदौली	1653	1107	1792	573	144	11.240
13. बनीकोडर	665	319	1344	948	109	11.735
14. हैदरगढ़	628	43	1115	442	81	11.073
15. त्रिबेड़ीगंज	462	133	887	995	72	11.155
16. सिद्धौर	1978	169	2337	625	145	13.007
योग ग्रामीण	11793	6529	36361	8084	2488	184.405
योग नगरीय	-	-	-	-	-	0.595
जनपद योग	11793	6529	36361	8084	2488	185.000

(क्रमशः :.....77 पर)

2- वृहद एवं मध्यम सिंचाई (राजकीय लघु सिंचाई)

विकास खण्ड का नाम	सकल बोये गये क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	शुद्ध बोये गए क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	नलकूप संख्या	नलकूप द्वारा सिंचित क्षमता का सृजन (हे०)	जल उपलब्ध (शुद्ध सिंचन क्षमता) राजकीय लघु सिंचाई द्वारा (हे०)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन
1	2	3	4	5	6	7
1- बंकी	69.00	77.7	05	0.500	0.500	8.638
2- मसौली	74.00	81.7	05	0.500	0.500	8.871
3- देवा	74.00	84.1	03	0.300	0.300	10.891
4- हरख	64.00	69.9	01	0.100	0.100	7.035
5- फतेहपुर	55.00	71.1	03	0.300	0.300	6.063
6- सूरतगंज	27.00	27.00	31	3.100	3.100	1.050
7- रामनगर	42.00	50.7	27	2.700	2.700	4.256
8- निन्दूरा	49.00	72.6	08	0.800	0.800	5.769
9- दरियाबाद	50.00	66.1	06	0.600	0.600	10.233
10-पूरेडलई	28.00	39.3	15	1.500	1.500	5.633
11-सवई	31.00	49.1	41	4.100	4.100	2.019
12-रुदौली	43.00	61.4	45	4.500	4.500	3.725
13-बनीकोडर	60.00	60.5	01	0.100	0.100	8.702
14-हैदरगढ़	67.00	67.4	-	-	-	10.657
15-त्रिवेदीगंज	79.00	80.4	-	-	-	10.734
16-सिद्धौर	6600	72.7	07	0.700	0.700	9.790
योग ग्रामीण	53.00	64.00	198	19.800	19.800	114.076
योग नगरीय	49.00	68.00	-	-	-	0.240
योग जनपद	53.00	64.00	198	19.800	19.800	114.316

(क्रमशः..... 78पर)

4- सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग:

विकास खण्ड का नाम	राजकीय लघु सिंचाई द्वारा (हेक्टेयर)	बृहद एवं मध्यम सिंचाई द्वारा (हजार हेक्टेयर)
1	2	3
1- बंकी	197	8.638
2- मसौली	140	8.871
3- देवा	-	10.891
4- हरख	-	7.035
5- फतेहपुर	-	6.063
6- सूरतगंज	91	1.050
7- रामनगर	434	4.256
8- सिन्दूरा	-	5.769
9- हरियाबाद	176	10.233
10- पूरेडलई	99	5.633
11- मवई	1317	2.01
12- हदौली	117	3.725
13- बनीकोडर	16	8.702
14- हैदरगढ़	-	10.657
15- त्रिबेदीगंज	-	10.734
16- सिद्धौर	-	9.790
योग ग्रामीण	3644	114.076
योग नगरीय	-	0.240
योग जनपद	3644	114.316

(क्रमशः.....79पर)

5- बन विभाग

1- बन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	हजार हेक्टयर	6.01
2- आर्थिक महत्त्व के वृक्षों का क्षेत्र	हजार हैक्टयर	2.00
3- जल्दी उगाने वाले वृक्षों का क्षेत्र	हजार हैक्टयर	4.01
4- सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत	हजार हैक्टयर	936.00
5- सड़कों की लम्बाई		
(क) सरफेस्ड कि0मी0		279.00
(ख) अनसरफेस्ड कि0मी0		"
6- बन द्वारा उत्पादित लकड़ी	हजार क्यूबिक फुट	-
7- उत्पादित लकड़ी का मूल्य	हजार रुपया	-
8- विक्रय की गयी लकड़ी का मूल्य	हजार टन	-

7- पशुपालन:

विकास खण्ड	पशु चिकित्सालय/ औषधालय	स्टाकमैन सेन्टर	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उप केन्द्र	भेड़ एवं ऊन विस्तर केन्द्र	राजकीय कुक्कुट फार्म
1	2	3	4	5	6
विकास खण्डवार वर्ष 1985-86					
1- बंकी	01	06	05	-	-
2- मसौली	01	07	06	-	1
3- देवा	01	01	04	-	-
4- हरख	01	06	07	-	-
5- फतेहपुर	01	02	03	-	-
6- सूरतगंज	01	03	04	-	-
7- रामनगर	02	03	05	-	-
8- सिन्दूरा	02	03	03	-	-
9- दरियाबाद	02	01	04	-	-
10- पूरेडलई	01	01	02	-	-
11- मवई	02	02	02	-	-
12- इदौली	01	02	04	-	-
13- बनीकोडर	01	04	04	-	-
14- हैदरगढ़	04	14	15	-	-
15- त्रिवेदीगंज	02	09	09	-	-
16- सिद्धौर	02	06	07	-	-
योग ग्रामीण	27	70	84	-	01
योग नगरीय	01	-	-	-	-
योग जनपद	28	70	84	-	01

(क्रमशः.....81 पर)

विकास खण्ड का नाम	सहकारी कुक्कुट फार्म सं0	चारे के फसलों के अन्तर्गतक्षेत्र (हे0 हे0)	गोवंशीय पशु सं0	महिषी वंशीय सं0	भेड संख्या	सुअर संख्या	अन्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1- बंकी	-	-	25210	13470	01	500	3725
2- मसौली	-	-	23346	12003	227	761	2257
3- देवा	-	-	30593	13901	526	942	2990
4- हरख	-	-	30732	23176	40	741	3753
5- फतेहपुर	-	-	40313	16761	51	3700	7175
6- सूरतगंज	-	-	43355	16372	724	409	5910
7- रामनगर	-	-	40631	17461	690	1076	6049
8- निन्दूरा	-	-	43172	11592	72	2356	510
9- दरियाबाद	-	-	39451	22085	101	1765	5156
10-पूरेडलई	-	-	41320	21066	237	2318	1701
11- मवई	-	-	47719	12013	524	5162	13460
12- रुदौली	-	-	26915	5128	357	5709	350
13- बनीकोडर	-	-	27430	7223	226	1157	3057
14- हैदरगढ़	-	-	43413	13241	1473	8499	6645
15- त्रिवेदीगंज	-	-	51635	15187	221	3030	5612
16- सिद्धौर	-	-	25739	12099			5103
योग ग्रामीण	-	-	582796	233612	5666	44960	74429
योग नगरीय	-	-	[illegible]015[illegible]	4306	-	-	-
योग जनपद	-	-	592947	237918	5666	44960	7442[illegible]

(क्रमशः....82 पर)

8- दुग्ध एवं दुग्ध सम्पूर्ति:

1- नगर क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन	(लाख लीटर)	अप्राप्त
2- ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन	(लाख लीटर)	अप्राप्त
3- नगर क्षेत्र में समितियों की सं0	330	
4- नगर क्षेत्र में समितियों	सदस्यों की संख्या	अप्राप्त

विकास खण्ड का नाम	कार्यरत समिति		
	निवर्तित	पुस्तावित	योग
1	2	3	4
1- बंकी	14	02	16
2- मसौली	22	01	23
3- देवा	-	-	-
4- हरख	18	02	20
5- फतेहपुर	10	02	12
6- सूरतगंज	16	-	16
7- रामनगर	18	01	19
8- सिन्दूरा	-	-	-
9- हरियाबाद	23	02	25
10- पूरेदलई	15	02	17
11- मवई	12	02	14
12- रुदौली	-	-	-
13- बनीकोडर	40	03	43
14- हैदरगढ़	27	02	29
15- त्रिबेदीगंज	45	01	46
16- सिद्धौर	48	02	50
योग	308	22	330
योज जनपद	308	22	330

(क्रमशः.....84पर)

9– मत्स्य

1– श्रमिक मछुआ सहकारी समितियां		19
2– अंगुलिकाओं का वितरण (लाख रुपयें में)	संख्या	40.80
3– मत्स्य बीज फार्म	संख्या	04
4– राजकीय जलाशय मत्स्य उत्पादन	कुन्टल	10.00

10– भण्डारण राज्य भण्डारण निगम द्वारा संचालित

1– वेयर हाउसेस की संख्या (नगर)	संख्या	–
2– गोदामों की संख्या (नगर)	संख्या	02
3– वेयर हाउसिंग की क्षमता (नगर) लाख टन		–
4– गोदामों की क्षमता (नगर) लाख टन		–

10– (अ) भारतीय खाद्य निगम

(1) गोदामों की संख्या	2
(2) गोदामों की क्षमता	17560 एम0टी. कवर्ड
	55000,, ,,
नया गोदाम	16800 खुले चँबूतरे

क्रय विक्रय समितियाँ

विकास खण्ड का नाम	समितियों की संख्या	सदस्यता संख्या	अंशपूंजी	विपणन को गई वस्तुओं का मूल्य		
				उर्वरक [illegible]	बीज (ह0सं)	खाद्यान्न (ह0सं0)
1	2	3	4	5	6	7
1- बंकी	-	-	-	-	-	-
2- मसौली	01	274	29[illegible]	-	-	-
3- देवाँ	-	-	-	-	-	-
4- हरख	-	-	-	-	-	-
5- फतेहपुर	-	-	-	-	-	-
6- सूरतगंज	-	-	-	-	-	-
7- रामनगर	-	-	-	-	-	-
8- निन्दूरा	-	-	-	-	-	-
9- दरियाबाद	-	-	-	-	-	-
10-पूरेडलई	-	-	-	-	-	-
11- मवई	-	-	-	-	-	-
12- रुदौली	01	3183	2219	30	-	-
13- बनीकोडर	-	-	-	-	-	-
14- हैदरगढ़	-	-	-	-	-	-
15- त्रिवेदीगंज	-	-	-	-	-	-
16- सिद्धौर	-	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण	02	3457	2517	30	-	-
योग नगरीय	-	-	-	-	-	-
जनपद योग	02	3457	2517	30	-	-

विकास खण्ड का नाम	घ-अन्य (ह0सैं0)	सहकारी विधायन समितियाँ — समितियाँ (संख्या)	सदस्यता (संख्या)	अंशपूंजी (ह0 सैं0)	विधायन की गई वस्तुओं का मूल्य
1	2	3	4	5	6
1- बँकी	-	-	-	-	-
2- मसौली	829	-	-	-	-
3- देवाँ	-	-	-	-	-
4- हरख	-	-	-	-	-
5- फतेहपुर	-	-	-	-	-
6- सूरतगंज	-	-	-	-	-
7- निन्दूरा	-	-	-	-	-
8- दरियाबाद	-	-	-	-	-
9- रामनगर	-	-	-	-	-
10- पूरेडलई	-	-	-	-	-
11- मवई	-	-	-	-	-
12- रुदौली	2870	-	-	-	-
13- बनीकोडर	-	-	-	-	-
14- हैदरगढ़	-	-	-	-	-
15- त्रिवेदीगंज	-	-	-	-	-
16- सिद्धौर	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण	3699	-	-	-	-
योग नगरीय-		-	-	-	-
जनपद योग	3699	-	-	-	-

5 उपभोक्ता सहकारी समितियाँ

विकास खण्ड का नाम	समितियों संख्या	सदस्यता (हजार सं0)	अशोधित (ह0 सं0)	विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य (ह0 संख्या)
1	2	3	4	5
1- बंकी	03	2390	-	-
2- मसौली	-	-	-	-
3- देवाँ	-	-	-	-
4- फतेहपुर	-	-	-	-
5- हरख	-	-	-	-
6- सूरतगंज	-	-	-	-
7- रामनगर	03	436	-	-
8- सिन्दूरा	-	-	-	-
9- दरियाबाद	01	102	-	-
10- पूरेडलई	-	-	-	-
11- मवई	-	-	-	-
12- रुदौली	-	-	-	-
13- बनीकोडर	-	-	-	-
14- हैदरगढ़	-	-	-	-
15- त्रिबेदीगंज	01	110	-	-
16- सिद्धौर	-	-	-	-
योग ग्रामीण	08	3038	-	-
योग नगरीय	-	-	-	-
योग जनपद	08	3033	-	-

12- <u>विद्युत विकास:</u>

1- विद्युत उपयोग (कि0वाट घंटे)	9306969
2- विभिन्न कार्यों में विद्युत उपभोग	
(क) घरेलू एवं वाणिज्यिक (कि0वा0घंटे)	768884
(ख) औद्योगिक (कि0वा0घंटे)	225579
(ग) कृषि सिंचाई कार्यों को सम्मिलित करते हुए (कि0वा0घंटे)	6211250
(घ) अन्य	2101256
3- उपरोक्त मदों (क, ख, ग,) में प्रति व्यक्ति उपभोग (कि0वा0घंटे)	362
4- <u>वितरण लाइनों की लम्बाई</u>	
क- 11 कि0 वो किमी0	2003.947
ख- 35 कि0 वो किमी0	260.438
ग- अन्य वो कि.मी.	-
2- लो टेन्शन लाइन्स	1654.475
5- विद्युतीकृत ग्राम	
1- ग्रामों की संख्या	
(1) एल0टी0मेन्स	539
(2) सी. ए.	891
2- कुल ग्रामों से प्रतिशत	44.09
6-हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण संख्या	599
7- औद्योगिक कनेक्शन	
1- ग्रामीण संख्या	1660
2- शहरी संख्या	529
8- विद्युतीकृत ट्यूबवेलों/पम्पसेटों की संख्या	
1- राजकीय संख्या	199
2- निजी संख्या	2811

13- उद्योग विकास:

विकास खण्ड का नाम	ग्रामीण एवं लघु उद्योग			औद्योगिक आस्थान		
	लघु उद्योग इकाईयों की संख्या	उपरोक्त लघुउद्योग में लगे व्यक्तियों की सं0	असगंठित क्षेत्र में लघु उद्योग इकाईयों की संख्या	अधिग्रहीत भूमि का विकास (हे0हे0)	शेडों का निर्माण	कार्यरत इकाईयाँ
1	2	3	4	5	6	7
1- बंकी	12	76	-	-	-	-
2- मसौली	05	23	-	-	-	-
3- देवाँ	03	13	-	-	-	-
4- हरख	08	14	-	-	-	-
5- फतेहपुर	11	36	-	-	-	-
6- सूरतगंज	05	16	-	-	-	-
7- रामनगर	10	24	-	-	-	-
8- निन्दूरा	-	-	-	-	-	-
9- दरियाबाद	03	10	-	-	-	-
10- पूरेडलई	-	-	-	-	-	-
11- मवई	01	04	-	-	-	-
12- रुदौली	06	35	-	-	-	-
13- बनीकोडर	16	59	-	-	-	-
14- हैदरगढ़	11	24	-	-	-	-
15- त्रिवेदीगंज	01	01	-	-	-	-
16- सिद्धौर	02	03	-	-	-	-
योग ग्रामीण	22	357	-	-	-	-
योग नगरीय	12	50	-	-	08	07
जनपद योग	104	407	133	-	08	07

2- हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग

विकास खण्ड का नाम	सहकारी क्षेत्र लाये गये हथकरघों की संख्या	बुनकर सहकारी समितियों का गठन	हथकरघा वस्त्र का उत्पादन (लाख मी0)	रेशमकोया का उत्पादन (कि.ग्रा.)	टसरकोया उत्पादन (कि0ग्रा0)
1	2	3	4	5	6
1- बंकी	1611	02	30	-	-
2- मसौली	432	06	08	-	-
3- देवाँ	32	01	-	-	-
4- हरख	1942	28	81	-	-
5- फतेहपुर	307	07	17	-	-
6- सूरतगंज	132	03	05	-	-
7- रामनगर	1252	19	44	-	-
8- निन्दूरा	52	01	05	-	-
9- दरियाबाद	689	08	13	-	-
10- पूरेडलई	81	02	05	-	-
11- मवई	-	-	-	-	-
12- रूदौली	76	01	-	-	-
13- बनीकोडर	100	02	-	-	-
14- हैदरगढ़	-	-	-	-	-
15- त्रिवेदीगंज	-	-	-	-	-
16- सिद्धौर	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण	6506	100	77	-	-
योग नगरीय	-	-	-	-	-
योग जनपद	6506	100	77	-	-

वृहत एवं मध्यम उद्योग

विकास खण्ड का नाम	उद्योगो की संख्या	उपरोक्त उद्योगो के नाम	लगे व्यक्तियों की संख्या
1- बंकी	12	-	2792
2- मसौली	-	-	-
3- देवा	-	-	-
4- हरख	-	-	-
5- फतेहपुर	-	-	-
6- सूरतगँज	-	-	-
7- रामनगर	01	-	502
8- सिन्दूरा	-	-	-
9- दरियाबाद	-	-	-
10- पूरेडलई	-	-	-
11- मवई	-	-	-
12- रूदौली	-	-	-
13- बनीकोडर	-	-	-
14- हैदरगढ़	-	-	-
15- त्रिवेदीगँज	-	-	-
16- सिद्धौर	-	-	-
योग ग्रामीण	13	-	3261
योग नगरीय	07	-	1170
जनपद योग	20	-	4431

सड़क

सड़कों की लम्बाई कि0मी0

1- राष्ट्रीय राज मार्ग 76 कि0मी0

2- प्रादेशिक राज मार्ग 133 कि0मी0

3- जिला सड़क 498 कि0मी0

योग : 707 कि0मी0

4- जिला परिषद् द्वारा 26 कि0मी0

5- महापालिका/नगरपालिका 33 कि0मी0

6- अन्य 72 कि0मी0

महायोग: 838 कि0मी0

7- पक्की सड़को से जुड़े ग्राम 286 कि0मी0

15-शिक्षा

विकास खण्ड	1- विद्यालय					2-भर्ती
	प्राइमरी स्कूलों की संख्या	बेसिक सीनियर-स्कूलों की संख्या	हायर से0स्कूलों की संख्या	डिग्री कालेज की संख्या	विश्वविद्यालय की संख्या	प्राइमरी स्कूल में संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1- बंकी	107	16	02	-	-	15801
2- मसौली	79	14	03	-	-	11617
3- देवा	77	16	02	-	-	12570
4- हरख	90	15	02	-	-	11987
5- फतेहपुर	120	25	01	-	-	14987
6- सूरतगॅज	101	14	01	-	-	10537
7- रामनगर	106	22	02	-	-	12511
8- निन्दूरा	82	20	-	-	-	12185
9- दरियाबाद	132	23	02	-	-	12622
10- पूरेडलई	97	12	02	-	-	12539
11- मवई	81	15	01	-	-	11861
12- रूदौली	93	19	01	-	-	11370
13- बनीकोडर	91	17	03	-	-	19373
14- हैदरगढ़	90	15	-	-	-	14297
15- त्रिवेदीगॅज	80	20	03	-	-	12439
16- सिद्धौर	90	19	02	-	-	17378
योग ग्रामीण	1516	282	27	-	-	211170
योग नगरीय	44	19	18	02	-	7106
योग जनपद	1560	301	45	02	-	218276

विकास खण्ड का नाम	मद का नाम						
	ग्रामों की संख्या जिसमें प्राइमरी स्कूल नहीं है	ग्राम की संख्या जिसमें बेसिक स्कूल नहीं है	अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थीकी प्राइमरी स्कूल में संख्या	बेसिक स्कूल में संख्या	हायर सेकेण्डरी स्कूल में सं0	डिग्री कालेज में सं0	विश्व विद्यालय में सं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1- बंकी	-	-	2029	553	-	-	-
2- मसौली	-	-	2954	561	297	-	-
3- देवा	-	-	1404	390	142	-	-
4- हरख	-	-	2275	557	244	-	-
5- फतेहपुर	-	-	1383	538	100	-	-
6- सूरतगंज	-	-	2522	246	-	-	-
7- रामनगर	-	-	2147	272	100	-	-
8- निन्दूरा	-	-	1976	727	-	-	-
9- दरियाबाद	-	-	3324	404	105	-	-
10- पूरेडलई	-	-	4228	171	149	-	-
11- सवई	-	-	1685	404	79	-	-
12- रूदौली	-	-	2887	289	81	-	-
13- बनीकोडर	-	-	2398	368	310	-	-
14- हैदरगढ़	-	-	2067	400	-	-	-
15- त्रिवेदीगंज	-	-	1516	397	167	-	-
16- सिद्धौर	-	-	1335	437	69	-	-
योग ग्रामीण	501	70	36430	6610	1843	-	-
योग नगरीय	12	-	1305	3522	2352	255	-
जनपद योग	513	78	37735	10132	4195	255	-

विकास खण्ड	सीनियर बेसिक स्कूलों में भर्ती संख्या	हायर सेकेण्डरी स्कूल में भर्ती संख्या	डिग्री कालेज की संख्या	विश्वविद्यालय में संख्या	ग्रामों की संख्या जिसमें प्राइमरी स्कूल नहीं है	ग्रामों की संख्या जिसमें सी०बे० स्कूल नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1- बंकी	2852	-	-	-	11	-
2-मसौली	3095	1468	-	-	16	-
3-देवा	2327	720	-	-	69	-
4- हरख	2395	1172	-	-	416	-
5- फतेहपुर	3729	712	-	-	112	-
6- सूरतगंज	1930	-	-	-	91	-
7- रामनगर	2029	573	-	-	86	-
8- निन्दूरा	2220	-	-	-	100	-
9- दरियाबाद	1991	538	-	-	30	-
10- पूरेडलई	1748	755	-	-	38	-
11- मवई	1549	419	-	-	36	-
12- रूदौली	1128	460	-	-	53	-
13- बनीकोडर	1935	1572	-	-	25	-
14- हैदरगढ़	2378	-	-	-	27	-
15- त्रिवेदीगंज	1007	806	-	-	30	-
16- सिद्धौर	2477	386	-	-	106	-
ग्रामीण योग	35588	9551	-	-	836	1865
योग नगरीय	15499	13064	1514	-	-	-
योग जनपद	49087	22615	1514	-	835	1865

विकास खण्ड का नाम	मद का नाम					
	एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी की संख्या	होम्योपैथिक अस्पतालों की संख्या	होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी की संख्या	आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या	आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1- बंकी	02	-	02	-	01	-
2- मसौली	03	-	-	-	01	-
3- देवा	02	-	01	-	01	-
4- हरख	02	-	02	-	03	-
5- फतेहपुर	01	-	01	-	01	-
6- सूरतगंज	03	-	01	-	02	-
7- रामनगर	02	-	01	-	02	-
8- निन्दूरा	02	-	02	-	03	-
9- दरियाबाद	01	-	01	-	02	-
10- पूरेडलई	01	-	01	-	-	-
11- पवई	01	-	01	-	02	-
12- रूदौली	03	-	-	-	01	-
13- बनीकोडर	01	-	01	-	01	-
14- हैदरगढ़	03	-	02	-	02	-
15- त्रिवेदीगंज	01	-	-	-	03	-
16- सिद्धौर	01	-	01	-	02	-
योग ग्रामीण	30	-	17	-	27	-
योग नगरीय	10	-	01	-	01	-
योग जनपद	40	-	18	-	28	-

विकास खण्ड का नाम	मद का नाम 2- चिकित्सा					
	एलोपैथिक अस्पताल में	एलोपैथिक डिस्पेन्सरीमें	होम्योपैथिक अस्पतालमें	होम्योपैथिक डिस्पेन्सरीमें	आयुर्वेदिक अस्पतालमें	आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी में
1	2	3	4	5	6	7
1- बंकी	14	-	-	-	04	-
2- मसौली	14	-	-	-	-	-
3- देवा	12	-	-	-	-	-
4- हरख	18	-	-	-	04	-
5- सूरतगंज	16	-	-	-	08	-
6- रामनगर	18	-	-	-	04	-
7- फतेहपुर	14	-	-	-	04	-
8- सिन्दूरा	16	-	-	-	12	-
9- दरियाबाद	12	-	-	-	08	-
10- पूरेडलई	12	-	-	-	-	-
11- मवई	15	-	-	-	-	-
12-हदौलो	18	-	-	-	17	-
13-बनीकोडर	15	-	-	-	04	-
14-त्रिवेदीगंज	08	-	-	-	-	-
15- सिद्धौर	04	-	-	-	04	-
16- हैदरगढ़	18	-	-	-	18	-
योग ग्रामीण	224	-	-	-	84	-
योग नगरीय	240	-	-	-	04	-
जनपद योग	464	-	-	-	88	-

विकास खण्ड का नाम	विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पताल/डिस्पेन्सरी					
	टी0वी0 संख्या	फाइलेरिया संख्या	छूत की बीमारी की संख्या	कुष्ठ रोग संख्या	विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पताल/डिस्पेन्सरी में शैय्यायें	
					टी0वी0 संख्या	फाइलेरिया संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1- बंकी	-	-	-	-	-	-
2- मसौली	-	-	-	01	-	-
3- देवा	-	-	-	-	-	-
4- हरख	-	-	-	-	-	-
5- फतेहपुर	-	-	-	-	-	-
6- सूरतगंज	-	-	-	-	-	-
7- रामनगर	-	-	-	-	-	-
8- सिन्दूरा	-	-	-	-	-	-
9- दरियाबाद	-	-	-	-	-	-
10- पूरेडलई	-	-	-	-	-	-
11- मवई	-	-	-	-	-	-
12- रूदौली	-	-	-	-	-	-
13- बनीकोडर	-	-	-	-	-	-
14- हैदरगढ़	-	-	-	-	-	-
15- त्रिवेदीगंज	-	-	-	-	-	-
16- सिद्धौर	-	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण	-	-	-	01	-	-
योग नगरीय	01	01	-	02	-	-
योग जनपद	01	01	-	03	-	-

विकास खण्ड का नाम	मद का नाम				
	छूत की बीमारी संख्या	कुष्ठ रोग संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	परिवार कल्याण केन्द्र	परिवार कल्याण उपकेन्द्र की संख्या
1	2	3	4	5	6
1- बंकी	-	-	04	01	21
2- मसौली	-	-	04	01	20
3- [illegible]	-	-	04	01	21
4- हरख	-	-	04	01	21
5-फतेहपुर	-	-	03	01	27
6- सूरतगॅज	-	-	05	01	21
7- रामनगर	-	-	04	01	26
8- निन्दूरा	-	-	05	01	21
9- दरियाबाद	-	-	05	01	26
10- पूरेडलई	-	-	04	01	22
11- मवई	-	-	04	01	20
12- रूदौली	-	-	03	01	24
13- बनीकोडर	-	-	04	01	22
14- हैदरगढ़	-	-	04	01	20
15- त्रिवेदीगॅज	-	-	04	01	23
16- सिद्धौर	-	-	04	01	25
योग ग्रामीण	-	-	62	16	360
योग नगरीय	-	-	-	05	-
योग जनपद	-	-	62	21	360

पर्यटन विकास

(1) पर्यटनआवास का निर्माण विस्तार संख्या 01 देवाशरीफ में

(2) शैय्यायें संख्या 08 देवा शरीफ में

(देवा में रैनबसेरा का प्रावधान प्रस्तावित है)

18- प्राविधिक शिक्षा

1- डिग्री स्तर की संस्था

(क)	संख्या	-
(ख) प्रवेश क्षमता	संख्या	=
(ग) वास्तविक भर्ती	संख्या	=

2= डिप्लोमा स्तर की संस्थायें

(क)	संख्या	01
(ख) प्रवेश क्षमता	संख्या	90
(ग) वास्तविक भर्ती	संख्या	60

19-जल सम्पूर्ति एवं जल निस्तारण:

1- नगरीय जल सम्पूर्ति एवं जल निस्तारण

	नगर की संख्या	नगर का नाम	जनसंख्या लाभान्वित (हजार में)
(क) पाइपो द्वारा	09	1. बंकी 2. देवा 3- फतेहपुर 4. नवाबगॅज 5-रूदौली 6. जैदपुर 7. दरियाबाद 8. सतरिख 9. हैदरगढ़	135
(ख) हैण्ड पम्प द्वारा	02		
(ग) जल निस्तारण	-		
(घ) शुष्क शौचालयों का स्वच्छ शौचालयो में परिवर्तन		बाराबंकी बनवाबगॅज	

2- ग्रामीण जल सम्पूर्ति ब्लाक का नाम ग्रामों का नाम जनसंख्या लाभान्वित हजार में

क= हैण्ड पम्प द्वारा	-	-	-
ख- कुओ द्वारा	सभी विकास खण्डों में	2043	=
ग= डिग्गी	=	-	=
घ= प्राकृतिक श्रोतों (पर्वतीय क्षेत्र)	=	=	=

3- नगरों की संख्या जिसमें पाईप द्वारा - जल आपूर्ति नहीं है

संख्या	नगर का नाम
04	1- रामनगर 2. टिकैतनगर 3. सिद्धौर 4. रामपुरभवानीपुर

	ब्लाकों का नाम	ग्रामों की संख्या
4= ग्रामों की संख्या जिसमें पीने के पानी की सुविधा नहीं हैं	05	26
5= ग्रामों की संख्या जिसमें पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति तथा जनजातियो के लिए पानी की सुविधा है।	समस्त विकास खण्ड 16	समस्त ग्राम 2043
6= ग्रामों की संख्या जिसमें पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिये पानी की सुविधा नहीं है	05	26

20= पिछड़ीअनुसूचित जातियों तथा अनु0जनजातियों का कल्याण(हरिजन कल्याण):
======================

(1) पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्तियाँ

अ- सामान्य कोर्स

क- पिछड़ी जाति	संख्या	1723
ख= अनुसूचित जातियाँ	संख्या	1284
ग= अनुसूचित जनजातियाँ	संख्या	=

ब- प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स

क- पिछड़ी जातियाँ	संख्या	=
ख= अनुसूचित जातियाँ	संख्या	25
ग= अनुसूचित जनजातियाँ	संख्या	=

21= आवास विकास

1= आवास विकास परिषद् द्वारा

		मार्च89 तक उपलब्धि	वर्ष 1989-90की उपलब्धि
क= भूमि अर्जन का क्षेत्रफल एकड़ में		63.71	1.00
ख= भूमि विकास का क्षेत्रफल एकड़ में		20.00	27.71
ग= उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	संख्या	=	=
घ= मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	संख्या	08	22
ड़= अल्प आय वर्ग गृह निर्माण	संख्या	209	129
च= दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण	संख्या	521	71
छ= आवासीय भूखण्ड	संख्या	50	6

NIEPA DC
D05196